लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, गुरुवार, 7 दिसम्बर, 1972/16 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 18, Thursday, December 7, 1972/Agrahayana 16, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—17
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
341. डिफेंस इन्स्टीच्यूट आफ फायर रिसर्च पर व्यय	Expenditure Incurred on Defence Institute of Fire Research ...	1—2
342. परिवार पेंशन योजना में परिवर्तन	Changes in Family Pension Scheme	2—5
343. हलकी मशीनगनों में प्रयोग के लिए तेलों की सप्लाई	Supply of Oils for use on Light Machine-Guns ...	5—8
345. भारतीय सीमाओं से 50 मील के अन्दर-अन्दर पाकिस्तान द्वारा किए गए सैनिक अभ्यास	Military Exercises by Pakistan within 50 Miles from Indian Border ...	8—9
350. भारतीय वायुसेना के खराब विमानों को बदलना	Replacement of IAF Defective Aircraft ...	9—11
351. बेरोजगारी संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Unemployment...	11—13
353. संघ राज्य क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण	Revision of Minimum Wages of Agricultural Labourers in Union Territories...	13—16
354. पंजाब में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Punjab	16—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		17—92
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
344. संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन द्वारा युगांडा का मामला उठाया जाना	Uganda Issue Raised in UN by UK ...	17—18

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
346. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार	Expansion of ESI Scheme ...	18
347. भिलाई इस्पात कारखाने में मुनाफाखोरी और चोर-बाजारी	Profiteering and Blackmarketing in Bhilai Steel Plant ...	18—19
348. भारत पर लक्षित अमरीकी बम्ब के कथित समाचार	Alleged Reports of US Bomb Aimed at India ...	19
349. परमाणु शस्त्रविहीन देशों का विश्व सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव	Proposal for World Conference of Non-Nuclear Countries ...	19
352. प्रधान मन्त्री द्वारा पाकिस्तान को बंगला देश के साथ समझौता करने की सलाह	Prime Minister's Advice to Pakistan to come to Terms with Bangladesh ...	19
355. युगांडा के एशियाई मूलक लोगों के पुनर्वास में राज्यों द्वारा सहायता	States help to, Rehabilitate Uganda Asians ...	20
356. जापान के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Plant in Collaboration with Japan ...	20—21
357. भारत-जापान संबंध	Indo-Japan Relations ...	21
358. इस्पात संबंधी 'होल्डिंग कम्पनी' का अध्यक्ष	Chairman of Holding Company for Steel ...	21
359. भारत-स्वीडन स्थायी संयुक्त आयोग की स्थापना	Setting up of Permanent into Swedish Joint Commission ...	22
360. 'हैवी मैल्टिंग स्क्रैप' का उत्पादन	Production of Heavy Melting Scrap ...	22—23
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
3392. भारत से बाहर बसे भारतीय राष्ट्रिक	Indian Nationals Settled outside India ...	23
3393. चंगथंग में हिमपात से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitations of Changthang snowfall victims ...	23

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3394. जिला गुरदासपुर (पंजाब) में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding grant of licences for opening Petrol Pumps in Gurdaspur District (Punjab) ...	23—24
3395. मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के स्टाफ की पुन: नियुक्ति	Redeployment of Staff of Chief Settlement Commissioner ...	24—25
3396. मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई प्रशासन द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of tenements for Officers and workmen by Administration of Mazgaon Dock Limited, Bombay ...	25
3397. त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय की इमारत तथा कर्मचारियों के क्वार्टर	Office building and staff quarters for EPFO at Trivandrum ...	25—26
3398. केरल में चीनी मिट्टी	China Clay in Kerala ...	26—27
3399. टेक्निकल आफिसर्स एसोसिएशन डाक यार्ड लेबर यूनियन और मजगांव डाक क्लेरिकल स्टाफ यूनियन की मांगें	Demands of Technical Officers Association, Dockyard Labour Union and Mazgaon Dock Clerical Staff Union ...	27—28
3400. मजदूर संघ आन्दोलन को सरकार के समर्थन के बारे में निर्णय	Decision re. Government support of Trade Union Movement ...	28—29
3401. दरीबा तांबा परियोजना	Dariba Copper Project ...	29
3402. श्रमिक निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of workers Directors ...	30
3403. मान्यता-प्राप्त कार्मिक संघों के बारे में मूल जानकारी	Basic Informations on Recognised Trade Unions ...	30—31
3404. सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिया जाना	Workers participation in management of Public Undertakings ...	31—32
3405. नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्यवाही	Steps to increase Navy Strength ...	32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3406. विदेशों से आये भारत-मूलक लोग	Repatriates from Foreign Countries	32—33
3407. उड़ीसा में खनन परियोजनाएं	Mining Projects in Orissa ...	33—34
3408. रामदलाकोटा में हीरों की मौजूदगी की पुन: जांच करना	Re investigating into occurrence of Diamond at Ramdlakota ...	34
3409. इजरायल में भारतीय यहूदियों से भेदभाव	Discrimination against Indian Jews in Israel ...	34
3410. विदेशों में सरकार की राजनैतिक तथा औद्योगिक गतिविधियों का प्रसार करने के लिए अभिकरण	Agencies in Foreign countries for publicity of Governments Political and Industrial Activities ...	35
3411. बजरे पर पड़ा जिलेटिन डाइनेमाइट	Gelatine dynamite lying on barge ...	35—36
3412. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा वित्तीय समिति में भारत का सुझाव	India's proposal at United Nations Economic and Financial Committee ...	36
3413. मजदूरों को रियायती दरों पर सामान की सप्लाई का प्रस्ताव	Proposal to supply subsidized Goods to Labour ...	36—37
3414. उपदान संदाय अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Payment of Gratuity Act ...	37
3415. इस्पात और एल्यूमीनियम व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Steel and Aluminium Trade ...	37
3416. चिकित्सा स्नातकों में बेरोजगारी	Unemployment among Medical Graduates ...	37—38
3417. भारत हैवी प्लांट्स एण्ड वैसल्ज लिमिटेड में कार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Personnel Officer in Bharat Heavy Plants and Vessels Limited ...	38
3418. खेतरी तांबा परियोजना में 30 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि,	Thirty Crore Annual Loss in Khetri Copper Project ...	38—39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3419. रांची स्थित ढलाई तथा गढ़ाई संयंत्र के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी	Indian Technical know how for Foundry Forge Plant at Ranchi ...	39
3420. वैगन निर्माताओं को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to wagon Builders ...	39—40
3421. भारतीय खान ब्यूरो में अनु-सूचित जातियों और अनु-सूचित जनजातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribes Employees in Indian Bureau of Mines ...	40—41
3422. रक्षा विभाग के मजदूर संघों के पदाधिकारियों का तबादला	Transfer of Officer Bearers of Unions of Defence Department ...	41
3423. उगांडा से निकाले गये ब्रिटिश एशियाई लोगों को भारत पर थोपने का ब्रिटेन का फार्मूला	UK Formula for Dumping British Asians expelled from Uganda on India ...	42
3424. पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध 'जहाद' का नारा	Jehad Cry raised by Pakistan against India ...	42
3425. मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की योजना	Bureau of Public Enterprises Scheme for Recognition of Trade Union ...	42—43
3426. भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों पर हमला	Assaulting of Employees of Bhilai Steel Plant ...	43
3427. अधिक गति वाले लड़ाकू विमानों का उत्पादन	Production of High Speed Fighters ...	43
3428. मैंगनीज उद्योग में मजदूरों में मैंगनीज के विष का फैलना	Manganese Poisoning of Workers in Manganese Industry ...	43—44
3429. मिग-21 की नई सुधरी किस्म का निर्माण	Manufacture of a New Improved Version of MIG-21 ...	44
3430. सरकारी विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Industrial Employees of Government Departments ...	44—45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3431. पांचवीं योजना में खनिज पदार्थों की खोज के लिए योजना	Scheme for Mineral Exploration in Fifth Plan ...	45
3432. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश में खनिजों की खोज	Mineral Exploration in Andhra Pradesh by GSI ...	45
3433. हाई कार्बन स्टील का उत्पादन	Production of High Carbon Steel	46
3434. इस्पात की चादरों के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों का इस्पात के ड्रमों के निर्माण पर प्रभाव	Effect on Manufacture of Steel Drums due to Restrictions on Import of Steel Sheets ...	46
3435. भारत और अमरीका के सम्बन्ध	Indo US Relations ...	46—47
3436. आपराधिक विधान को आधुनिकतम बनाना	Updating Criminal Legislation	47
3437. बर्मा से स्वदेश वापस आने वाले भारतीय	Burma Repatriates	48
3438. इस्पात क्षमता का कम प्रयोग	Under Utilisation of Steel Capacity ...	48—49
3439. युगांडा के एशियाइयों के पुनर्वास के बारे में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का आश्वासन	UN High Commissioner for Refugees Assurance to Rehabilitate Uganda Asians...	49—50
3440. वाणिज्यिक और नगरपालिकाओं और वित्तीय उपक्रमों में कर्मचारियों को बोनस	Bonus to workers in Commercial Municipal and Financial Undertakings ...	50
3441. बम्बई स्थित 'एस्सो' तेल-शोधक कारखाने में हड़ताल	Strike in ESSO Refinery Bombay	50—51
3442. एशियाई देशों के युगांडा से निष्कासित व्यक्तियों को कम्पाला से मोम्बासा ले जा रही रेलगाड़ी से लापता भारतीय	Missing Indians from Train Carrying Expelled Uganda Asians from Kampala to Mombasa ...	51

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3443.	एशिया '72 मेले के मण्डपों के लिए इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel for Pavilions at Asia '72 Fair ...	52
3444.	केरल में वायुसेना का भर्ती कार्यालय	Air Force Recruiting Office in Kerala ...	52
3445.	शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस फैक्ट्री में श्रमिकों द्वारा गड़बड़	Disturbances by workers in Ordnance Factory, Shahjahanpur ...	52—54
3446.	शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री के दर्जियों की सेवाओं का उपयोग न किया जाना	Non Utilisation of Services of Tailors of Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur ...	54
3447.	आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर की कल्याण निधि का उपयोग	Utilization of Welfare Funds of Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur ...	54
3448.	पाकिस्तान द्वारा मिराज विमानों की खरीद	Purchase of Mirage Planes by Pak ...	55
3449.	रक्षा व्यय में कमी	Cut in Defence Expenditure ...	55
3450.	एक उद्योग में एक ही मजदूर संघ	One Union for one Industry ...	55
3451.	बिहार के विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए बिहार में एक उद्योग की स्थापना	Opening of an industry in Bihar for disabled ex-servicemen of Bihar ...	55—56
3452.	राउरकेला इस्पात कारखाने में अराजकता	Lawlessness in Rourkela Steel Plant ...	56
3453.	सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में वेतन आयोग के निर्देशपद	Terms of reference of Pay Commission regarding Bonus to Armed Forces Personnel ...	56
3454.	बर्मा से स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों की शिकायतें	Grievances of Burma Repatriates ...	57
3455.	विशाखापत्तनम के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Dock Workers of Visakhapatnam ...	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3456. बिना जोड़वाली ट्यूबों के उत्पादन के लिए दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant for production of Seamless Tubes ...	57—58
3457. रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य की क्रियान्विति	Implementation of National Objective of Self reliance in Defence requirements...	58—59
3458. भारत में अफ्रीकी देशों के दूतावास और अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावास	Missions of African Countries in India and vice versa ...	59
3459. भारत संयुक्त अरब गणराज्य सम्बन्ध	Indo UAR Relations ...	59
3460. केरल को इस्पात की सप्लाई करने के लिए केरल के संसद् सदस्यों से ज्ञापन	Memorandum from Kerala MPs for supply of Steel to the State ...	60
3461. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में खनिज संसाधनों का उपयोग	Exploitation of mineral resources in Kerala by GSI ...	60—61
3462. दस वर्षीय इस्पात विकास योजना	Ten Year Steel Development Plan ...	61
3463. पुनर्वेलन मिलों द्वारा वस्तुओं के ऊंचे मूल्य लिया जाना	Charging of higher price for goods by Re-rolling Mills ...	62
3464. भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की गिरफ्तारी और रिहाई	Arrest and release of officers of Bhilai Steel Plant ...	62
3465. विभिन्न देशों से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास पर व्यय	Expenditure on Rehabilitation of Refugees from different countries ...	63
3466. ऊंची दर पर कथित ऋण देने के सम्बन्ध में फिलीपीन आप्रवासन एजेण्टों द्वारा भारतीयों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Indians by Philipine Immigration agents for alleged lending money at exorbitant rates ...	63—64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
3467. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर में तालाबन्दी	Lock out in HMT Bangalore ...	64
3468. आधुनिकतम हथियारों के उत्पादन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा तैयार की गई योजना	Plan prepared by Department of Defence Supplies to produce Sophisticated Weapons ...	64—65
3469. भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण करने की योजना	Scheme to modernise Indian Air Force...	65
3470. चीनी मिलों के मजदूरों को एक समान महंगाई भत्ता	Uniform DA to Sugar Mill Workers ...	65
3471. बिहार के सैनिकों के परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Families of Soldiers of Bihar ...	66
3472. झुमरीतिलैया (बिहार) में स्थित कोल माइन्स वेलफेयर कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास	Accommodation for Employees in Coal Mines Welfare Office, Jhumritilaiya, Bihar ...	66
3473. विदेशों में भारतीय मिशनों के अवकाश प्राप्त अधिकारी	Retired Officers in Indian Missions Abroad ...	67
3474. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक संघों को मान्यता देने की कसौटी	Criteria for recognition of Trade Unions in Public Sector Undertakings ...	67—68
3475. कोयले पर नियंत्रण	Control on Coal	68
3476. रक्षा योजना सम्बन्धी अनुसंधान और विकास के लिए किया गया नियतन	Allocation made for Research and Development of Defence Plan ...	68—69
3477. विदेशी नियंत्रण के अधीन खान तथा इंजीनियरी एकक	Mines and Engineering Units under Foreign Control ...	69
3478. बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कोयला खानों का पुनरोद्धार करना	Restructuring of Coal Mines in Jharia Coalfields of Bihar taken over by Government ...	70

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3479.	उन भारतीयों के लिए स्मृति दिवस मनाना जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान किया	Celebration of Remembrance Day for Indians who laid down their lives in the wars of 1962, 1965 and 1971 ...	70—71
3480.	भारतीय सीमाओं पर गड़बड़ी करने का चीनी षड्यंत्र	Conspiracy by China to create trouble on Indian Borders ...	71
3481.	मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स को वर्कमैन माना जाना	Medical Representatives treatment as 'Workmen' ...	71
3482.	बिहार के क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा परिवार पेंशन योजना का क्रियान्वयन	Implementation of Family Pension Scheme by Regional Commissioner, Bihar ...	72
3483.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दर्जा	Status of EPF Organisation ...	72—73
3484.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को बोनस के रूप में फालतू अधिभार का भुगतान	Payment of Suplus charges as bonus to employees for EPF Organisation ...	73
3485.	भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या	Membership of Bhartiya Mazdoor ...	73—74
3486.	साइंटिफिक वर्कर्स एसोसियेशन, कानपुर को प्रतिनिधित्व	Representation of Scientific Workers Association, Kanpur ...	74
3487.	भारतीय सेना में यादव रेजीमेंट बनाने की मांग	Demand for raising Yadav Regiment in the Indian Army ...	74
3488.	बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bombay Industrial Relations Act ...	74—75
3489.	राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोकिंग कोयले के मूल्य में वृद्धि	Raising of prices of coking coal after Nationalisation ...	75
3490.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव	Proposal for reorganisation of Hindustan Steel Limited ...	75—76

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3491.	मेंगलौर में खानों से पत्तन तक समुद्र में पाइप लाइनों का निर्माण	Construction of submarine pipe lines from mines to port in Mangalore ...	76—77
3492.	युद्धबन्दियों के मामले में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता	UN mediation on issue of POWs ...	77
3493.	बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माणकार्य पर खर्च हुआ अतिरिक्त समय तथा धन	Additional time and money spent on completion of Bokaro Steel Plant ...	77—78
3494.	स्वनियोजन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	Self Employment Training-Cum-Production Centres ...	78
3495.	नेपाम बमों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना	Banning the use of Napalm Bombs ...	78—79
3496.	आयुध कारखानों (आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़) में उत्पादन	Production of Ordnance Factories	79
3497.	इस्पात की चोरबाजारी	Blackmarketing of Steel ...	79
3498.	भारतीय घरों और दुकानों में स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी के चित्र	Portraits of late President Kennedy in Indian households and shops ...	79—80
3499.	मैसूर में खनिज विकास बोर्ड को पट्टे पर दी गई भूमि	Area leased to Mineral Development Board in Mysore ...	80
3500.	भारत का विश्व की सैनिक शक्तियों में स्थान	Rank of India as a military power in the world ...	80—81
3501.	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ की युद्ध विधवाओं को दी गई वित्तीय तथा अन्य सहायता	Financial and other assistance given to war widows of Himanchal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Union Territories of Delhi and Chandigarh ...	81
3502.	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश में चूना तथा शैल पत्थरों के निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of lime and rock stone deposits in Himanchal Pradesh by GSI ...	81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3503.	श्रमिक के हताहत होने पर दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि	Increase in compensation for casualties to labourers ...	82
3504.	भारतीय वायु सेना के टेलीफोन आपरेटर का लापता होना	Missing Telephone Operator of Indian Air Force ...	82
3505.	बोनस पुनर्विलोकन समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Bonus Review Committee ...	83
3506.	पर्यावरण संबंधी मामलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के लिए स्थान	Site for UN Secretariat on Environmental Affairs ...	83
3507.	चिन्तापल्ली (विशाखापत्तनम जिला) की पहाड़ियों में एलूमीनियम निक्षेपों का पाया जाना	Discovery of aluminium deposits in hilly tracts of Chintapalli (Visakhapatnam District) ...	83—84
3508.	औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विधेयक	Bill on Industrial Relations ...	84
3509.	सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोकिंग कोयला खानों का बन्द होना	Closure of coking coal mines taken over by Government ...	84—85
3510.	दिसम्बर, 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम-रेखा का उल्लंघन	Violation of cease fire lines by Pakistan after December, 1971 War ...	85
3511.	पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का निकोबार द्वीप में बसाया जाना	Settlement of families of ex-servicemen of Punjab in Nicobar Island ...	85—86
3512.	'ब्लिट्ज' में प्रकाशित समाचार 'जिंक मोंस्टर अटैक्स इंडिया'	News regarding Zinc monster attacks India in Blitz ...	86
3513.	औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes ...	86
3514.	श्रमजीवी जनसंख्या	Working population ...	87

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

3515. मैसर्स अलडक्ट इंडिया गाँव नेरेडमेट, सिकन्दराबाद पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्टाफ द्वारा छापा मारा जाना	Raid by ESIC Staff on M/s Alduct India, Neredmet Village, Secunderabad ...	87—88
3516. शाहडोल में कोयला खान खोलना	Opening of a coal mine in Shahdol ...	88
3517. मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में जोहिला कोल फील्ड प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Johilla Coal Field Private Limited Shahdol, District MP...	88
3518. बम्बई के अधिगृहीत/अधिग्रहण मुक्त किये गए मकान/कमरे/फ्लैट	Requisitioned/Derequisitioned Houses Apartments/Flats of Bombay ...	89
3519. विदेशों में रहने वाले भारतीयों के आचरण सम्बन्धी अनुदेश	Instructions Coverning Conduct of Indians Abroad ...	89
3520. 'आपरेशन हार्ड राक' कार्य-क्रम पर अनुवर्ती कार्यवाही	Follow up Action on Operation Hard Rock ...	89—90
3521. सिविलियन स्टोर कीपर (यूनिट्स) का वेतनमान/स्थायीकरण/पदोन्नति	Scale of Pay/Confirmation/Promotion of Civilian Store Keepers (Units) ...	90—91
3522. 'प्राविडेंट फंड मालिकों द्वारा 500 करोड़ रु० हड़प जाना' सम्बन्धी समाचार	News item "PF employers Digest Rs.500 Crores" ...	91
3523. "हैदराबाद हाउस", नई दिल्ली का किराया	Rent paid in respect of Hyderabad House, New Delhi ...	92
3524. बोकारो इस्पात चालक समिति द्वारा हड़ताल का अल्टीमेटम	Ultimatum for strike by Bokaro Ispat Chalak Samiti ...	92
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for adjournment ...	93—94
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हरिजनों पर कथित अत्याचार के बारे में	Re. Alleged atrocities on Harijans in Banda District of Uttar Pradesh ...	94—95

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	...	95—96
परिसीमन विधेयक—पुरःस्थापित	Delimitation Bill—*Introduced*	...	96—97
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. International Situation	...	97—123
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	...	97
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	...	100
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	...	102
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	...	104
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	...	107
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...	108
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	...	110
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee		112
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	...	113
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri V. K. Krishna Menon	...	114
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	...	117
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi	...	119
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	...	120
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	...	121
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	...	122
दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement re. Incidents in Delhi University	...	123—124
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	...	123

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 7 दिसम्बर, 1972/16 अग्रहायण, 1894 (शक)

Thursday, December 7, 1972/Agrahayana 16, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok Sabha met one minute past at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

डिफेंस इन्स्टीच्यूट आफ फायर रिसर्च पर व्यय

*341 **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिफेंस इन्स्टीच्यूट आफ फायर रिसर्च पर गत तीन वर्षों में कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) गत तीन वर्षों में उपरोक्त इन्स्टीच्यूट ने अनुसंधान और विकास की कौन-कौन-सी परियोजनाएं आरम्भ की हैं ; और

(ग) क्या अनुसंधान और विकास के परिणामों को पेटेन्ट करा लिया जाता है या सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध करा दिया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) डिफेंस इन्स्टीच्यूट आफ फायर रिसर्च पर इसकी प्रशिक्षण वचनबद्धता सहित, गत तीन वर्षों के दौरान कुल 28.48 लाख रुपये व्यय हुए ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जो परियोजनाएं आरम्भ की गई वे सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 955 रक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए अग्निशमन तथा अग्निरोधी कई तरह के पांच विभिन्न प्रकार के 36 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3936/72]

(ग) संस्थान द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं को पेटेन्ट किया जा रहा है।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान के कुछ परिणामों को चोरी-छुपे किसी अन्य देश भेज दिया गया है और इसके फलस्वरूप उसी देश से हम ऐसी कुछ वस्तुएँ आयात कर रहे हैं जो देश में ही बनाई जा सकती थीं ?

श्री जगजीवन राम : इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जगजीवन राम : यदि माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे कुछ ब्यौरा दें और उनके पास जो जानकारी है वह दें तो अवश्य ही इस मामले की जांच की जायेगी।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या यह सच है कि यह संस्थान 1964 से योग्यता-प्राप्त कर्मचारियों के बिना ही चल रहा है क्योंकि यहां उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कुछ पदाधिकारियों ने त्याग-पत्र दिया था ?

श्री जगजीवन राम : मैं इस प्रश्न में लगाये गए आक्षेप का खण्डन करता हूँ। यह कार्य रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन अनुसंधान और विकास विंग द्वारा किया जा रहा है। माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं मेरे विचार में वे सही नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि कोई पार्टी घटिया किस्म की वस्तु सप्लाई कर रही थी, जिसके फलस्वरूप एक हैलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया अथवा उसे बचाया नहीं जा सका ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब रहस्यपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री जगजीवन राम : जब तक इनके लिए कोई विशिष्ट नोटिस नहीं दिया जायेगा तब तक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर यह होगा कि माननीय सदस्य मंत्री महोदय को यह जानकारी प्रस्तुत कर दें।

श्री जगजीवन राम : यदि माननीय सदस्य इसका पूर्ण विवरण दें तो मैं अवश्य ही इस मामले की जांच करूंगा।

Changes in Family Pension Scheme

***342. Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation be pleased to state ;**

(a) whether Government propose to make changes in the family pension scheme ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Proposals to make certain procedural changes in the Family Pension Scheme are under consideration.

Dr. Laxminarain Pandeya : Mr. Speaker, Sir, in my question I have asked the hon. Minister to give the main features of the changes, in case the Government propose to make any. But the hon. Minister has replied that the proposals to make changes are under consideration. I want to know the main features of the proposed changes which the Government contemplates to make ; and I have clarified this in part (b) of my question.

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमने प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ परिवर्तन किए हैं, जैसे : (एक) भविष्यनिधि की राशि के अन्तर्गत आने वाले परिवार पेंशन निधि अंशदान को अलग करने के लिए नियोजकों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना और इस राशि को परिवार पेंशन निधि में जमा कराना; (दो) इस निधि में प्रवेश करते समय 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारी को इस योजना की सीमा से अलग करना ; (तीन) अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में परिवार पेंशन के लाभ की गणना करने का तरीका ; (चार) इस लाभ का संवर्तन करना ; (पांच) इस योजना के उपबन्धों से छूट देने हेतु निलम्बित पड़े छूट देने सम्बन्धी मामलों का निपटारा करने के लिए केन्द्रीय आयुक्त को शक्ति देना ; और (छः) निकासी लाभ सम्बन्धी गणना सूत्र को विशिष्ट बनाने के लिए स्पष्टीकरण जोड़ना ।

Dr. Laxminarain Pandeya : When do the Government propose to finalise the changes that are contemplated ? Is it a fact that the Government is going to change the definition of the term 'Family' and who will be benefited by this scheme ?

Shri Balgovind Verma : The proposed changes will be made soon so that the insured persons may not face any difficulty. So far as the matter of changing the definition of the term 'Family' is concerned, this is not under consideration.

Shri Ram Singh Bhai Verma : Is the hon. Minister aware of the fact that this Scheme will not be applicable in the case of an employee who has attained the age of 60 years ? An employee, who retires after attaining the age of 60 years will not be benefited by this Scheme, but when he dies while in service, his family will get this benefit. I want to know from the hon. Minister whether the Government will make this Scheme applicable even after an employee attains the age of 60 years ?

Shri Balgovind Verma : It is correct that this Scheme does not apply after the age of 60 years. This Scheme is applicable before the attainment of this age and if an employee dies while in service, the family of the deceased employee will get the benefit of this scheme.

Shri Ram Singh Bhai Verma : Is Government going to formulate any scheme by which an employee may get the benefit even after retirement on attaining the age of 60 years ?

Shri Balgovind Verma : An employee gets benefit of this in terms ot the age at which he joins the service The earlier an employee joins the service, the more benefit he is likely to get. So far as the quantum of Pension is concerned, it ranges from Rs. 40/- to Rs. 150/- provided he joins the service at the minimum permissible age. The earlier he joins, the more pension he will get.

श्री या घिरूतिनन : श्रम मंत्री महोदय ने कल ही कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में भी परिवार पेंशन योजना को लागू किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रेलवे विभाग भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो क्या परिवार पेंशन योजना रेलवे में भी लागू की जा रही है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य को जान लेना चाहिए कि रेलवे में सेवानिवृत्ति लाभ सम्बन्धी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। इसका मूल आशय मुख्यतया उन औद्योगिक कर्मचारियों को, जो भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं, पेंशन तथा बीमा सम्बन्धी लाभ देने का है।

Shri Damodar Fandey : Mr. Speaker, Sir, does not a man, who retires from service on attaining the age of 60 years, live in his family ? He lives in the family for a period of 60 years and if he remains alive beyond that period he will not get this benefit. Is this justice ? Now, if he dies before 60 years, his family will be entitled to this benefit, but, if he remains alive beyond that period he will not get this benefit. This is very strange. What steps are being taken to see that the benefit of family pension is enjoyed even after 60 years of age ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह परिवार पेंशन योजना है। यदि कोई व्यक्ति सेवा-निवृत्त हो जाए तो वह एकमुश्त 4000 रुपये प्राप्त करने का हकदार है। यदि वह अपने सेवाकाल में मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी और 1000 रुपये भी मिलेंगे। यदि वह सेवानिवृत हो जाए तो उसे एकमुश्त 4000 रुपये मिल सकते हैं।

Shri Ram Kanwar :The family pension scheme, which has been formulated by the Labour and Rehabilitation Minister, is not applicable beyond 60 years. What steps Government is going to take for the betterment of the landless and helpless mobile labourers ? Is there any scheme like Family Pension Scheme under consideration for these mobile labourers ?

Shri Balgovind Verma : There is no such scheme as has been mentioned by the hon. Member.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated, while giving reply to the main question, that proposals for making certain procedural changes in the Family Pension Scheme are under consideration. Then the hon. Minister in reply to a supplementary question has stated that the benefit of pension and insurance is given only to those Industrial employees who are members of the Provident Fund Scheme and that they propose to apply

Family Pension Scheme only to those industrial empolyees. A final decision has not been taken in this matter. The hon. Minister has also stated that if any person retires, Government intend to give him Rs. 4000/- in lumpsum. If that is so, what is the meaning of pension ? It means that so long as the retired person lives, some amount of money by way of pension should be paid every month to his dependent family members. Even after his death this pension should be continued to be paid to his family. In view of the present circumstances that the sons in the long run form separate families, is there any such scheme under consideration that the retired person, instead of being paid money in lumpsum, the whole of which may be spent by him, should be paid some subsistence amount every month and when it will be finalised ?

Shri Balgovind Verma : Regarding Family Pension Scheme, I have already mentioned that after an insured employee dies, his family will be entitled to get pension ranging from Rs. 40/- to Rs. 150/- per month. This pension will be continued to be paid to the minor children in case the wife of the deceased employee dies.

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been replied to. I have asked in the end that when the scheme, which is under consideration of the Government, will be finalised ? The hon. Minister in his main reply has said that proposals to make certain procedural changes in the Family Pension Scheme are under consideration. Now I want to know from the hon. Minister how long will he take in finalising the scheme ?

Shri Balgovind Verma : I have said that proposals to make certain procedural changes are under consideration.

Shri Hukam Chand Kachwai : When you propose to finalise them ? How much time will you take ?

Shri Balgovind Verma : We are going to finalise them as early as possible. It is under consideration of the committee.

हलकी मशीनगनों में प्रयोग के लिए तेलों की सप्लाई

*343. **श्री महादीपक सिंह शाक्य+ :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बालोटिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड रक्षा विभाग को हलकी मशीनगनों में प्रयोग के लिए सप्लाई किया गया मिनरल हाइड्रोलिक बफर आयल प्रयोग किया जाना बेकार पाया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) क्या चीफ इन्सपैक्टोरेट आफ मैटिरियल्स कानपुर के चीफ इन्सपैक्टर के विरुद्ध, जिसने तेल का निरीक्षण किया था तथा इसको मंजूर किया था, कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) मिनरल हाइड्रोलिक वफर तेल जिसे गन के रिकोयल सिस्टम में प्रयोग किया है, उसे मैसर्स बाल्वोलिन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने पूर्ति किया था । पूर्ति पूर्व तेल को विशिष्टियों के अनुसार सम्बन्धित ठेके के लिए स्वीकार करने योग्य पाया गया था । तथापि तेल में स्टोरेज के दौरान जेलिंग प्रकृति बढ़ गई थी । मामले की जांच की गई थी और इस दोष को ठीक करने के लिए एक साधारण तरीका किया गया था जिससे तेल पुनः प्रयोग के योग्य हो जाय तथा उपलब्ध भंडार अन्त में ठीक कर लिया गया है । तथा शेष के परिशोधन करने का कार्य चल रहा है ।

(ख) तेल के परिशोधन करने की लागत का अनुमान लगभग 75,000 रुपए का है । जी० एस० एण्ड डी० से अनुरोध किया गया है कि वह इस राशि को पूर्तिकर्त्ता से बचाए ।

(ग) इन्सपैक्टर आफ जनरल स्टोर्स, कलकत्ता जो एक स्वतंत्र प्राधिकारी है, थोक पूर्ति की सैम्पलिंग की थी तथा नमूनों की जांच एक अन्य प्राधिकारी नामतः चीफ इन्सपैक्टर आफ मैटिरियल्स कानपुर ने की थी और नमूनों को विशिष्टियों के स्वीकार करने योग्य पाया था । तथापि जैल की बनावट का विकास स्टोरेज वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त हुआ था । रक्षा निरीक्षण संगठन ने अनुसंध तथा विकास संगठन के सहयोग से जांच करने के आधार पर परिशोधीकरण का एक सरल तरीका निकाला है तथा सम्बन्धित विशिष्टियों को भविष्य की ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए परिशोधित कर दिया गया है ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए चीफ इन्सपैक्टर आफ मैटिरियल्स कानपुर या इन्सपैक्टर आफ जनरल स्टोर्स कलकत्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Maha Deepak Singh Shakya : The reply given by the hon. Minister is not clear. On the one hand he has accepted and on the other rejected it. The hon. Minister has stated in his statement that a simple method has been evolved to rectify this defect, to make the oil reusable and a good portion of the available stock has been rectified and the process of rectification is in progress. So, it has neither been properly rectified nor it is in crude form. Therefore, May I know the quantity of the remaining stock of oil and by what time it would be rectified ?

Shri Jagjivan Ram : I have already answered that in my main reply. As per specification, it was found acceptable at the time of test and that oil was taken but it was found defective when used. When defects were found, our Research and Development Department evolved a simple method to rectify it and after rectifying with that method that oil was used. A good portion of it has been rectified and the balance stock is in the process of rectification. It is given in the statement that the cost of rectifying it will be recovered

from the party· Now our scientists have prepared specification, having in mind the defects found in this oil, for the oil to be taken in future.

Shri Maha Deepak Singh Shakya : May I know the salient features of the scientific method evolved by them to rectify the oil ?

Shri Jagjivan Ram : The chemical which caused the defect has been neutralised along with its region.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the amount for which this oil was purchased and the expenditure incurred on rectifiying it ? At the same time, is it a fact that the sample of the oil was found acceptable but defective oil was supplied later on. The hon. Minister has said that cost of rectifying the oil would be recovered from the party. What action has been taken in this regard and when the amount is expected to be recovered ?

Shri Jagjivan Ram : The hon. Member should know that we purchase all such items through the Director General of Supplies and Disposals. He invites tenders and then takes a decision. The officials of D. G. S. & D. and our officials test them. After both the officials have conducted tests, that is taken.

Shri Hukam Chand Kachwai : Even then defective oil is supplied.

Shri Jagjivan Ram : There will be no need of my reply if the hon. Members talk amongst themselves. Whatever he has to say, he should say by getting up.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Was there any irregularity in testing the oil ?

Shri Jagjivan Ram : There was no irregularity. According to the specification, it was acceptable but when it was used, the defects were noticed. It was found out after test that there was impurity due to a chemical. I am giving the figures of the quantity of the oil for which orders were placed. Orders were placed for 1 lakh 62 thousand litres of oil valued at Rs. 4,85,476 and the second consignment consisted of 3,57,000 litres of oil valued at Rs. 11,06706. Its rectification cost us Rs. 75 thousand and the D. G. S. & D. has been asked to recover this amount from the party concerned.

Shri Hukam Chand Kachwai : When this oil was purchased ?

Shri Jagjivan Ram : I am giving the dates. First tender was invited on January 13, 1969 and the second on February 9,1970 and the supply was made by July, 1971.

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : मशीनी तेल मशीनगन के कल-पुर्जों में चिकनाई देने के लिए होता है। मंत्री महोदय ने बताया है कि तेल में कुछ खामियां पायी गई। यह खराबी किस प्रकार की थी ? क्या गर्म करने पर श्यानता (विस्कोसिटी) नहीं रहती ?

श्री जगजीवन राम : जैसाकि मैं विवरण में बता चुका हूं, जैल की बनावट का विकास हो जाता था और मैं बता चुका हूं कि जांच करने पर यह पता चला कि कुछ ऐसे रसायन थे जिन

के कारण दोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे शोधित कर दिया और वह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने बताया कि मशीनी तेल में किसी दूसरे पदार्थ के आ जाने से ऐसा हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा जान-बूझ कर किया गया···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा कि यह 'स्पेसिफिकेशन' के अनुसार आया था परन्तु बाद में इसका पता लगा। माननीय सदस्य का 'जान-बूझ कर' से क्या तात्पर्य है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : रक्षा प्रयोजनों के काम में आने वाला यह बड़ा नाजुक पदार्थ है मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मिश्रण किसी के कारण था (**व्यवधान**)। मैं 'तोड़-फोड़' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा परन्तु क्या किसी ने ऐसा जान-बूझकर किया जो थोड़ा धन कमाना चाहता हो अथवा क्या ऐसा संयोगवश हुआ ?

श्री जगजीवन राम : मैं नही समझता कि ऐसा जान-बूझकर किया गया हो क्योंकि इसके शुद्धिकरण के लिए पार्टी को भुगतान करना पड़ेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has stated that the oil was acceptable as per specificatiors but when used, it was found that it was defective due to lack of a certain chemical. Could this defect not been found out at time of testing it ? Is there any short-coming in the method of testing samples or the persons concerned were careless in testing it ?

Shri Jagjivan Ram : Neither there was any short-coming in the method nor any carelessness was there. Test was conducted in a right way according to the physical test and specifications. No such short-coming was found in the oil which has so far been used. After finding out defect this time, as I have already stated, the specification has been changed and this sort of test has also been included in it.

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी—अनुपस्थित।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

Military Exercises by Pakistan within 50 Miles from Indian Border

345. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will th Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether recently Pakistan carried out military exercises within the area of 50 miles from the Indian border as part of her war preparations ; and

(b) the reaction of Government thereto and the action taken by them in this regard ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को इसकी जानकारी है कि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र में जहां इस समय उसकी सेना नियोजित है, आम प्रशिक्षण अभ्यास किए हैं।

(ख) हमारे रक्षा उपायों का पुनरीक्षण करते समय ऐसी सभी गतिविधियों पर विचार किया जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether reports have been received about the mobilisation and concentration of Pakistani troops on the border ?

Shri Jagjivan Ram : As I have said, there have been troops on both sides of border since the cease-fire. On this side, there are Indian troops and Pakistani troops are there on the other side. When troops are deployed for long at a particular placc, it becomes necessary to have some changes in their deployment, to carry out normal training excercises. When such things take place on the other side, we also do similar things on our side.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether Government have received information about heavy concentration of Pakistani troops on the border ?

Shri Jagjivan Ram : There are no reports of big concentration. But it is a fact that there have been some changes in the developyment of troops on the other side. They are carrying out excercises too. But we also take necessary measures in view of the developments on the other side.

भारतीय वायु सेना के खराब विमानों को बदलना

*350. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री पी० के० जाफर शरीफ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षणार्थियों के उन पुराने तथा खराब विमानों को बदलने के लिए, जो विमान दुर्घटना के समय कभी-कभी भूमि से सम्पर्क स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं, क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) सरकार ने भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) भारतीय वायु सेना के उपयोग में आने वाले वायुयानों का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है। अप्रचलित/दोषपूर्ण वायुयानों को बदलने के लिए पहले की तरह कदम उठाए जाते हैं। किसी भी ऐसे वायुयान को उड़ान की तब तक अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि उसके उड़ने की क्षमता को प्रमाणित न कर दिया गया हो। प्रत्येक वायुयान में द्विमार्गी रेडियो टेलीफोन फिट रहता है जिससे वह उड़ान के दौरान भूमि नियंत्रण से संचार व्यवस्था रख सकें। भारतीय वायुसेना कर्मिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वायुयान को उड़ान की अनुमति प्रदान करने से पूर्व उसे कड़े क्षमता मानकों को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा जब वायुयान उड़ान पर हो और उसकी कार्य-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाय उस समय पायलट को अनुदेश है कि वह वायुयान से पैराशूट के साथ कूद जाये

या वायुयान से निकल जाये । भारतीय वायु सेना में दुर्घटना के प्रत्येक मामले की जांच, जांच अदालत के द्वारा की जाती है तथा समुचित बचाव के लिए कदम उठाए जाते हैं ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या बंगलौर में कुछ समय पूर्व इसी कारण से विमान-दुघर्टना हुई थी ? क्या यह सच है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं का एक कारण यह है कि पुराने और खराब होने के कारण विमानों का सम्पर्क भूमि पर नहीं जुड़ पाता है ?

श्री जगजीवन राम : अभी तक जांच चल रही है । इस विमान-दुर्घटना की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है ।

श्री एस० आर० दामानी : यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष कुछ दुर्घटनाएं पायलटों को प्रशिक्षण देते समय होती हैं । हाल ही में दो दुर्घटनाएं पूना में हुई थीं । उनके क्या कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो पुराने किस्म के विमानों के रख-रखाव के बारे में है । आप एक अलग बात पूछ रहे हैं ।

श्री एस० आर० दामानी : प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चालकों के विमानों की दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं ? पूना में हुई दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ?

श्री जगजीवन राम : हमें दुख है कि दुर्घटनाएं होती हैं और हमें कुछ अच्छे चालकों और विमानों से हाथ धोना पड़ता है । किन्तु प्रशिक्षण के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं हो ही जाती हैं । कुछ दुर्घटनाएं मानवीय गलती के कारण, कुछ मशीनी खराबी के कारण और कुछ चिड़ियों आदि के टकराने के कारण होती हैं । प्रत्येक मामले में जांच की जाती है। जांच समिति जो सुझाव अपने प्रतिवेदन में देती है, उसके अनुरूप दोष दूर करने के लिए कार्यवाही की जाती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते समय किसी अन्य दिन उनके सहयोगी मंत्री महोदय ने बताया था कि प्रशिक्षण के लिए 'किरण' विमान काम में लाया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि संकट के समय प्रशिक्षणार्थी के बचने के लिए उसमें क्या व्यवस्था है ? क्या उसमें से प्रशिक्षणार्थी-चालक स्वतः बाहर आ जाता है या उसे हवाई छत्री से कूदना पड़ता है।

श्री जगजीवन राम : मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं । मैं पता करूंगा और उन्हें बता दूंगा कि उक्त विमान में क्या व्यवस्था है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रशिक्षणार्थी-चालकों की सुरक्षा का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने कहा था कि उनके विमान से बाहर आने की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है । फिर भी गत तीन वर्षों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं ।

श्री जगजीवन राम : यही बात मैंने कही है कि उसमें क्या व्यवस्था है, इसके बारे में पता करके बताऊंगा ।

श्री मोहनराज कालिंगरायर : क्या यह सच है कि रूस में बने कुछ लड़ाकू विमानों के पुर्जों की हमारे यहां कमी है और इसी कारण से बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संगत नहीं है ।

बेरोजगारी संबंधी समिति का प्रतिवेदन

*351. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० भगवती की अध्यक्षता में बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने बहुत से स्थानों का अपना दौरा पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) विशेषज्ञ समिति ने जिन राज्यों का दौरा किया है उनके नामों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । समिति ने शेष राज्यों का दौरा नहीं किया है ।

(ख) समिति का कार्यकाल 28.2.1973 तक बढ़ा दिया गया है । समिति को आशा है कि वह उक्त तारीख तक अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देगी ।

विवरण

विवरण, जिसमें बेरोजगारी सम्बन्धी समिति द्वारा दौरा किये गए राज्यों तथा दौरों की समयावधियों का ब्यौरा दिया गया है :

क्रमांक	राज्य	दौरे की समयावधि
1.	केरल	17 से 20 अगस्त, 1971
2.	आंध्र प्रदेश	14 से 18 सितम्बर, 1971
3.	तमिलनाडु	12 से 16 अक्टूबर, 1971
4.	मैसूर	25 से 28 अक्टूबर, 1971
5.	पश्चिम बंगाल	8 से 11 नवम्बर, 1971
6.	दिल्ली	17 अप्रैल, 1972
7.	हरियाणा	8 से 9 मई, 1972
8.	महाराष्ट्र	14 से 17 जून, 1972
9.	गुजरात	28 से 30 अगस्त, 1972
10.	पंजाब	5 से 6 सितम्बर, 1972
11.	असम	22 से 25 सितम्बर, 1972
12.	उत्तर प्रदेश	28 से 30 सितम्बर, 1972
13.	जम्मू व कश्मीर	18 से 21 अक्टूबर, 1972
14.	बिहार	25 से 28 अक्टूबर, 1972
15.	उड़ीसा	9 से 11 नवम्बर, 1972

Shri Bhan Singh Bhaura : I would like to know the action taken on the interim report submitted by the Committee.

Shri Balgovind Verma : The interim report was examined and an inter-Ministerial group was appointed to consider the report. This group has taken some decisions and follow-up actions have been taken accordingly. A provision of Rs. 125 crores was made in the budget in accordance with the recommendation of the group.

Shri Bhan Singh Bhaura : Is the hon. Minister aware that unemployment is increasing day by day and no satisfactory solution has been found of this problem ? May I know whether a permanent commission is being appointed to go into the question of finding out the solution of the problem of unemployment ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न समिति के प्रतिवेदन और उस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है । स्थायी समिति बनाने का प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जहां तक बेरोजगारी की समस्या को हल करने का सम्बन्ध है, स्थायी समिति की नियुक्ति से वह हल होने वाली नहीं है । इसके लिए रोजगार-क्षमता को बढ़ाना होगा और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ।

Shri Shanker Dayal Singh : Is it a fact that the committee on Employment is not submitting its report for fear of their themselves being rendered unemployed ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री राजा कुलकर्णी : इस समिति ने कितने पेनल नियुक्त किये हैं और उनमें से कितनों ने प्रतिवेदन दे दिये हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है । उन्होंने पांच या छ: पेनल नियुक्त किये थे, किन्तु उनमें से कितने पेनलों ने रिपोर्ट दे दी है, यह हमें मालूम नहीं है ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, I have been rising again and again, but you are not giving any chance to me.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अवसर चाहते हैं तो अन्य सदस्यों को भी अवसर का उपयोग करने दीजिये ।

श्री माधुर्य हालदार : समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया था और वहां की बेरोजगारी की समस्या के बारे में विचार-विमर्श किया था । अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इस समिति ने उक्त प्रयोजन से बिहार का दौरा किया था किन्तु क्या वहां के मुख्य मंत्री राज्य में रोजगार की स्थिति पर विचार-विमर्श करने समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे ; यदि मुख्य मंत्री या सम्बद्ध अधिकारी समिति के साथ विचार-विमर्श करने नहीं आयेंगे तो समिति को वहां की रोजगार की समस्या के बारे में क्या मालूम होगा और वह क्या उपाय सुझायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो प्रतिवेदन के दिये जाने के बारे में है। यदि माननीय मंत्री उत्तर दे सकें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री आर० के० खाडिलकर : समिति से हमें दैनिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। वह अपने ढंग से कार्य करती है। मुझे यह पता नहीं है कि क्या बिहार के मुख्य मंत्री उनसे मिले थे अथवा नहीं। किन्तु मुख्य मंत्री के न मिलने से समिति के सामान्य निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : पिछली बार जब हम बेरोजगारी की स्थिति पर विचार कर रहे थे तो सरकार ने अपने उत्तर में यह नहीं बताया था कि देश में बेरोजगारों की कुल संख्या क्या है। क्या सरकार ने समिति को निदेश दिये हैं कि वह यह पता लगाये कि देश में कुल कितने लोग बेरोजगार हैं ? ऐसे आंकड़ों के अभाव में समिति का योगदान लाभप्रद न होगा।

श्री आर० के० खाडिलकर : समिति से यह आशा की जाती है कि वह समस्या के आकार का पता लगाये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सरल प्रश्न है और इस पर गत दो सप्ताह में कई बार चर्चा की जा चुकी है। किन्तु सदस्य फिर भी प्रश्न पूछते जा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम एक ज्वालामुखी की चोटी पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कई घंटे तक चर्चा की जा चुकी है।

संघ राज्य क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण

*353. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सरकार ने उन कृषि श्रमिकों, जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, उचित सरकार है, की वर्तमान न्यूनतम मजूरियों में संशोधन करने के बारे में टीकाओं/सुझावों के लिए प्रस्तावों के मसौदे 25 अगस्त, 1972 को प्रकाशित किए हैं।

(ख) प्रस्तावों के मसौदों के अनुसार, श्रमिकों के निम्नतम वर्ग (अकुशल) के लिए मजूरियां जो अभी तक 2.50 से 3.70 रुपये तक प्रतिदिन है, रोजगार के क्षेत्रों के अनुसार 3.00 रुपये से 4.50 रुपये तक प्रतिदिन संशोधित करने का प्रस्ताव है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : वर्ष 1948 के न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार हमें हर तीन वर्ष के बाद पुनरीक्षण करना चाहिए। क्या केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाती रही है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ? जब राज्य सरकारें ऐसा नहीं करती रहीं, तो केन्द्रीय सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये था। उनके चुप रहने के क्या कारण हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : केन्द्रीय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमने वर्ष 1969 में मजूरी का पुनरीक्षण किया था। अब हम पुनः पुनरीक्षण करने वाले हैं। हमने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है और हम टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद राजपत्र में अन्तिम रूप से अधिसूचित किया जायेगा।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : जहां पर पुनरीक्षण किया गया था वहां भी राज्य द्वारा अपेक्षा से कम मजूरी निर्धारित की गई थी। क्या निर्धारित दरों को क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यवस्था कायम की गई है क्योंकि अनेक राज्यों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें क्रियान्वित भी नहीं किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह बात ठीक है कि कुछ राज्य हमारे सुझावों या सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री माधुर्य हालदार : उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इसलिए हम खेतिहर श्रमिकों के सम्बन्ध में अलग कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।

Shri N. N. Pandey : May I know the names of the Chief Ministers who have expressed some difficulties in implementing the recommendations and also the details of the difficulties ?

Shri Balgovind Verma : The Government of Madhya Pradesh have expressed some difficulties with regard to our notification. The wages paid by them are very low. We wanted that minimum wage should be Rs. 4.50 especially in Dandakaranya. The State government expressed their inability to pay that much. Ultimately, they have agreed to pay Rs. 2.50. The Government of Bihar have also expressed their inability to pay the wage fixed by us.

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated that Rs. 2.50. or Rs. 3,00 are to be paid according to rules but agricultural labour is not being paid this much in any part of the country. They get a salary of Rs. 18 or 20 per month. I want to know whether any machinery has been set up to see whether fixed wage is being paid to them or not ? In case agricultural labour is not paid at the fixed rate, what action is proposed to be taken ?

Shri Balgovind Verma : We cannot do anything to enforce it where State Government is appropriate Government. In so far as the Central sphere is concerned, the agricultural labour is paid according to the rates fixed by us and if we come to know that they are not being paid according to rules, we take action against the defaulters.

Shri Hukam Chand Kachwai : I wanted to know as to what action is taken against the defaulters ?

Shri Balgovind Verma : We cannot take any action in a matter which falls under the jurisdiction of a State Government.

श्री वसंत साठे : क्या संघ राज्य क्षेत्रों में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजूरी दी जाती है ? क्या बढ़ते हुए मूल्यों के साथ न्यूनतम मजूरी का तालमेल रखने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है ताकि मूल्य-वृद्धि का प्रभाव समाप्त किया जा सके ? सरकार तीन वर्ष के बाद पुनरीक्षण करती है और इस बीच मूल्यों में वृद्धि हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक न्यूनतम मजूरी कम हो जाती है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : पुनरीक्षण के समय मूल्य-वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाता है । बहुत प्रयत्न करने के बावजूद, हम हमेशा न्यूनतम या आवश्यकता पर आधारित मजूरी नहीं दे पाते हैं ; यह स्पष्ट है । इस क्षेत्र में सरकारी तंत्र के अतिरिक्त मजदूर संघ के नेताओं ने भी ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी तरह उपेक्षा की है ।

Shri Sarjoo Pandey : The plight of agricultural labour of rural areas is miserable. I would like to know whether any machinery has been set up to see that rules framed by the Government are enforced properly ? The workers who resort to agitations are beaten up mercilessly. In view of this, I want to know whether any arrangements have been made by the Government ? It is not possible to start a peaceful movement there

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने बताया है, संविधान के अनुसार राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है । माननीय सदस्यों को, जो बहुत उत्तेजित हैं, श्रमिकों पर अत्याचारों के बारे में राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करना चाहिए ।

Shri Sarjoo Pandey : : When the Central Government formulates some rules, should it not set up a machinery to enforce them ?

श्री वसन्त साठे : यह विषय समवर्ती सूची में है । अतः केन्द्रीय सरकार के लिए इस सम्बन्ध में कानून बनाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

Shri M. C. Daga : May I know whether Minimum Wages Act or Famine Code has been enforced in famine-stricken States ?

Shri Balgovind Verma : The Famine Code and not the Minimum Wages Act is enforced there. It is a question of giving them relief. This is called gratuitous relief which is paid after getting some work from the person concerned.

श्री मनोरंजन हाज़रा : कितने राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किया गया है और उन राज्यों में मजूरी की न्यूनतम और अधिकतम दरें क्या हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमने पहले ही बता दिया है कि केन्द्रीय सरकार केवल उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण कर सकती है जहां केन्द्रीय सरकार ही उचित सरकार

है । जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, वे स्वयं न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण कर सकती हैं। मेरे पास ऐसे राज्यों की सूची है जिन्होंने न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण किया है। यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं उसे पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पंजाब में कोयले की कमी

*354. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब राज्य में कोयले की भारी कमी है जिससे औद्योगिक उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निकट भविष्य में इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) पंजाब के उपभोक्ताओं से कोयले और कोक की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पंजाब में छात्रों के आन्दोलनों और मुगलसराय में कतिपय संक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण, पंजाब के उद्योगों को कोयले का संचलन प्रभावित हुआ । दोनों मामलों में सुधार हुआ है और रेलवे समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए लदान में वृद्धि करने हेतु कार्रवाई कर रहे हैं।

क्योंकि कदाचार की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक उपभोक्ताओं को अपेक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, अब पंजाब सरकार ने उसकी जांच आरम्भ कर दी है ।

Shri Arvind Netam : I would like to know the quantum of demand and the supply of coal to Punjab from January, 1972 to date and whether it is a fact that whatever supply has been made, that has remained confined to big cities only ?

Shri Shahnawaz Khan : The average demand of Punjab is 5,000 to 6,000 wagons per month. This requirement is met but we have received some complaints that all the people do not get coal. The Governmont has investigated the matter and it has been found that there are many bogus firms which are getting coal and real cnnsumers are no able to get it. The licences of 150 firms have been cancelled and further action is in process. I hope when bogus firms will be eliminated, the consumers will get coal and there will be no shortage.

Shri Arvind Netam : The hon'ble Minister has said that main reasons for disruption in the supply are students' agitation and operational difficulty at Mughal Sarai. May I know whether there is something wrong in the Department itself due to which supplies are disrupted ?

Shri Shahnawaz Khan : My only fault is that coal is lying in huge quantity but there is shortage of railway wagons. Sometime students' agitation starts and they attack railway station and movement of railway is thereby stopped. There is no shortage of coal.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या छात्र आन्दोलन और मुग़लसराय में गड़बड़ के कारण पंजाब को कोयले की सप्लाई में कमी को रेक्स की सप्लाई द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से पूरा किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : यदि हम या पंजाब सरकार यह महसूस करें कि वहां कोयले की तत्काल आवश्यकता है तो रेलवे (संयुक्त निदेशक, कोयला) द्वारा रेक्स की व्यवस्था की जा सकती है ।

Shri B. S. Bhaura : He said that the licences of 150 firms had been cancelled. Will the hon'ble Minister be pleased to state whether he will investigate as to how coal wagons were taken by these firms ? According to my information, they paid Rs. 4,000 per wagon.

Shri Shahnawaz Khan : The hon'ble Member might be aware that there is no control over distribution and movement of coal since July, 1967. It is free. The consumers get their requirements directly from the producers. The Government has nothing to do with it.

Shri Phool Chand Verma : It has been stated that shortage of coal is due to the taking away of coal by some bogus firms. May I know the number of such firms and action being taken against them by the Government ?

Shri Shahnawaz Khan : I have already stated that Punjab Government has cancelled the allotment to 150 bogus firms and they are trying to detect others.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन द्वारा युगांडा का मामला उठाया जाना

*344 **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में हाल ही में युगांडा में भारतीय मूल के निवासियों का मामला उठाया था ;

(ख) इस मामले पर सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने युगांडा सरकार की जाति-भेद की नीति के विरुद्ध दूसरे देशों पर प्रभाव डालने का कोई प्रयास किया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 27वें सत्र की कार्यसूची में 'उगांडा से एशियाई लोगों के निष्कासन के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम (इंटरनेशनल इम्पलीकेशन आफ एक्सपलशन आफ दी

एशियन कम्यूनिटी फ्रोम युगांडा) नामक विषय को भी विषय सूची में शामिल कर लेने का सुझाव रखा था। महासमिति जब इस सुझाव पर विचार कर रही थी तभी ब्रिटिश प्रतिनिधि ने घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दबाव नहीं डालेग क्योंकि एशियाई लोगों के उगांडा छोड़ने की परिस्थितियों में सुधार के लिए कुछ पहल की गई है। परन्तु वह इस समस्या पर कड़ी निगरानी रखेगी और यदि आवश्यक हुआ तो इसे पुनः उठाएगी। इस प्रस्ताव पर महासभा में बहस नहीं हुई थी।

(ख) 3 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए मैंने इस विषय की चर्चा की थी और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया था और यह भी कहा था कि जो लोग निकाले जा रहे हैं उन लोगों की परिसम्पत्ति के बारे में न्यायसंगत कार्यवाही की जाए तथा जातीय भेद की बुराई के हर रूप का विरोध किया जाए।

(ग) जी हां। हमारे प्रधान मंत्री ने अफ्रीका के अनेक राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को पत्र लिखे हैं जिनमें उगांडा सरकार के निष्कासन आदेश के जातीय स्वरूप की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

*346. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सरकार कहीं अधिक कर्मचारियों पर लागू करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना को जनसंख्या के अधिक वृहत् भाग पर विस्तृत करने का प्रश्न सन्दर्श योजना समिति के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) इस समय समिति कर्मचारी राज्य बीमा योजना को नियोजन के नये क्षेत्रों पर मुख्यतया छोटे कारखानों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, खानों और बागानों को सम्मिलित करने वाले, क्रमिक रूप से विस्तृत करने की एक सन्दर्श योजना बनाने में रत है। समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने और उस पर विचार होने के पश्चात् ही, क्रियान्वित करने का प्रश्न उठेगा।

Profiteering and Blackmarketing in Bhilai Steel Plant

*347. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether there have been incidents of profiteering and blackmarketing in the Bhilai Steel Plant during the last three years ; and

(b) if so, the action taken against the guilty persons, year-wise ?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumarmangalam) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत पर लक्षित अमरीकी बम्ब के कथित समाचार

*348. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1972 के 'दि राइजिंग सन' में 'वाज यू० एस० बाम्ब ऐम्ड एट इंडिया' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के पास इस बात पर विश्वास करने का कोई प्रमाण नहीं है कि जिस बम्ब से फ्रांसीसी मिशन नष्ट हुआ उसका लक्ष्य दरअसल भारतीय मिशन था।

Proposal for World Conference of Non-Nuclear Countries

*349. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether Government propose to take an initiative to convene a World Conference of non-nuclear countries with a view to review their policy of non proliferation of nuclear weapons ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : No, Sir.

प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तान को बंगला देश के साथ समझौता करने की सलाह

*352. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि उपमहाद्वीप में प्रगति के रास्ते की रुकावट दूर करने के लिए वह बंगला देश सरकार के साथ समझौता कर ले ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बार-बार यह कहा है कि संबंधों को शीघ्र सामान्य करने के लिए और इस उपमहाद्वीप में स्थायी शांति के लिए बंगला देश को मान्यता प्रदान करना बहुत आवश्यक है।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने यह संकेत दिया था कि वे बंगलादेश को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रहे हैं।

युगांडा के एशियाई मूलक लोगों के पुनर्वास में राज्यों द्वारा सहायता

*355. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्रीमती भार्गवी तंकप्पन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय राज्यों के नाम क्या हैं जो युगांडा से आने वाले भारत मूलक लोगों के पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए आगे आये हैं ; और

(क) अब तक कितने भारतीय आये हैं और राज्यों द्वारा उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों, जिनमें कि अधिकांश प्रत्यावासी चले गये हैं, के परामर्श से इनके पुनर्वास की योजना तैयार की जा रही है।

(ख) 30-11-1972 तक युगांडा से 7835 व्यक्ति भारत आए हैं। पासपोर्ट के आधार पर उनका विभाजन इस प्रकार है :—

भारतीय	4624
यू० के०	2453
युगांडा	555
कैन्या	2
तनजानिया	1
राज्य-विहीन	200

इन लोगों को भारत पहुँचने पर तत्काल अपेक्षित राहत सहायता सीधे भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

जापान के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना

*356. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग से भारत में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमार मंगलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-जापान सम्बन्ध

*357. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री की हाल की जापान यात्रा के पश्चात् दोनों देशों के सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो जापान के कितने अध्ययन दलों ने भारत की यात्रा की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जापान से भारत के सम्बन्ध हमेशा मित्रता व स्नेहपूर्ण रहे हैं । वित्त मंत्री की यात्रा से आपसी हितों के मामलों पर विचार-विमर्श का अवसर मिला तथा दोनों देशों के बीच विद्यमान मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने में सहायता मिली ।

(ख) भारत में निवेश सम्बन्धी संभावनाओं का पता लगाने के लिए जापान के महत्वपूर्ण व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों के एक 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर, 1972 में भारत का दौरा किया । जापान का एक अन्य प्रतिनिधि मंडल डा० नागानो के नेतृत्व में दिनांक 5 दिसम्बर से दिल्ली आ रहा है जो भारत-जापान व्यापार-सहयोग समिति की पांचवीं संयुक्त बैठक में भाग लेगा ।

इस्पात सम्बन्धी 'होलिंडग कम्पनी' का अध्यक्ष

*358. **श्री राज राज सिंह देब** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1972 के साप्ताहिक 'मार्च आफ दि नेशन' में इस्पात सम्बन्धी होलिंडग कम्पनी के अध्यक्ष के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमार मंगलम्) : (क) सरकार को उक्त समाचार की जानकारी है ।

(ख) सरकार समाचार में व्यक्त किये गये विचारों से सहमत नहीं है ।

भारत-स्वीडन स्थायी संयुक्त आयोग की स्थापना

*359. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री कमला मधुकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-स्वीडन स्थायी संयुक्त आयोग स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीडन के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की है ; और

(ग) उक्त आयोग के मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) नवम्बर, 1972 में स्वीडन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग की स्थापना सम्बन्धी पत्रों का आदान-प्रदान किया गया। पत्रों में प्रमुख उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का समावेश है और उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—3937]

'हैवी मैल्टिंग स्क्रैप' का उत्पादन

*360. **श्री एस० ए० मुरुगानन्थन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हैवी मैल्टिंग स्क्रैप' की अनुमानित आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या इस समय इस आवश्यकता को आयात द्वारा पूरा किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार की देश में 'हैवी मैल्टिंग स्क्रैप' का उत्पादन करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमार मंगलम) : (क) इस मंत्रालय द्वारा रद्दी लोहे के लिए गठित कार्यकारी दल ने तरल धातु के अनुमानित उत्पादन के आधार पर हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की आवश्यकताओं का निम्नलिखित अनुमान लगाया था :—

1972-73	6.97 लाख टन
1973-74	7.82 लाख टन
1974-75	8.65 लाख टन

(ख) हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की आवश्यकताएं मुख्यतः देशीय स्रोतों से पूरी की जाती हैं। देशीय उपलब्धि को बढ़ाने के लिए वर्तमान आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं की हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की आवश्यकता का 20 प्रतिशत तक आयात करने की भी व्यवस्था है।

(ग) और (घ) विशेष रूप से स्क्रैप का उत्पादन नहीं किया जाता है, परन्तु यह विभिन्न कार्यों के परिणामस्वरूप निकलता है और सरकार इसकी बचत तथा इसके ठीक तथा मितव्ययी ढंग से इस्तेमाल के लिए उपयुक्त उपाय करने के बारे में कार्यवाही कर रही है।

भारत से बाहर बसे भारतीय राष्ट्रिक

3392. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बाहर कितने भारतीय राष्ट्रिक बसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के व्यवसाय क्या हैं और उनके भारत छोड़ जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) गत छः महीनों में कितने लोग वापस भारत आये हैं और ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो किसी देश के नागरिक नहीं हैं और उनके भविष्य के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा संकलित होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी। भारत के राष्ट्रिकों की समस्याओं पर भारत सरकार सम्पर्क बनाए रखती है। भारत से बाहर बसे भारतीय राष्ट्रिकों को सरकार सामान्य कौंसली सुरक्षा प्रदान करती है।

Rehabilitation of Changthang Snowfall Victims

3393. **Shri Kush›k Bakula** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the residents of Changthang located on India-Tibet border are mainly dependent on milk and wool of sheep and goats and a large number of their cattle have perished on account of heavy snow-fall and shortage of grass as a result of which they are facing financial crisis ; and

(b) the main points of the scheme being formulated by Government for their rehabilitation ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

जिला गुरदासपुर (पंजाब) में पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन

3394. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री पंजाब में पैट्रोल पम्प स्थापित करने को लाइसेंस दिये जाने के बारे में 26 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गये जिला गुरदासपुर (पंजाब) के सैनिकों के

आश्रितों से गुरदासपुर जिले में पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जाने के बारे में कोई नये ग्रभ्यावेदन मिले हैं क्योंकि उनकी पहले की गई कार्यवाही सुविधाजनक नहीं थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) इण्डियन आयल कम्पनी से उत्तरी क्षेत्र में और अधिक लाइसेन्स देने का अनुरोध किया गया है ताकि आवेदकों को उनके अपने राज्यों में ही बसाया जा सके और मामला उनके विचाराधीन है ।

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के स्टाफ की पुनः नियुक्ति

3395. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय के स्टाफ को मार्च, 1972 मास में केन्द्रीय (फालतू स्टाफ) सैल द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए या उसी कार्यालय में कार्य करते रहने के बारे में इच्छा व्यक्त करते समय भ्रम में डाला गया था क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वहां कुछ सप्ताह में और भी कमी की जायेगी ;

(ख) क्या स्टाफ में ऐसी कोई कमी नहीं की गई है ;

(ग) क्या प्राधिकारियों के इस कार्य से उन वरिष्ठ कर्मचारियों के सेवा-हितों को नुकसान नहीं पहुंचा है जिन्होंने इस भय से उस सैल द्वारा पुनर्नियुक्ति की इच्छा व्यक्त की थी कि कुछ ही सप्ताह में और छंटनी होगी ; और

(घ) यदि हां, तो पुनर्वास विभाग द्वारा अब क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं । कर्मचारियों से उनकी इच्छा जानते समय सारी स्थिति उनके समक्ष रख दी गई थी । यह निर्णय प्रत्येक कर्मचारी पर छोड़ दिया था कि क्या वह पुनर्नियुक्ति के लिए तत्काल केन्द्रीय (फालतू स्टाफ) सैल में जाना चाहता है या तब जाना चाहता है जब सामान्य रूप में उसकी बारी आएगी ।

(ख) आन्तरिक कार्य अध्ययन यूनिट पहले ही स्टाफ की आवश्यकता के बारे में आगे विचार कर रहा है और यह संभव है कि निकट भविष्य में कुछ और पदों को कम करने की सिफारिश कर दी जाय ।

(ग) और (घ) सामान्यतया फालतू स्टाफ की पुनर्नियुक्ति की योजना के अनुसार कर्मचारियों को किसी ग्रेड में उनकी वरीयता के विपरीत क्रम में भेजा जाता है । फिर भी

कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन करने पर वरिष्ठ कर्मचारियों को बाद में भेजे जाने के लिए संगठन में रहने की इच्छा व्यक्त करने की छूट देते समय वन्दोबस्त संगठन के मामले में विभिन्न ग्रेडों में नियमित बरीयता के अनुसार छंटनी को दृढ़ता से लागू करने की विशेष छूट दी गई थी। इसलिए स्टाफ के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

राजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई प्रशासन द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

3396. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के प्रशासन की अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या यह कम्पनी अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बनाई गई सहकारी गृह-निर्माण समिति को अन्य सरकारी उपक्रमों तथा भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की तुलना में अधिक ब्याज पर ऋण देती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और ब्याज की अधिक दर लेने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) तथा (ग) राजगांव डाक लिमिटेड, सहकारी गृह-निर्माण समितियों को जिन्हें इसके कर्मचारी चलाते हैं, मकान की लागत का 20% तक ऋण प्रदान करते हैं। अफसरों के मामलों में कम्पनी निम्नलिखित ऋण देती हैं :—

(i) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ इंजीनियरों को 12,000 रुपये तक मकान बनाने के लिए जिसकी लागत लगभग 35,000 रुपये होती है; तथा

(ii) उच्चतर रेंक के अफसरों को मकान बनाने के लिए 15,000 रुपये तक दिए जाते हैं जबकि मकान की लागत लगभग 45,000 रुपये होती है। वित्तीय बचत बद्धता को पूरा करने के लिए कम्पनी को स्टेट बैंक आफ इण्डिया से ऋण लेना पड़ता है तथा ब्याज की दर वही कार्मिकों से वसूल की जाती है जो कि बैंक कम्पनी से वसूल करती है।

त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय की इमारत तथा कर्मचारियों के क्वार्टर

3397. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नई इमारत तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के बारे में 30 मार्च, 1972

के अतारांकित प्रश्न संख्या 1504 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि के सौदे सम्बन्धी औपचारिकताओं में अनावश्यक विलम्ब किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मामले के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने हेतु त्रिवेन्द्रम के पत्तन प्लेस क्षेत्र में साढ़े सात एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, त्रिवेन्द्रम स्थित प्रादेशिक कार्यालय के परिसर में 5 मंजिल वाला कार्यालय भवन निर्मित करने संबंधी प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के स्थानीय न्यासी (राज्य सरकार के प्रतिनिधि) ने सुझाव दिया कि पत्तन प्लेस क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है, वहां कर्मचारियों के क्वार्टरों के साथ-साथ प्रादेशिक कार्यालय के भवन का भी निर्माण किया जाय। इसके अतिरिक्त, अर्नेकुलम और त्रिचुर के आस-पास केरल प्रदेश का एक उप-प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के विचाराधीन है। जब तक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड उप-कार्यालय के स्थापित किए जाने अथवा न किए जाने के बारे में निर्णय नहीं ले लेता, तब तक त्रिवेन्द्रम में कार्यालय और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए दरकार स्थान का सही-सही ब्यौरा तैयार नहीं किया जा सकता।

कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कोई देरी नहीं हुई है। प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, केरल ने हाल ही में सूचना दी है कि भूमि अधिग्रहण कलक्टर ने भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक धनराशियों की मांग की है। अपेक्षित राशि प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को 17-11-1972 को भेज दी गई है।

केरल में चीनी मिट्टी

3398. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, एर्णाकुलम तथा कन्नानूर के चार जिलों में चीनी मिट्टी के 830 लाख टन के भण्डार होने का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो चीनी मिट्टी के व्यापक वाणिज्यिक स्तर पर निकाले जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) केरल के कन्नानौर, क्वीलोन, तिरुवनंतपुरम और कोजिकोडे जिलों में चीनी मिट्टी की 679.00 लाख टन की कुल उपलभ्य राशियां अनंतिम रूप से प्राक्कलित की गई हैं। एर्णाकुलम को छोड़कर, ऊपर लिखित समस्त जिलों में चीनी मिट्टी खानित की जा रही है। हाल ही में एर्णाकुलम जिले में चीनी मिट्टी के लिए एक पट्टा भी अनुदत्त किया गया है।

केरल राज्य योजना बोर्ड ने चीनी मिट्टी को सम्मिलित कर कार्ययोग्य खनिज निक्षेपों को मितव्ययतापूर्वक खनित करने के प्रस्ताव के लिए खनिजों और खनन के बारे में हाल ही में कार्य-दल को गठित किया है।

टैक्निकल आफिसर्स एसोसिएशन डाक यार्ड लेबर, यूनियन और मजगांव डाक क्लेरिकल स्टाफ यूनियन की मांगें

3399. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्निकल आफिसर्स एसोसिएशन, डाकयार्ड लेबर यूनियन और मजगांव डाक क्लेरिकल स्टाफ यूनियन ने अपने-अपने मांग-पत्र वर्ष 1967 में भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मांगों का द्विपक्षीय वार्ता द्वारा मित्रतापूर्ण ढंग से समाधान कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) स्थिति निम्नांकित है :—

टेक्निकल आफिसर्स एसोसिएशन

यह मजगांव डाक लिमिटेड के कुछ अधिकारियों का एसोसिएशन है। इसका सही नाम 'शिपयार्ड टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन' है। इस एसोसिएशन द्वारा 1967 में 'मांग-पत्र' जैसी कोई मांगें नहीं भेजी गईं। तथापि, एसोसिएशन ने सितम्बर, 1967 में कम्पनी में अफसरों की सेवा शर्तों के बारे में 'प्रस्तावों' का एक सेट प्रस्तुत किया था। इन प्रस्तावों, जिनका सम्बन्ध मुख्यत: पद में परिवर्तन, वेतन-मान, अवकाश, समयोपरि भत्ता, उपदान तथा दुर्घटना, बीमा आदि से है, पर प्रबन्धकों द्वारा विचार किया गया और अफसरों की कुछ सेवा शर्तों को पहली अक्तूबर 1968 से कम्पनी के डायरेक्टरों के बोर्ड द्वारा परिशोधित कर दिया गया। तत्पश्चात, एक उपदान योजना भी चलाई गई और अफसरों के परिवारों के लिए चिकित्सा हितों को भी मंजूर किया गया। दिसम्बर, 1970 में मजगांव डाक लिमिटेड के अफसरों को मकान बनाने, मकान अथवा फ्लैट खरीदने के लिए ऋण मंजूर करने की योजना भी चालू की गई। पहली अप्रैल, 1971 से

महंगाई भत्ता जो कम्पनी के अफसरों को केन्द्र सरकार के समान वर्ग के अधिकारियों की समान दर पर ग्राह्य था उसे मूल वेतन के आधार पर 50 रुपये से 75 रुपये प्रतिमास तक बढ़ा दिया गया ।

डाक यार्ड लेबर यूनियन

इस संघ ने जनवरी, 1968 (1967 में नहीं) में अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया था । मांगें मुख्यत: वेतन-मान तथा भत्तों, महंगाई भत्ता, छुट्टी लाभ (सवेतन छुट्टी सहित) भविष्य निधि, उपदान, मकान किराया भत्ता और चिकित्सा लाभ आदि से सम्बन्धित थीं । द्विपक्षीय बातचीत के परिणामस्वरूप, प्रबन्धकों द्वारा संघ के साथ 16 जनवरी 1969 को एक समझौता किया गया था । इस समझौता की मुख्य-मुख्य बातें निम्नांकित हैं । यह समझौता पहली अक्तूबर, 1968 से 3 वर्ष तक लागू रहा ।

(1) एक वेतन-वृद्धि द्वारा वेतनमानों में वृद्धि ; (2) भविष्यनिधि में न्योक्ता के अंशदान में वृद्धि ; (3) सवेतन अतिरिक्त वृद्धि ; और (4) कतिपय अन्य सम्बन्धित हितों में सुधार । पहला समझौता 1971 को समाप्त हो जाने के पश्चात् संघ ने अब नया मांग-पत्र प्रस्तुत किया है, और ये प्रबन्धकों के विचाराधीन हैं ।

मजगांव क्लेरीकल स्टाफ यूनियन

इस यूनियन ने दिसम्बर 1967 में अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया । उनकी मुख्य मांगें वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की दिशा में परिशोधन, महंगाई भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा तथा सेवान्त लाभ आदि से सम्बन्धित थी । यूनियन के साथ बात चीत की गई परन्तु कोई समझौता न हो सका । अत: प्रबन्धकों तथा यूनियन के संयुक्त आवेदन पर यह मामला औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेज दिया गया । औद्योगिक अधिकरण के समक्ष दोनों पक्षों का प्रस्तुतीकरण अगस्त, 1972 तक पूरा हो गया और उनके निर्णय की प्रतीक्षा है ।

मजगांव डाक लिमिटेड के सुरक्षा स्टाफ जिसका प्रतिनिधित्व पहले डाक यार्ड लेबर यूनियन द्वारा किया जाता था उसने अपनी निष्ठा बदल दी है और मजगांव डाक क्लेरीकल स्टाफ यूनियन के साथ मिल गये हैं । यूनियन ने सुरक्षा कर्मचारियों से सम्बन्धित नया मांग-पत्र अप्रैल, 1972 में प्रस्तुत किया, जिसमें वेतनों में वृद्धि तथा सुरक्षा कर्मचारियों के सदस्यों की अन्य सेवा शर्तों में सुधार की मांग की गई थी । ये मांगें अब प्रबन्धकों के विचाराधीन हैं ।

मजदूर संघ आन्दोलन को सरकार के समर्थन के बारे में निर्णय

3400. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस और खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'मजदूर संघ और विकास' सम्बन्धी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के समापन समारोह में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रधान द्वारा 14 अक्तूबर, 1972 को

दिये गए भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से इस सम्बन्ध में तुरन्त अपना निर्णय बताने की मांग की गई थी। वह किस मजदूर संघ के आन्दोलन का समर्थन करना चाहती है और वह राष्ट्र के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मजदूर संघों से क्या तरीके अपनाने की आशा करती है; और

(ख) यदि हां, तो यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी हां। प्रत्यक्षतः सरकार देश में श्रमिक संघ आन्दोलन के किसी भाग के प्रति पक्षपाती नहीं हो सकती और न ही यह निर्धारित कर सकती है कि वह कौन-सा मार्ग अपनाए। तथापि, सरकार बहुत इच्छुक है कि सभी श्रमिक संघ इस ढंग से कार्य करें जो अच्छे और स्थायी औद्योगिक सम्पर्कों और उद्योग में उच्चतर उत्पादन और उत्पादिता के लिए सहायक हों।

दरीबा तांबा परियोजना

3401. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरीवा तांबा परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि हां तो उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना पर कितनी लागत आयेगी, उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। दरीबा ताम्र आयोजना में मार्च, 1972 में कार्य शुरु किया गया। अक्तूबर, 1972 के अन्तिम चरण तक, खान के विकास कार्य में लगभग 300 मीटर स्तर तक प्रगति हुई है और मुख्य प्रवेश मार्ग की ऊंचाई और चौड़ाई को वर्धित करने का अलेपन कार्य और सुरंग में लगभग 1500 मी० गहराई तक प्रगति हुई है। सान्ध्र संयंत्र के मामले में, सिविल कार्यों में 87% प्रगति हुई है। इस्पात संरचनाओं के निर्माण और स्थापना में लगभग 70% प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। कार्य में अनुसूचित प्रगति से अधिक प्रगति हुई है।

(ख) प्रायोजना की कुल लागत लगभग 118 लाख रुपये है। इसको भारतीय जानकारी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें कोई विदेशी मुद्रा अन्तर्वलित नहीं है। प्रायोजना द्वारा प्रतिदिन 100 टन ताम्र अयस्क का उत्पादन परिकल्पित है, जिसे कार्यस्थल पर सान्द्रित कर प्रद्रावण तथा परिशोधन के लिए खेतड़ी ताम्र प्रायोजना की ओर परिवहित किया जायेगा। प्रायोजना द्वारा अक्तूबर, 1973 में उत्पादन आरम्भ किया जाना अनुसूचित है।

श्रमिक निदेशकों की नियुक्ति

3402. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) उनके नियंत्रणाधीन उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें श्रमिक निदेशक नियुक्त किये गए हैं और अब तक इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनके नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों में श्रमिक निदेशक कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे और उन उपक्रमों के नाम क्या है जिनमें सर्वप्रथम यह प्रयोग किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जहां तक रक्षा उपक्रमों का संबंध है, यह निश्चित किया गया है कि उन्हें प्रबन्धकों के बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की योजना की सीमा से बाहर रखा जाए।

मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के बारे में मूल जानकारी

3403. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 16 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 720 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय स्वरूप वाले चार मान्यता प्राप्त केन्द्रीय कार्मिक संघों की सदस्य संख्या के बारे में 31 दिसम्बर, 1970 तक कार्मिक संघों के रजिस्टरों के रिकार्ड से एकत्र की गई मूल जानकारी क्या है; और

(ख) क्या उसकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मजदूर संघों के पंजीयक के अभिलेखों के आधार पर एकत्रित की गई सूचना, जैसी कि वह 31 दिसम्बर, 1970 को थी, उन मजदूर संघ संगठनों की सदस्य संख्या के बारे में थी, जो अखिल-भारत स्वरूप का दावा करते हैं और राष्ट्रीय त्रिपक्षीय निकायों में प्रतिनिधित्व चाहते हैं और ये संगठन चार मान्यता-प्राप्त केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों से भिन्न हैं। सूचना इस प्रकार है :

संगठन का नाम	दावा किया गया		वे आंकड़े जिनका पता मजदूर संघों के पंजीयक के अभिलेखों से लगाया जा सका	
	संघों की संख्या	सदस्य संख्या	संघों की संख्या	सदस्य संख्या
1	2	3	4	5
1. भारतीय मजदूर संघ	998	5,52,170	775	4,13,560
2. भारतीय मजदूर संघों का केन्द्र	1,852	8,80,690	1,218	7,20,759
3. संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस, 48-लेनिन सारानी, कलकत्ता	82	1,97,687	73	1,75,670

1	2	3	4	5
4. श्रम प्रगतिशील महासंघ	169	1,49,016	45	49,183
5. भारतीय मजदूर संघों का राष्ट्रीय मोर्चा	239	3,42,541	119	76,823
6. स्वतंत्र मजदूर संघों का भारतीय महासंघ	582	9,14,227	34	98,231
7. हिन्द मजदूर पंचायत	दावे प्रस्तुत नहीं किए ।			
8. स्वतन्त्र मजदूर संघों की समन्वय समिति	दावे प्रस्तुत नहीं किए ।			

यह स्पष्ट कर दिया जाय कि इन संगठनों की सदस्य संख्या की मान्यता-प्राप्त सत्यापन कार्य-पद्धति के अनुसार जांच नहीं की गई है ।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिया जाना

3404. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्ड में अब तक मजदूर निदेशकों की नियुक्ति की गयी है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्डों में पहले ही काम कर रहे हैं ;

(ग) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां सरकार का विचार मजदूर-निर्देशकों को रखने का है और प्रत्येक ऐसे उपक्रम में मामले किस-किस अवस्था में हैं; और

(घ) सभी सरकारी उपक्रमों में मजदूर-निर्देशकों की नियुक्ति कब तक की जायेगी और उस हेतु चुनाव का आधार क्या होगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हिन्दुस्तान ऐंटीबायाटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में एक श्रमिक निदेशक मियुक्त किया जाना है । प्रबन्धकों ने नामों की एक नामिका हेतु संघ को सम्बोधित किया है । यह सूचना मिली

है कि संघ ने नामिका के लिए तीन श्रमिक सदस्य चुनने हेतु 19-10-1972 को चुनाव किया लेकिन चुनाव के परिणाम की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि प्रतियोगियों में से एक ने चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक निदेशकों की नियुक्ति की योजना आजमायशी आधार पर है। अतः ऐसी नियुक्तियां करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रमिक निदेशक के चयन के लिए मानदण्ड यह है कि व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु का हो चुका होना चाहिए और उसे उपक्रम में कम-से-कम पांच वर्ष की सेवा कर चुके होना चाहिए और वह निदेशक के रूप में नियुक्ति की अवधियों के दौरान वार्धक्य की आयु को प्राप्त नहीं हो जाएगा।

नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्यवाही

3405. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की तुरन्त आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार तुरन्त क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार नौसेना की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। युद्धपोतों के स्वदेश में निर्माण में तीव्रता तथा विस्तार द्वारा और जहां तक व्यवहार्य हो इनकी पूर्ति नए युद्धपोत प्राप्त कर नौसेना बेड़े में नए जहाज जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वित्तीय स्रोतों के नियन्त्रण और युद्धपोत निर्माण का स्वदेशी क्षमता के अनुसार हमारी नौसेना को विकसित तथा सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विदेशों से आये भारत-मूलक लोग

3406. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका, उगांडा तथा अन्य देशों से कितने भारत मूलक लोगों को वापस भेजा गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य ने कितने-कितने लोगों को स्वीकार किया है; और

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :

(क)	बर्मा	1,96,518 व्यक्ति
	श्रीलंका	79,025 व्यक्ति
	मोजाम्बिक	2,300 व्यक्ति
	यूगांडा	4,660 व्यक्ति
	नेपाल	3,000 व्यक्ति

(ख) विवरण I संलग्न है।]
(ग) विवरण II संलग्न है।] [**ग्रंथालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी०** 3938/72]

उड़ीसा में खनन परियोजनाएं

3407. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तीन खनन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो हाल ही में उड़ीसा में आरम्भ की गई हैं ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत और क्षमता क्या है और उपरोक्त तीन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) उड़ीसा में आरम्भ किए जाने वाली तीन प्रस्तावित खनन परियोजनाओं के नाम और उनके बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

1. उड़ीसा के कटक जिले में सुकिन्दा निक्षेप

केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले में के निकल निक्षेप के विकासार्थ एक निगम स्थापित करना स्वीकार किया है जिसमें पूर्ववर्ती के 51 प्रतिशत शेयर और पश्चात्वर्ती के 49 प्रतिशत शेयर होंगे ; साध्यता अध्ययनों के अनुसार, 32.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, निकल निष्कर्षण संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता उपोत्पाद के रूप में निकल चूर्ण के 4800 टन, कोबाल्ट चूर्ण के 200 टन और अमोनियम सल्फेट उर्वरक के 17,000 टन होगी। विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के तैयार किए जाने के पश्चात् ही ठीक प्राक्कलन उपलब्ध होंगे।

2. उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में सर्गीपल्ली सीसा निक्षेप

प्रद्रावक की स्थापना की अर्थव्यवस्था निर्धारण को सम्मिलित कर, सर्गीपल्ली सीसा निक्षेप के समुपयोजनार्थ साध्यता/प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को

समुनदेशित किया गया है। राज्य सरकार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को खनन पट्टा अनुदत्त करेगी। अन्ततः, अयस्कों के समुपयोजन और सीसा धातु के निष्कर्षण के लिए, केन्द्रीय और उड़ीसा सरकारों के संयुक्त स्वामित्वाधीन एक कम्पनी स्थापित करने का विचार है।

3. **मालंगटोली लौह अयस्क निक्षेप, उड़ीसा**

खान से यन्त्रीकृत उत्पादन के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मालंगटोली लौह अयस्क निक्षेप का विस्तृत अन्वेषण आरम्भ किया है।

रामदलाकोटा में हीरों की मौजूदगी की पुनः जांच करना

3408. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में रामदलाकोटा में हीरों की मौजूदगी की पुनः जांच और खोज करने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी, हां। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सम्पूर्ण आधार-सामग्री की समीक्षा करने और रामल्लाकोटा और आन्ध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के हीरकोत्पाद मिश्र-पिण्डाश्मों की परतों की विस्तृत समन्वेषण कार्यक्रम की आयोजना करने का कार्य समनुदेशित किया गया है।

इजरायल में भारतीय यहूदियों से भेदभाव

3409. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितने भारतीय यहूदी इजरायल गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इजरायल में भारतीय यहूदियों के प्रति बहुत भेदभाव बरता जाता है ; और

(ग) क्या कुछ भारतीय यहूदी वापस भारत आना चाहते हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे।

(ख) भेदभाव बरते जाने के कुछ समाचार भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी हां। कुछ भारतीय यहूदी ऐसे हैं जो इजरायल से भारत वापस आने के इच्छुक हैं। यदि भारतीय नागरिकता एक बार त्याग दी जाये तो उसे स्वतः पुनः प्राप्त करने की भारतीय कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के आवेदनों पर भारतीय नागरिकता-अर्जन सम्बन्धी नियमों के अधीन ही विचार किया जाता है।

विदेशों में सरकार की राजनैतिक तथा औद्योगिक गतिविधियों का प्रसार करने के लिए अधिकरण

3410. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की राजनैतिक और औद्योगिक गतिविधियों का विदेशों में प्रचार करने का कार्य किन गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) विदेशों में उक्त प्रयोजन में सरकार की सहायता करने वाली सरकारी संस्थाएं कौन कौन-सी हैं ;

(ग) सरकार ने गत तीन वर्षों में वर्षवार, इन संस्थाओं को अलग-अलग विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि प्रदान की ; और

(घ) उपरोक्त कार्यों के लिए सरकार की अपनी सूचना सेवा के होते हुए इस प्रक्रिया के अपनाने का औचित्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) इस विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और संकलित होते ही प्रदान की जायेगी ।

बजरे पर पड़ा जिलैटिन डाइनेमाइट

3411. **श्री सत्यचरण बेसरा :**
श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के विस्तार के लिए प्राप्त किया गया विस्फोटक जिलैटिन डाइनेमाइट काफी समय बम्बई पत्तन के निकट करन्जा द्वीप पर एक बजरे पर पड़ा रहा था ;

(ख) क्या उक्त विस्फोटक सामग्री ढुलाई के दौरान में ही क्षतिग्रस्त हो गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) ठेकेदार द्वारा डाकयार्ड विस्तार योजना, बम्बई के लिए सितम्बर 1971 के मध्य में जिलैटिन डाईनेमाइट के 4412 बक्सों का आयात किया गया था । इनमें 840 बक्स जहाज के स्राव में समुद्र के पानी से गीले पाये गए जिसके कारणों का पता नहीं । इन 840 बक्सों को जहाज से निकाल लिया गया और इन्हें नष्ट कर निपटाने के लिए नौसेना के बारेज में अलग से रखा गया । यह कदम बम्बई के पत्तन में जहाज से आम जहाजी भार को उतारे तथा चढ़ाने के लिए आवश्यक था । खराब विस्फोटक को ठेकेदार के अनुरोध तथा खर्चे पर 20 सितम्बर, 1972 तथा अक्तूबर, 1972 के बीच नष्ट किया गया ।

विस्फोटक के आयात करने और उसे जलाकर नष्ट करने की हानि का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि डाइनेमाइट ठेकेदार का था ।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा वित्तीय समिति में भारत का सुझाव

3412. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा वित्तीय समिति को बताया है कि जब तक वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहायता वातावरण, जो विकासशील देशों के प्रति उदासीनता का है, में परिवर्तन नहीं लाया जाता, तब तक दूसरी विकास दशाब्दी के लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के इन विचारों का कितने देशों ने समर्थन किया ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में 6 अक्तूबर, 1972 को भारतीय प्रतिनिधि श्री मुल्का गोविन्दा रेड्डी ने कहा था कि 'जब तक वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहायता के रुख में उलट-फेर नहीं होगा तब तक दूसरे विकास दशाब्द के लक्ष्यों की प्राप्ति की कोई आशा नहीं मालूम होती ।'

(ख) और (ग) आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर दूसरी समिति में अभी बहस चल रही है । अंकटाड के तीसरे सत्र, जो हाल में चिली में आयोजित किया गया था और बहुद्देश्यीय व्यापार वार्ता आदि जैसे विषयों पर कई प्रस्तावों के मसौदे पेश किए जा चुके हैं ।

विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर भारत के विचारों का आमतौर से समर्थन किया है ।

मजदूरों को रियायती दरों पर सामान की सप्लाई का प्रस्ताव

3413. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों को रियायती दर पर सामान सप्लाई करने के प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) रियायती दरों पर सामान सप्लाई करने की सरकारी कार्यवाही के फलस्वरूप मजदूरों को किस हद तक राहत मिलेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) श्रमिकों को रियायती दर पर सामान सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपदान संदाय अधिनियम की क्रियान्विति

3414. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपदान संदाय अधिनियम बनाया जा चुका है परन्तु सरकार ने इसे कार्य-रूप देने के लिए अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 को पहले ही 16-9-1972 से लागू किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात और एल्यूमीनियम व्यापार का राष्ट्रीयकरण

3415. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात और एल्यूमीनियम के समस्त व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या करण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस्पात और एल्यूमीनियम के समस्त व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का इस समय सरकार का विचार नहीं है।

चिकित्सा स्नातकों में बेरोजगारी

3416. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और केरल में बहुत-से चिकित्सा स्नातक बेरोजगार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि चिकित्सा स्नातकों को सरकार के पास रोजगार नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं। राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहन दें। इन प्रोत्साहनों में (एक) रहने तथा काम करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था, (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने वालों के लिए पुनश्चर्या तथा उच्च प्रशिक्षण के अवसर, (तीन) कठिन क्षेत्रों में सेवा के लिए विशेष भत्ता, (चार) गमन-मार्ग, जल-पूर्ति तथा बिजली आदि जैसे विशेष विकासों की व्यवस्था शामिल है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आसाम राइफल्ज, कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि आदि जैसे संगठनों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के उपलब्ध रिक्त स्थानों को भरने के लिए उम्मीदवारों की तदर्थ आधार पर नियुक्तियों का प्रस्ताव भी किया गया है। प्रत्युत्तर अच्छा नहीं रहा है

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्ज लिमिटेड में कार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति

3417. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के संवर्ग में से, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्ज लिमिटेड में कार्मिक अधिकारी नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खेतड़ी ताँबा परियोजना में 30 करोड़ की वार्षिक हानि

3418. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 120 करोड़ रुपये की लागत से बने सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान कापर को आने वाले वर्षों में खेतड़ी परियोजना से वार्षिक 30 करोड़ रुपये की हानि होती रहेगी और इसका मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण आयोजन है ;

(ख) क्या भूगर्भीय विशेषज्ञों के अनुसार वार्षिक दस लाख टन अयस्क निकालने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि वहां पर 50 लाख टन के रिजर्व हैं परन्तु अब तक दस लाख टन में रिजर्व ही सिद्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि उद्योग को भारी हानि से बचाया जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस धारणा का कोई आधार नहीं है कि खेतड़ी ताम्र प्रयोजना को प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये की हानि होगी ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि प्रति वर्ष 10 लाख टन खनित करने के लिए अयस्क की 50 लाख टन उपलभ्य रशियां प्रमाणित करनी होंगी । खेतड़ी और कोलिहान खानों में अयस्क की अब तक प्रमाणित उपलभ्य राशियां 590 लाख टन हैं जिनमें से इस समय 59 लाख टन उपलभ्य राशियां अवरुद्ध और वास्तविक खनन के लिए विकसित की गई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

रांची स्थित ढलाई तथा गढाई संयंत्र के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी

3419. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित ढलाई तथा गढाई संयंत्र में 108 करोड़ रुपये की लागत से 6000 टन क्षमता वाली गढाई प्रेस को चालू कर दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त संयन्त्र की स्थापना में चेकोस्लोवाकिया से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता लेने के अतिरिक्त हमारे इंजीनियरों ने भी अपनी तकनीकी जानकारी का प्रयोग किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका अनुपात क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । भारी इंजीनियरी निगम के गढ़ाई तथा ढलाई कारखाने में 6·40 करोड़ रुपये की लागत से लगाई गई 6000 टन की प्रेस चालू कर दी गई है ।

(ख) और (ग) यह प्रेस चैकोस्लोवाकिया के मेसर्स स्कोडाएक्सपोर्ट द्वारा लगाई गई थी । प्रेस की स्थापना के लिए जानकारी भी उन्होंने दी थी । फिर भी, प्रेस को लगाने और उसे चालू करने में चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों के सामान्य निदेशन और पर्यवेक्षण में भारी इंजीनियरी निगम के इंजीनियरों ने पूरा-पूरा सहयोग दिया है ।

वैगन निर्माताओं को इस्पात की सप्लाई

3420. **श्री एस० आर दामानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं कि वैगन निर्माताओं को इस्पात की सप्लाई निर्बाध रूप से होती रहे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस्पात प्राथमिकता समिति उपलब्धि तथा अन्य स्पर्धी प्राथमिक मांगों को ध्यान में रखते हुए वैगन निर्माताओं की प्रायोजित आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देती है। जो आवश्यकताएं देश से पूरी नहीं की जा सकतीं उनके लिए यथासम्भव आयात की अनुमति दी जाती है तथा व्यवस्था की जाती है।

भारतीय खान ब्यूरो में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3421. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो में पहली जनवरी, 1972 को प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी तथा उनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार इन जातियों के कर्मचारी रखे गये हैं ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आरक्षित कोटे के अनुसार कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) खुले विज्ञापन के पश्चात् भी अनुसूचित जाति/जनजाति के सुयोग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग I और II श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों के बारे में कमी है। फिर भी, इन पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को पुनः अधिसूचित किया जाएगा।

जहां तक वर्ग III और वर्ग IV पदों की आरक्षित रिक्तियों का संबंध है, वह स्थानीय रोजगार कार्यालयों और अध्यक्ष, दलित वर्ग संघ, बम्बई और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानीय संगमों को अधिसूचित की जाती हैं। उस हालत में जब रोजगार कार्यालय अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होता है तब ये पद भी विज्ञापित किए जाते हैं।

जहां तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित वर्ग IV के इन पदों का सम्बन्ध है, इनमें से प्रायः सभी पद भरे गये हैं। वर्ग III के पदों में, इन प्रयासों के फलस्वरूप भी, इन तकनीकी और वैज्ञानिक अर्हताओं वाले पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में सरकार के स्थायी निर्देशों के अनुसार जब भी अपेक्षित होगा, आरक्षण की अवधि को बढ़ाते हुए यह निरन्तर प्रयास किया जायेगा कि इन पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही भर्ती किया जाए।

विवरण

क्रम सं०	पदों की श्रेणी	1-1-72 को भरे गए पद	भरे गये पदों में कितने		कितनी अग्रसारित रिक्तियां जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थीं आज उपलब्ध हैं	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	वर्ग I	87	4	1	11	4
2.	वर्ग II	29	3	—	1	—
3.	वर्ग II (अराजपत्रित)	3	—	—	—	—
4.	वर्ग III	469	59	19	29	11
5.	वर्ग IV	180	58	9	—	2*

* 1-1-72 के पश्चात् कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

रक्षा विभाग के मजदूर संघों के पदाधिकारियों का तबादला

3422. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा विभाग में ऐसे स्थायी अनुदेश हैं कि मान्यता प्राप्त मजदूर संघों तथा ऐसोसिएशनों के पदाधिकारियों को सुरक्षित कर्मचारी समझा जाये तथा उनका तब तक तबादला न किया जाये जब तक उनकी कालावधि समाप्त न हो जाय ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदाधिकारियों के रूप में उनके चालू कार्यकाल के दौरान सामान्यत: वर्जित है ।

तथापि, यदि सार्वजनिक हित में आवश्यक हो तो ऐसे स्थानांतरण के आदेश दिए जा सकते हैं ।

उगांडा से निकाले गये ब्रिटिश एशियाई लोगों को भारत पर थोपने का ब्रिटेन का फार्मूला

3423. **श्री पीलू मोदी :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे उगांडा से निकाले गये बड़ी संख्या में ब्रिटिश एशियाई लोगों को भारत पर थोपा जायेगा ;

(ख) बनाये गये फार्मूले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह फार्मूला इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार सहमत हो गई है कि उगांडा से निकाले गए जिन यूनाईटेड किंगडम पासपोर्टधारियों को यूनाइटेड किंगडम में स्थायी आवास की दृष्टि से प्रवेश को वहां की सरकार ने प्रलेखित कर दिया है, वे अस्थायी वीजा के आधार पर भारत आ सकते हैं ।

पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध 'जेहाद' का नारा

3424. **श्री एस० सी० बेसरा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध लगाये जा रहे 'जेहाद' के नारे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने कुछ ऐसे समाचार देखे हैं जिनमें पाकिस्तान के विरोधी दल के नेताओं ने भारत के खिलाफ 'जेहाद' शुरु करने के लिए जहां-तहां कुछ वक्तव्य दिए हैं । साथ-ही-साथ सरकार ने पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता के उस सार्वजनिक वक्तव्य पर भी ध्यान दिया है जिसमें शिमला समझौता की भाषा एवं भाव को पालन करने के संकल्प को दुहराया गया है ।

मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की योजना

3425. **डा० रानेन सेन : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों का मान्यता देने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Assaulting of Employees of Bhilai Steel Plant

3426. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Ishwar Chaudhary :

Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether Government are aware that employees and labourers of Bhilai Steel Plant are often assaulted and intimidated by anti-social elements while they are on duty ; and

(b) if so, the measures taken by the management to ensure safety of employees and labourers in and outside the said plant ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अधिक गति वाले लड़ाकू विमानों का उत्पादन

3427. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विमान डिजाइनर अधिक गति वाले लड़ाकू विमानों का उत्पादन करने में भी समर्थ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एच एफ-24 सुपरसानिक लड़ाकू विमान विकसित किया है। यह विमान अब उत्पादनाधीन है। वायुसेना की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए लड़ाकू विमान के डिजाइन बनाने की संभाव्यता पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) यह सूचना प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

मैंगनीज उद्योग में मजदूरों में मैंगनीज के विष का फैलना

3428. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डस्ट्रीयल टाक्सी कोलोजी रिसर्च सेंटर के निदेशक

श्री डी० आर० जैंडी के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मैंगनीज उद्योग में लगे 10,00,000 लोगों में मैंगनीज विष के फैलने से उनके गम्भीर रूप से असमर्थ होने का खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मजदूरों के जीवन को बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिग-21 की नई सुधरी किस्म का निर्माण

3429. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग-21 विमान की नई सुधरी किस्म के निर्माण का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् !

(ख) सूचना प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(ग) वायुयान का परिदान 1972-73 के दौरान होने की आशा है।

सरकारी विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों को बोनस

3430. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री आर वी बड़े :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के अन्तर्गत रेलवे, डाक-तार रक्षा और नागर विमानन विभागों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस को लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : न्यूनतम बोनस, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में सन्निहित लाभांश बोनस का एक भाग है। विभागीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को अलग रखने के निम्नलिखित कारण हैं : —

(क) ऐसे उपक्रम सामान्य रूप से समुदाय का हित बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। लाभ, यदि कोई हो, राजस्व में मिल जाता है, जो फिर ऐसी प्रयोजनाओं की प्रोन्नति के लिए प्रयुक्त

किया जाता है, जो देश की तरक्की के लिए आवश्यक है। ऐसे उपक्रमों द्वारा लिए गए मूल्य में, एकाधिकार लाभ का तत्त्व शामिल हो सकता है, जो कि अप्रत्यक्ष कर के रूप में है। इसमें आर्थिक सहायता का तत्त्व समान रूप से अन्तर्ग्रस्त हो सकता है।

(ख) उनके कर्मचारियों का वेतन ढांचा वही है जैसा कि अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का है, और सेवा की शर्तें तथा वेतन ढांचा इत्यादि। सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित किए गए अनेक वेतन आयोगों की सिफारिशों से प्रभावित होता है।

पाँचवीं योजना में खनिज पदार्थों की खोज के लिए योजना

3431. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाँचवीं योजना के दौरान खनिज पदार्थों की खोज के कार्य को तेज करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) खनिज समन्वेषण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पंचम योजना तैयार की जा रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पंचम योजना के दौरान किए जाने वाले कार्य की प्रमात्रा और उपगत किए जाने वाले संभावित व्यय को उपदर्शित करना अभी समय-पूर्व की बात है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आन्ध्र प्रदेश में खनिजों की खोज

3432. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने अपने पांच वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहले से ही प्रगतिशील समन्वेषण के अनुक्रम में आंध्र प्रदेश में खनिज समन्वेषण के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम में रायलासीमा, आंध्र और तेलंगाना जिलों के कुड्डपा द्रोणी में आधार धातुओं, चूनाश्म, बेराइटीज, एस्बेस्टॉस और मृत्तिका, अनन्तपुर, कुरनूल और कृष्णा जिलों में हीरक और विशाखापत्तनम्, पूर्वी गोदावरी और खम्माम जिलों में बाक्साइट, ग्रेफाइट और बुलफ्रेग्राइट का अन्वेषण सम्मिलित है।

हाई कार्बन स्टील का उत्पादन

3433. **श्री अरविन्द नेताम्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाई कार्बन स्टील की अनुमानित मांग कितनी है ;

(ख) इस समय देश में इसका उत्पादन कितना है ; और

(ग) इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात की चादरों के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों का इस्पात के ड्रमों के निर्माण पर प्रभाव

3434. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **इस्पात और** खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के विचार से इस्पात की चादरों का सीमित मात्रा में आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या इस्पात की चादरों के आयात पर रोक लगाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय का इस्पात के ड्रमों के निर्माण और प्रयोग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के आयात का विनियमन आयात व्यापार नियंत्रण नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है । वर्तमान नीति की शर्तों के अनुसार चादरों के आयात की अनुमति है । इस बारे में विद्यमान उपबन्धों को बदलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । किसी प्रकार की रोक लगाने तथा परिणामस्वरूप निरुत्साहित करने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी चादरों के इस्तेमाल में बचत करने तथा आयात में यथासम्भव कमी करने के लिए पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय इस्पात की 24 गेज की चादरों से बने ड्रमों की बजाय बड़ी मात्रा में बिटूमन की क्रमिक सप्लाई की एक योजना बना रहा है ।

भारत और अमरीका के सम्बन्ध

3435. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति निक्सन के पुनः राष्ट्रपति चुने जाने से भारत और अमरीका के बीच

पुनः सामान्य सम्बन्ध स्थापित होने की सम्भावना हुई है ; और

(ख) क्या अमरीका ने सद्भावना का कोई संकेत दिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) प्रेसीडेंट निक्सन के दोबारा चुने जाने को अमरीका और भारत के बीच पुनः सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में होने वाले रुख से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को आशा है कि ये सम्बन्ध उपमहाद्वीप में नई स्थिति की वास्तविकताओं को स्वीकार कर लेने के आधार पर और समानता, पारस्परिकता तथा आपसी आदर भावना के आधार पर, सामान्य तथा सुदृढ़ हो जाएँगे।

आपराधिक विधान को आधुनिकतम बनाना

3436. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र दल ने देशों से आपराधिक विधान को आधुनिकतम बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र समाज कल्याण आयोग ने अपराध के प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार किया था; इसके अलावा अपराध निरोध एवं अपराधी के प्रति बर्ताव पर विशेषज्ञ सलाहकार समिति जैसी अन्य संस्थाओं ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। इस समिति का पिछला सत्र जुलाई, 1971 में न्यूयार्क में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 50वें सत्र में अपराध निरोध एवं नियंत्रण समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति का पहला सत्र मई, 1972 में हुआ था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि अपराध निरोध को व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक विकास से अलग नहीं किया जा सकता। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि कैदियों के प्रति बर्ताव के मानक न्यूनतम नियमों में लगभग निरन्तर सुधार की आवश्यकता है और इसकी भी कि विभिन्न परिवर्तनशील समाजों में उनका तालमेल परिस्थितियों के अनुकूल बिठाया जाए। समिति ने कहा कि अपराध न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है और फैसला किया कि अन्य विषयों के साथ-साथ इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया जाएगा।

(ख) भारत का समाज विकास आयोग तथा अपराध निरोध एवं नियंत्रण समिति, दोनों में प्रतिनिधित्व है। इन संस्थाओं के विचार-विमर्श में भारत का पर्याप्त योगदान रहा है। अपराध न्याय प्रणाली के सुधार के निश्चित प्रश्न का संयुक्त राष्ट्र में अध्ययन अब भी किया जा रहा है। अब तक जो निष्कर्ष पहुंचे हैं, उन पर भारत सरकार ने ध्यान दिया है और उसका विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र इस प्रश्न से अपने को सम्बद्ध करके एक लाभकारी कार्य का जिम्मा ले रहा है।

बर्मा से स्वदेश वापस आने वाले भारतीय

3437. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक बर्मा से भारतीय मूल के 1,96,000 व्यक्ति भारत आ चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ और व्यक्तियों के आने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार ने उनके पुनर्वास पर कितनी धनराशि व्यय की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 30-11-1972 तक 1,064.84 लाख रुपये ऋण के रूप में और 227.49 लाख रुपये अनुदान के रूप में मंजूर किए जा चुके हैं।

इस्पात क्षमता का कम प्रयोग

3438. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अध्ययन से पता चला है कि बहुत बड़ी मात्रा में इस्पात क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की क्षमता के कम उपयोग के बारे में इस प्रकार का कोई विशेष सरकारी अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि सरकार इस्पात कारखानों के उत्पादन कार्य की लगातार समीक्षा करती है। अप्रैल-अक्तूबर, 1972 के महीनों के दौरान टिस्को की इस्पात पिण्ड की 81.1 प्रतिशत, भिलाई की 80 प्रतिशत, इस्को की 40.6 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ। इस प्रकार औसत 65.5 प्रतिशत रही।

कोक ओवन बैटरियों के असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के कारण हुई कोक ओवन गैस की कमी हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों के उत्पादन में बाधक बनी रही। यद्यपि इस बारे में विशेषकर भिलाई में क्रमिक सुधार हुआ है। राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन में मुख्य बाधा बिजली की सप्लाई न होने तथा उस पर प्रतिबन्धों के कारण थी। दुर्गापुर इस्पात कारखानों

में मुख्य बाधा मालिक मज़दूर सम्बन्ध अच्छे न होना थी। दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पर लगाए गये प्रतिबन्ध, गैस की कमी तथा उपकरणों में खराबी आदि अन्य कारणों से भी उत्पादन में कमी आई।

इस्को में उत्पादन की कमी मुख्यतया संयंत्र तथा उपकरणों की खराबी के कारण थी जो अपर्याप्त प्रतिस्थापन, मरम्मत तथा रख-रखाव कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप थी। टिस्को में मुख्य रूप से कोक तथा ईंधन की कमी और प्राय: बिजली में बाधा के कारण उत्पादन में कमी आई।

फिर भी पांचों मुख्य इस्पात कारखानों का अप्रैल-अक्तूबर, 1972 का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की अपेक्षा अधिक था। आगामी महीनों में और भी सुधार होने की आशा है।

युगांडा के एशियाइयों के पुनर्वास के बारे में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का आश्वासन

3439. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने युगांडा से निकाले गये राज्य-विहीन एशियाइयों के पुनर्वास के लिए सहायता देने का आश्वासन दिया है; यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इस सम्बन्ध में सम्पर्क बनाये हुए है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए कितने देशों ने सहायता देने की पेशकश की है और क्या भारत ने भी युगांडा के इन एशियाइयों के पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति तथा यूरोपीय प्रवासन की अन्तर्सरकारीय समिति के सहयोग से एशियाई मूल के अनिर्णीत राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों (राज्य विहीन) को युगांडा से निकाला है और उन्हें यूरोप के कुछ देशों में रखा है। उनके स्थायी पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त अनेकों देशों से विचार-विमर्श कर रहा है।

युगांडा में रह रहे कुल लगभग 10,750 अनिर्णीत राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों में से लगभग 7400 व्यक्तियों को भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा स्थायी पुनर्वास देने की पेशकश की गई थी और शेष लगभग 3350 व्यक्ति विभिन्न देशों में मार्गस्थ शिविरों में रह रहे हैं।

हमने इस समस्या के मानवीय दृष्टिकोण की ओर संयुक्त राष्ट्र का ध्यान दिलाया है और हमारा विचार है कि इन व्यक्तियों को यह छूट होनी चाहिए कि वे जहां चाहें अपने स्थायी पुनर्वास के लिए जा सकते हैं।

वाणिज्यिक और नगरपालिकाओं और वित्तीय उपक्रमों में कर्मचारियों को बोनस

3440. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस समीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वाणिज्यिक उपक्रमों और नगर-पालिकाओं के अधीन उपक्रमों और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया जैसी कुछ वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोनस अधिनियम लागू करने के बारे में श्रम मंत्रालय को लिखा है;

(ख) क्या बोनस समीक्षा समिति के अध्यक्ष ने समिति के कुछ सदस्यों की इच्छाओं के विरुद्ध यह पत्र लिखा है;

(ग) क्या इन सदस्यों ने इस बारे में अध्यक्षों की कार्यवाही पर भारी एतराज किये हैं; और

(घ) क्या इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप समिति में गम्भीर संकट पैदा हो गया है और यदि हां तो इस संकट का किस प्रकार समाधान करने का सरकार का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अध्यक्ष की कार्यवाही से असहमति प्रकट करते हुए, बोनस पुनरीक्षा समिति के एक सदस्य का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) इस प्रकार के किसी संकट की जानकारी सरकार को नहीं है।

बम्बई स्थित 'एस्सो' तेलशोधक कारखाने में हड़ताल

3441. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एस्सो' के बम्बई स्थित तेलशोधक कारखाने के कर्मचारियों ने प्रबन्धकों द्वारा दो कर्मचारियों को मुअत्तिल करने के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए हड़ताल कर दी है;

(ख) क्या हड़ताल करने वाले 'एस्सो' के कर्मचारियों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए बम्बई में अन्य तेल फर्मों के कर्मचारी भी हड़ताल करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने हड़ताल को समाप्त करवाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह मामला अनिवार्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

एशियाई देशों के युगांडा से निष्कासित व्यक्तियों को कम्पाला से मोम्बासा ले जा रही रेलगाड़ी से लापता भारतीय

3442. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एशियाई देशों के युगांडा से निष्कासित व्यक्तियों को कम्पाला से मोम्बासा ले जा रही एक विशेष रेलगाड़ी से 20 भारतीय पुरुष और महिला नागरिकों के लापता होने का समाचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने 10 नवम्बर, 1972 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस आशय की मोम्बासा (कीनिया) की खबर देखी है। सही स्थिति यह है कि जो भारतीय युगांडा छोड़कर 7-11-72 को कम्पाला से विशेष रेलगाड़ी में बैठकर चले थे, वे सभी मोम्बासा पहुंच गए थे और उनमें से कोई भारतीय गुम नहीं हुआ। कम्पाला-स्थित भारतीय हाई कमीशन के जो अधिकारी कम्पाला से रेलगाड़ी से टोरोरो की सीमा तक गए थे, उन्होंने इस बात की खासतौर से पूछताछ की थी और उन्हें रेलगाड़ी से किसी भारतीय के गुम होने की कोई शिकायत नहीं मिली । जब रेलगाड़ी टोरोरो से कीनिया पहुंची, तब भी हमारे हाई कमीशन अधिकारी लौटने वाले भारतीयों से मिले थे और उन्होंने रेल के हर डिब्बे में भारतीयों की कुशल-क्षेम के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें किसी भारतीय के गुम होने की कोई शिकायत नहीं मिली । मोम्बासा में भी इस सम्बन्ध में सहायक कमिश्नर से ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई जोकि भारतीयों के वहां पहुंचने पर उनसे मिला था

(ख) जब नैरोबी-स्थित हमारे हाई कमीशन ने भारतीयों के गुम होने की कहानी सुनी और अखबारों में देखा कि भारतीय कमीशन का नाम उससे जोड़ा गया है, तब इसका तत्काल खण्डन किया गया जो नैरोबी के 10-11-72 के 'डेली नेशन' अखबार में इस शीर्षक के अन्तर्गत छपा—"हाई कमीशन गुमशुदा भारतीयों की खबरों का खण्डन करता है ।" मोम्बासा स्थित हमारे सहायक कमिश्नर, श्री वी० आर० शर्मा ने किसी भारतीय राष्ट्रिक के गुम होने के बारे में वक्तव्य नहीं दिया ।

एशिया '72 मेले के मण्डपों के लिए इस्पात का आवंटन

3443. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया '72 मेले में विभिन्न मण्डपों के लिए कितना इस्पात आवंटित किया गया ;

(ख) क्या वितरण नीति के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें मेले के लिए दिये गये इस्पात का दुरुपयोग किया गया हो ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

केरल में वायुसेना का भर्ती कार्यालय

3444. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना भर्ती कार्यालय, बंगलौर में केरल के आवेदकों की प्रतिशतता अधिक है ;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना केरल में भर्ती कार्यालय स्थापित करने के मामले पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) भर्ती केन्द्र राज्यवार स्थापित नहीं किए जाते । भर्ती केन्द्र प्रशासनिक सुविधा तथा अर्थ-व्यवस्था के अनुसार स्थापित किए जाते हैं । अधिकारी क्षेत्र के अन्दर दौरा करता है और स्थानीय भर्ती भी करता है । भर्ती केन्द्र के लिए जनसंख्या के आधार पर रिक्त स्थानों का आवंटन किया जाता है ।

शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस फैक्ट्री में श्रमिकों द्वारा गड़बड़

3445. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री में श्रमिकों ने गत तीन वर्षों में कई बार गड़बड़ की है, यदि हां, तो कितनी बार गड़बड़ की गई तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस गड़बड़ के कारण कितनी जन शक्ति तथा कितने रुपयों की हानि हुई ;

(ग) पत्रों अथवा तारों के द्वारा ऐसी कितनी घटनाओं की सरकार को सूचना दी गयी ; और दी गई सूचनाओं के परिणामस्वरूप क्या जांच की गई तथा जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) ऐसी गड़बड़ी को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गत तीन वर्षों में 7 घटनाएँ हुई हैं जिनके ब्यौरे/कारण निम्नलिखित हैं :—

1969—2 **घटनाएं**

(1) 24-7-69 को दो गुटों के कर्मचारियों में मतभेदों के बढ़ जाने के कारण वे हिंसा पर उतारू हो गये थे। मतभेदों का कारण कारखाने की कार्य-व्यवस्था से संबंधित नहीं था।

(2) 7-11-69 को एक कर्मचारी के कारण, जो तोड़फोड़ की अनुशासनहीनता कार्यवाही में लगा हुआ था, गड़बड़ी पैदा हुई थी।

1970—4 **घटनाएं**

(1) 22-4-70 को फैक्टरी के कर्मचारियों तथा एक कैन्टीन के विक्रेता के मध्य मतभेदों के कारण।

(2) 27-4-70 को कुछ फैक्टरी कर्मचारियों तथा कैन्टीन विक्रेताओं के मध्य विवाद के कारण तथा, कर्मचारियों के फैक्टरी कार्यालय के निकट एकत्रित होने और प्रदर्शन करने के कारण।

(3) 12-10-70 को फैक्टरी के कर्मचारी तथा एक कैन्टीन विक्रेता के मध्य हाथापाई के कारण।

(4) 12-11-70 को फैक्टरी के डाक्टर तथा एक अफसर के विवाद के कारण जिसमें कर्मचारियों के पक्ष लेने के कारण गड़बड़ी पैदा हुई थी।

1971—1 **घटना**

कर्मचारियों के एक दल के द्वारा जो 2-11-71 को एक स्थानीय त्यौहार के लिए छुट्टी की मांग कर रहे थे और इसके लिए वर्क्स कमेटी के सहमत न हो पाने के कारण एक भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने गड़बड़ी पैदा की थी। वे तितर-बितर हो गये जब उन्हें समुचित स्थिति बताई गई थी।

(ख) इसमें कोई भी वित्तीय हानि नहीं हुई थी क्योंकि स्थिति को बिना समय नष्ट किए नियंत्रण में ले लिया गया था।

(ग) पांच मामलों में मामले की रिपोर्ट सरकार को दी गई थी। बोर्ड/जांच अदालतें गठित की गई थीं तथा जहां आवश्यक था अपराधियों के विरुद्ध समुचित आवश्यक कार्यवाही की गई थी।

(घ) प्रत्येक पारी में एक श्रम अधिकारी को कर्मचारियों की शिकायतों को विशेष रूप से देखने के लिए तैनात किया गया है। उसे लंच समय के दौरान कैन्टीन में उपस्थित रहना पड़ता है। कैन्टीन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रबन्धक वर्क्स समिति, चतुर्थ स्तर की जे० सी० एम० तथा मान्यता-प्राप्त यूनियन/संघों के साथ जब कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान करने के लिए परामर्श तथा चर्चा करते हैं।

शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री के दर्जियों की सेवाओं का उपयोग न किया जाना

3446. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर स्थित आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री के सिविल विंग के दर्जियों को 1972 के अक्तूबर के महीने में कोई काम नहीं दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवाओं का उपयोग न करने के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन् ! वे सेनाओं के लिए परिधान मदों का उत्पादन करने में पूरी तरह से कार्य पर लगे रहे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री, शाहजहांपुर की कल्याण निधि का उपयोग

3447. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों से आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री, शाहजहांपुर में कितनी कल्याण निधि उपलब्ध है और इस निधि से कितने व्यक्तियों को औषधियां दी गई हैं और ऐसे व्यक्तियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : गत तीन वर्षों के बारे में सूचना निम्नांकित है :

वर्ष	उपलब्ध कल्याण निधि की राशि	औषधियों के लिए जिन व्यक्तियों को धन दिया गया उनकी संख्या	जो धन अग्रिम दिया गया उसकी राशि
1	2	3	4
	रु०		रु०
1969	9,997.95	शून्य	शून्य
1970	8,530.95	1	50
1971	22,041.29	2	225

पाकिस्तान द्वारा 'मिराज' विमानों की खरीद

3448. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में खरीदे हुए बहुत से 'मिराज' विमानों से अपनी वायुसेना को सुदृढ़ बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सेना को उसी प्रकार सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से मिराज विमान प्राप्त करने की जानकारी है।

(ख) हमारी रक्षा तत्परता की योजना बनाते समय इस पर ध्यान रखा गया है।

Cut in Defence Expenditure

3449. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether Government propose to cut down defencc expenditure and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Government have examined the possibility and have come to the conclusion that in view of the escalation in cost, prices and wages, there is no scope for any reduction in the Defence expenditure.

One Union for One Industry

3450. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labcur and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to ensure that there should be only one Trade Union in one industry ; and

(b) if so, the reasons for allowing several Trade Unions in one industry ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) There is no restriction on formation of more than one unions in an establishment or an industry under the Trade Unions Act, 1926. However, for purposes of recognition, the principle of one recognised union for one establishment/industry has been advocated under the Code of Discipline as also by the National Commission on Labour. It is proposed to bring forward legislation shortly which will, *inter alia*, deal with the question of recognition in the light of the Commission's recommendations and subsequent tripartite discussions.

बिहार के विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए बिहार में एक उद्योग की स्थापना

3451. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 40 वर्ष तक के आयु वर्ग के ऐसे विकलांग भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है जो

बिहार के हैं; और

(ख) क्या सरकार इन विकलांग सैनिकों को रोजगार देने के लिए एक उद्योग की स्थापना के बारे में विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) क्योंकि सूचना बिहार के उन भूतपूर्व सैनिकों (40 तक आयु ग्रुप वाले) के बारे में मांगी गई दिखाई देती है जो अब तक विकलांग हो गये हैं, और केवल उनके बारे में ही नहीं जो युद्ध/संक्रियाओं में विकलांग हो गये हैं, वह सूचना सुलभ नहीं है। इस सूचना के एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा, जो किसी विशेष अवधि से सम्बन्धित नहीं हैं, वह प्राप्त होने वाले फल के उपयुक्त नहीं होगा।

(ख) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात कारखाने में अराजकता

3452. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीनों में राउरकेला इस्पात कारखाने में अराजकता और अनुशासनहीनता की घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Terms of Reference of Pay Commission regarding Bonus to Armed Force Personnel

3453. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Armed Forces personnel have been precluded from the terms of reference of the Pay Commission in regard to Bonus ; and

(b) if so, the reasons therefor and Government's policy in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) According to its terms of reference, the Pay Commission is required to enquire into and make recommendations on, *inter alia*, the structure of emoluments including benefits in cash and kind and death-cum-retirement benefits of personnel belonging to the Armed Forces, having regard to their terms and conditions of Service. On the question of admissibility of bonus to Government employees, no specific reference has been made by Government to the Commission.

बर्मा से स्वदेश वापस आने वाले व्यक्तियों की शिकायतें

3454. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीथ बर्मा विस्थापित व्यक्ति संघ ने सरकार से 1964 में बर्मा से स्वदेश वापस आने वाले भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) हाल ही में श्रम और पुनर्वास उपमंत्री ने 11 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय बर्मा विस्थापित व्यक्ति संघ के तृतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। स्वागत समिति के अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले प्रस्तावित भाषण की एक प्रति प्राप्त हुई थी। भाषण में वर्णित प्रश्नों का सार और बर्मा के प्रत्यावासियों को राहत तथा पुनर्वास सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3939/72]

विशाखापत्तनम के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3455. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के गोदी कर्मचारियों ने 8 नवम्बर, 1972 को हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्यः मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मांग विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के तत्काल पुनर्गठन के बारे में थी। सरकार बोर्ड का शीघ्र पुनर्गठन करने के लिए कार्यवाही कर रही है।

बिना जोड़वाली ट्यूबों के उत्पादन के लिए दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार

3456. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एक वक्तव्य में यह कहा है कि बिना जोड़ की ट्यूबों के उत्पादन के लिए दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार तकनीकी और आर्थिक आधारों पर आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या मिश्र इस्पात संयंत्र की ऐक्जीक्यूटिव ऐसोसिएशन ने सरकार को दिए एक ज्ञापन में भिन्न विशेषज्ञ मत व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों तथा दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के इस्पात विशेषज्ञों की एक गोष्ठी आयोजित करेगी ? क्या जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन के लिए मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से अधिक प्रभावकारी तथा लाभप्रद होगा अथवा सेलम संयंत्र सम्बन्धी मांग को स्वीकार करके स्टेनलेस स्टील का उत्पादन अधिक उपयुक्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) वक्तव्य इस बारे में था कि दुर्गापुर मिश्र इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के 'प्रोडक्ट-मिक्स', जिसमें जोड़ रहित ट्यूबें भी शामिल हैं पर समस्त प्रौद्योगिक और आर्थिक बातों को ध्यान में रखकर विचार किया गया था ।

(ख) मिश्र-इस्पात संयंत्र की ऐक्जीक्यूटिव एसोसिएशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके विचार में बेदाग इस्पात की क्षमता का विस्तार क्यों आवश्यक है ।

(ग) और (घ) जी नहीं, फिर भी मिश्र इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के लिए 'प्रोडक्ट-मिक्स' के समूचे प्रश्न पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है ।

रक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य की क्रियान्विति

3457. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी रक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को कहां तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हमने छोटे हथियारों, हल्के आर्टीलरी शस्त्रास्त्रों तथा उनके गोला बारूद में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है । फिल्ड तथा मझौली आर्टीलरी, जो इस रेंज में वर्तमान उपस्करों का स्थान ले रहे हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए देश में स्वदेशी निर्माण की क्षमता उत्तरोत्तर स्थापित की जा रही है । हमारी बख्तरबन्द रेजिमेंट अब स्वदेश में निर्मित विजयन्त टैंक से सज्जित हो रही है । नौसेना के

लिए हम लीडर क्लास फ्रिग्रेट तथा वायु सेना के लिए मारूत, एम० आई० जी० 21 एस० तथा एल्यूटी का उत्पादन कर रहे हैं। रक्षा सेवाओं के संचार के लिए उपस्करों तथा रडारों की मांग को अधिकांशत: देश में उत्पादन करके पूरा किया जा रहा है। किन्तु कुछ क्षेत्रों में उपस्करों या शस्त्रास्त्रों को आयात करना अभी भी आवश्यक है या तो किसी स्थिति के अधिक महत्त्व के कारण या मांग इतनी आधुनिक है कि वह स्वदेशी डिजाइन और विकास की क्षमता के परे है या उसका स्वदेश में निर्माण करना बहुत अधिक महंगा है।

(ख) रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा पूर्ति विभाग की सहायता से उत्पादन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इस योजना को प्रति वर्ष 'चलते रहने' के विचार से बदलती हुई रक्षा आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधित किया जाता है। शस्त्रास्त्रों तथा अन्य रक्षा उपस्करों का उत्पादन तथापि अन्य देशों की अधिक शक्तिशाली और आधुनिकतम रक्षा तकनीक तथा विकास की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए, यह लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। रक्षा आवश्यकताओं के लिए अत: आत्मनिर्भरता को इन्हीं पहलुओं से देखा जा सकता हैं।

भारत में अफ्रीकी देशों के दूतावास और अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावास

3458. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अफ्रीकी देशों के नाम क्या हैं जिनके दूतावास भारत में हैं; और

(ख) भारतीय राजनयिक मिशनों का अफ्रीकी देशों में देश-वार दर्जा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3940/72]

भारत संयुक्त अरब गणराज्य सम्बन्ध

3459. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और संयुक्त अरब गणराज्य ने आपसी सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए, जो गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कटु हो गए थे, क्या कार्यवाही अथवा प्रयत्न किये हैं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के आपसी सम्बन्धों के सामान्य होने की कोई आशा है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के साथ हमारे संबंध निकट और मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं और हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध से उन पर कोई असर नही पड़ा है।

केरल को इस्पात की सप्लाई करने के लिए केरल के संसद् सदस्यों से ज्ञापन

3460. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष सितम्बर में केरल राज्य के संसद् सदस्यों का कोई ज्ञापन/पत्र देखा है जिसमें केरल राज्य को पर्याप्त इस्पात सप्लाई करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सितम्बर के महीने में मंत्रालय में ऐसे कोई पत्र प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है । मुख्य उत्पादकों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, उपलब्धि और स्पर्धा मांगों को ध्यान में रखता है ।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में खनिज संसाधनों का उपयोग

3461. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन-सी और लगभग कितनी मात्रा में अलौह धातुएं उपलब्ध हैं ;

(ख) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यकलापों का और विमान द्वारा खनिजों के सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है और यदि इसके बाद की कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ;

(ग) क्या राज्य की खनिज सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) बाक्साइट ही एकमात्र अलौह अयस्क है जो केरल में अभी तक अवस्थापित किया गया है । 40% और उससे अधिक ऐलूमिनांश वाली बाक्साइट की अभी तक अनुमानित उपलभ्य राशियां, कन्नानौर जिले के कम्बला क्षेत्र में 18.00 लाख टन, क्वीलोन और तिरुवनंतपुरम जिलों के विभिन्न भागों में 16.84 लाख टन और कन्नानौर जिले के नीलेश्वर क्षेत्र में पांच खण्डों के खण्ड एक में लगभग 31.80 लाख टन हैं । नीलेश्वर क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य जारी है और अन्वेषण के सम्पूरण के पश्चात् ही अंतिम उपलभ्य राशियों को प्राक्कलित किया जाएगा ।

(ख) अभी तक किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, बाक्साइट के अतिरिक्त, कोजिकोडे जिले में लौह अयस्क की 440 लाख टन, पालाघाट जिले में सीमेन्ट ग्रेड चूनाश्म की 19.00 लाख टन, एल्लैंप्पी जिले में काँच बालू की 410 लाख टन, कन्नानौर, क्वीलोन, तिरुवनंतपुरम और कोजिकोडे ज़िले में चीनी मिट्टी के 679.00 लाख टन, एल्लेप्पी जिले में चूनाखोल के पर्याप्त निक्षेप और केरल के विभिन्न भागों में ग्रेफाइट की लघु उपलभ्य राशियां प्राक्कलित की गई हैं। राज्य के पचास प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया है। केरल राज्य में अभी तक कोई हवाई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) केरल में अनेक खनिज अर्थात् चीनी मिट्टी, चूनाखोल, बालू, सिलिका बालू, इलिमेनाइट, रूटाइल, सिल्लिमेनाइट, मोनाजाइट, अग्नि-सह-मृत्तिका और गोलक मिट्टी खनित किए जाते हैं। केरल के खनिज संसाधनों पर आधारित प्रमुख उद्योग टिटेनियम हवाइट, दुर्लभ-मृत्तिका अवयव, सीमेन्ट, कांच सिरेमिक, कैलशियम कार्बाइड इत्यादि का विनिर्माण करने वाले एकक हैं।

केरल राज्य योजना बोर्ड ने हाल ही में खनिजों और खनन पर एक कार्यदल का गठन किया है जो पंचम और पश्चात्वर्ती योजनावधियों के दौरान कार्ययोग्य निक्षेपों के मितव्ययता पूर्वक समुपयोजन का प्रस्ताव बनाएगी। कार्यदल की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

दस वर्षीय इस्पात विकास योजना

3462. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग के समुचित विकास हेतु दसवर्षीय इस्पात विकास योजना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) जैसा कि 10 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर में बताया गया है, छठी और सातवीं योजना में लोहे तथा इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में संभावित मांग, क्षमता तथा उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखते हुए पांचवी योजना के लिए इस्पात विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु योजना आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था।

आशा है टास्क फोर्स अब दो महीनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी।

पुनर्बेलन मिलों द्वारा वस्तुओं के ऊँचे मूल्य लिया जाना

3463. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि कुछ पुनर्बेलन मिलों ने अपनी निजी विद्युत भट्टियां लगाई हुई हैं और वे सरकार से पिंड प्राप्त करने के अतिरिक्त बाजार से रद्दी लोहा (स्क्रैप) खरीदती हैं तथा सरकार द्वारा सप्लाई किये गये कच्चे माल से बनाई गई वस्तुओं को अपने कच्चे माल से बनाई गई वस्तुयें दिखाकर उनके बहुत ऊँचे मूल्य लेती हैं ;

(क) सरकारी कच्चे माल से बनी जो 90 प्रतिशत वस्तुएं उन्हें विभाग द्वारा जारी किये गये परमिटों पर देनी होती हैं क्या ऐसे कुछ आवंटनों को वे सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा विद्युत बोर्डों से रद्द करा लेती हैं और जनता को ऊँचे मूल्य पर बेचती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस हेराफेरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : बिलेट पुनर्बेलक समिति बिलेट पुनर्बेलन मिलों को बिलेट की सप्लाई और उनसे निर्मित उत्पादों के वितरण और उनकी कीमतों का विनियमन करती है। दूसरे शब्दों में बिलेट पुनर्बेलकों द्वारा बिलेट से तैयार किये गये उत्पादों की कीमतें बिलेट पुनर्बेलक समिति निश्चित करती है। बिलेट पुनर्बेलक के लिए भी आवश्यक है कि उसे जितने बिलेट मिले हों उनके बराबर इस्पात का तैयार माल दें। विनियमित मूल्य पर दिये गये कच्चे माल से तैयार किये गये माल का अधिक मूल्य लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) लोक निर्माण विभागों अथवा विद्युत बोर्डों द्वारा आवंटन अस्वीकार करने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। फ़िर भी लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं जो दूसरे कामों के अलावा बिलेट पुनर्बेलकों के कार्यकरण और उनको दिये गये बिलेटों के सही इस्तेमाल पर प्राय: नज़र रखते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की गिरफ्तारी और रिहाई

3464. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र घोटाले के लिए उत्तरदायी ठहराये गये कुछ अधिकारियों को पहले गिरफ्तार किया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था तथा मामलों को बिना स्पष्ट कारणों के न्ययालयों से वापिस ले लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न देशों से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास पर व्यय

3465. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1972 तक उगांडा तथा अन्य देशों से भारत वापस लौटने वालों के पुनर्वास पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

देश का नाम	**राशि**
	(लाख रुपयों में)
बर्मा	1280.61
श्रीलंका	546.53
मोजाम्बिक	27.51
यूगांडा	शून्य
अन्य देश	जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

ऊंची दर पर कथित ऋण देने के सम्बन्ध में फिलीपीन आप्रवासन एजेंटों द्वारा भारतीयों का गिरफ्तार किया जाना

34 6. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री ई० वी० विखेपाटिल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि 10 नवम्बर, 1972 को फिलीपीन आप्रवास एजेन्टों द्वारा मनीला पब्लिक मार्केट वैण्डर्स को ऊँची दर पर ऋण देने के व्यापार में लगे होने के दोषी ठहराये गये 10 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) फिलीपीन सरकार के आप्रवास प्राधिकारियों ने बहुत ऊँची दरों पर अवैध रूप से धन उधार देने के अपराध में दस भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था । मनीला स्थित

भारतीय राजदूतावास ने बीच में पड़कर फिलीपीन सरकार से इन सभी नागरिकों को रिहा करा लिया है। इस समय कोई भी भारतीय नागरिक फिलीपीन के आप्रवास प्राधिकारियों की हिरासत में नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में तालाबन्दी

3467. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्धकों को उक्त कारखाने की दो विरोधी यूनियनों में कारखानों के अन्दर हिंसात्मक झगड़ा होने के कारण नवम्बर, 1972 में तालाबंदी की घोषणा करनी पड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; तथा समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और(ख)यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रबन्धकों ने कर्मचारियों एक समूह द्वारा अभिकथित डराए-धमकाए जाने और प्रहार आदि की घटनाओं के पश्चात् 10 नवम्बर, 1972 से तालाबदी घोषित की। राज्य सरकार इस मामले से अवगत है।

आधुनिकतम हथियारों के उत्पादन के लिए रक्षापूर्ति विभाग द्वारा तैयार की गई योजना

3468. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा पूर्ति विभाग ने आधुनिकतम हथियारों के उत्पादन के लिए एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस योजना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) आधुनिकतम हथियारों का स्वदेश में ही निर्माण करना रक्षा विकास प्रयत्न का एक भाग है। रक्षा उत्पादन विभाग सरकारी क्षेत्र में स्वदेशीकरण की देखभाल करता है जबकि रक्षा पूर्ति विभाग सामान्य तरीके से स्वदेशी साधनों का पता लगाता है। एक लगातार चलने वाली योजना है जो एक दम 5 वर्ष तक चलती रहती है।

आधुनिकतम हथियारों से सम्बन्धित अग्रता परियोजनाओं को धन की सीमा के अन्दर लगातार चलने वाली योजना में जितना सम्भव हो उतनी संख्या में सम्मिलित करने के

लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इस योजना के अधीन कुछ आधुनिक हथियारों का पहले ही निर्माण किया गया है। तथापि, स्वदेशीकरण के देखभाल के यथासम्भव लगातार प्रयत्न किए जाते हैं।

भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण करने की योजना

3469. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, पुराने विमानों तथा उपस्करों को एक लगातार चलने वाली योजना के अनुसार बदलना है। हमारे अपने एयरोनाटिक्स कारखानों का विस्तार किया जा रहा है, इस प्रकार से विदेशी साधनों पर निर्भरता को उत्तरोतर कम किया जा रहा है।

चीनी मिलों के मजदूरों को एक समान महंगाई भत्ता

3470. **श्री सरजू पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के मजदूरों को महंगई भत्ता, अकुशल मजदूरों के लिए 7.50 रुपये तथा अन्य श्रेणियों के मजदूरों के लिए 8.55 रुपये की दर से मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अन्य राज्यों के चीनी मिल मजदूरों को, यदि वे कम प्राप्त कर रहे हों, तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बराबर महंगाई भत्ता मिले ; और

(ग) देश में एक अकुशल चीनी मिल मजदूर की औसत मजूरी क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड ने अन्य वातों के साथ-साथ श्रमिकों को देय महंगाई भत्ते के प्रश्न पर सिफारिशें कीं और सिफारिशें 1-11-69 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा दी जा रही वास्तविक राशि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) मजूरी वोर्ड की सिफारिशें अन्य राज्यों की चीनी मिलों पर भी लागू होती हैं।

(ग) मजूरी बोर्ड ने 1-11-69 से अकुशल श्रमिकों के लिए 137.58 रु० से लेकर 161.58 रु० प्रतिमाह तक की न्यूनतम मजूरी, निर्वाह व्यय सूचकांक की गति के अनुसार समंजन की व्यवस्था सहित, निर्धारित की थी।

Rehabilitation of Families of Soldiers of Bihar

3471. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of families of the Indian soldiers, who laid down their lives for the tiberation of Bangladesh and for whose help arrangements have so far been made on permanent basis ; and

(b) if so, the number of such families of Bihar ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) The major facility to which the families concerned are entitled are the liberalised pensionary awards. These consist of the last pay drawn in the case of JCO/ORs and 3/4ths of the pay of the rank held at the time of death in the case of officers. These pensionary awards have been sanctioned in all eligible cases.

In addition, children of those who are killed, are entitled to free education up to first-degree level including cost of books, stationery, uniform, boarding and lodging in educational institutions recognised by Government. Entitlement cards have been issued to all eligible children for availing of this facility.

There are 115 families of Bihar affected who are eligible to the liberalised pensionary awards and educational concessions they have all been attended to.

Preferences have been extended, in employment, up to 2 dependents of the deceased servicemen including widows. Arrangements have also been made for assistance in carring out self-employment schemes and vocational training. These two sets of concessions are being operated through different Ministries and organisations of Central Government, State Governments and public sector enterprises, both of the Centre and the State Governments.

Accommodation for Employees in Coal Mines Welfare Office, Jhumritilaiya, Bihar

3472. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the arrangements made for residential accommodation for the employees working in the Coal Mines Welfare Office, Jhumritilaiya, Bihar;

(b) whether this office is discriminated against the other Coal Mines Welfare Offices located in other parts of the country; and

(c) the scheme being formulated by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) The Coal Mines Labour Welfare Fund has no office at Jhumritilaiya, Bihar,

विदेशों में भारतीय मिशनों में अवकाश प्राप्त अधिकारी

3473. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों में अवकाश प्राप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनके नाम, नियुक्ति की जगहों के नाम और कार्यावधि क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों से इस संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रखी जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक संघों को मान्यता देने की कसौटी

3474. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिक संघों को किस कसौटी के आधार पर मान्यता दी जाती है ;

(ख) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्धकों को गैर मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी पड़ी तथा श्रमिकों की समस्या को सुलझाना पड़ा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) ऐसे राज्यों को छोड़कर जहां ट्रेड यूनियनों की मान्यता विधान द्वारा होती है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की यूनियनों को, निजी क्षेत्र की यूनियनों की भांति, अनुशासन संहिता के साथ संलग्न यूनियनों की मान्यता संबंधी कसौटी के अनुसार मान्यता दी जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच जिन मुख्य बातों पर समझौता हो गया, वे ये थीं :—

(i) शांति और उत्पादन के हित में, अधिकांश कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले विषयों के बारे में मान्यता-प्राप्त यूनियनों के अतिरिक्त सभी पंजीकृत यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है ;

(ii) गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों ने वायदा किया है कि वे औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए उपलब्ध संवैधानिक रास्ता पूरा करने से पहले भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगी, अनुशासन संहिता का पालन करेंगी और हिंसा का परिहार करेंगी ;

(iii) प्रबन्ध-तंत्र ने अनुशासनहीनता के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों पर जारी किए गए निलम्बन आदेशों को वापस लेना और तालाबन्दी की अवधि सम्बन्धी मजूरी के प्रश्न को न्याय-निर्णय के लिए भेजना स्वीकार किया ।

कोयले पर नियंत्रण

3475. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले पर पुनः नियंत्रण लगाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कुछ स्थानों में घरों में काम में लाये जाने वाला कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) इस समय अकोककारी कोयला के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । परिवहन कठिनाइयों के कारण उत्पन्न कोयले की कमी के बारे में शिकायतों के संदर्भ में, सरकार वितरण नियंत्रण के पुनः अधिरोपण के सुझाव को सम्मिलित कर वैगनों की उपलब्धता को सुधारने के लिए अनेक उपायों पर विचार कर रही है ।

(ग) कतिपय स्थानों में पत्थर के कोयले की कमी के कुछ उदाहरण ध्यान में आए हैं और आपूर्ति को वर्धित करने के लिए उन्हें रेलवे के ध्यान में लाया गया है । तथापि, इस समय पत्थर के कोयले का उत्पादन पर्याप्त है ।

रक्षा योजना सम्बन्धी अनुसंधान और विकास के लिए किया गया नियतन

3476. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षीय रक्षा योजना में अनुसंधान और विकास के कार्यों के लिए कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) नियत राशि में से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनु-

संधान तथा विकास के लिए चलते रहने वाली रक्षा योजना के लिए निम्नलिखित धनराशि प्रदान की गई है :

1969-74—116.09 करोड़ रुपये

1970-75—136.77 करोड़ रुपये

अनुवर्ती चलते रहने वाली योजनाओं को अभी तक सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों के दौरान आवंटित तथा व्यय की गई राशि निम्नलिखित है :—

	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि
1969-70	14.31 करोड़ रुपये	14.54 करोड़ रुपये
1970-71	18.81 करोड़ रुपये	17.60 करोड़ रुपये
1971-72	22.17 करोड़ रुपये	21.34 करोड़ रुपये
योग	55.29 करोड़ रुपये	53.48 करोड़ रुपये

(ग) अनुसंधान तथा विकास की सक्रियता को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाया गया है तथा भारी संख्या में शस्त्रास्त्रों तथा उपस्करों की नई मदों को सशस्त्र सेनाओं के लिए स्वदेश में विकसित किया गया है तथा यह उत्पादनाधीन हैं। रक्षा आवश्यकताओं के लिए आयात की जाने वाली सामग्री/प्रणोदकों/उपकरणों की एवजी के लिए स्वदेश में काफी विकास कार्य किया गया है। शारीरिक तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनेकों समस्याओं का जो सशस्त्र सेनाओं सम्बन्धित पहलुओं पर उनकी जांच की गई है तथा हल प्राप्त किए गए हैं। इन सब प्रयासों में बड़ी तादाद में रक्षा उपस्करों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली है। इस संगठन की उपलब्धियों की रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में जिसे प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसमें दर्शाया गया है।

विदेशी नियंत्रण के अधीन खान तथा इंजीनियरी एकक

3477. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशी स्वामित्व अथवा प्रबन्ध के अधीन कितने खान तथा इंजीनियरी एकक हैं ; और

(ख) उनकी कुल पूंजी तथा वार्षिक लाभ क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी।

बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कोयला खानों का पुनरोद्धार करना

3478. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र की उन 214 कोयला खानों का, उनके नये समूह बनाकर कोकिंग कोयले का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से, पुनरोद्धार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० को विशेषज्ञीय सेवा उपलब्ध करने और राष्ट्रीयकृत कोककारी कोयला खानों के पुनर्निर्माणार्थ साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग देने के लिए उसने पोलैण्ड की फर्म मैसर्स कोपेक्स के साथ करार किया है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन प्रगति में है।

साध्यता रिपोर्ट के तैयार हो जाने के पश्चात् प्रमुख लक्षणों/उसके विवरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

उन भारतीयों के लिए स्मृति दिवस मनाना जिन्होंने 1962, 1965 तथा 1971 की लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान किया

3479. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन्होंने प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध में अपने जीवन का बलिदान किया था उनकी याद में युद्ध कब्रिस्तान, दिल्ली छावनी, में हाल में स्मृति दिवस मनाया गया था ;

(ख) क्या अनेक विदेशी सरकारों की ओर से फूल-मालायें चढ़ाई गई थीं ;

(ग) क्या ऐसा स्मृति दिवस उन भारतीयों के लिए नहीं मनाया जाता जिन्होंने 1962, 1965 तथा 1971 में क्रमश: चीन और पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाइयों में अपने जीवन का बलिदान किया था ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार उनकी याद में ऐसा स्मृति दिवस मनाने के बारे में विचार कर रही है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के द्वारा युद्ध कब्रिस्तान, दिल्ली छावनी में 12 नवम्बर, 1972 को 11 बजे, पहले की भांति स्मृति दिवस समारोह मनाया गया था।

(ख) जी हां, श्रीमन् !

(ग) तथा (घ) जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए स्वतंत्रता के उपरांत जीवन का बलिदान किया है उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 26 जनवरी, 1972 को

प्रात: 9-30 बजे अमर जवान ज्योति स्मारक, इण्डिया गेट के मेहराब के नीचे एक समारोह मनाया गया था। इस समारोह में प्रधान मंत्री ने फूलमाला अर्पित की थी। एक अन्तर सेवा सम्मान पारद तथा दो मिनट के लिए मौन किया था। इसी प्रकार के एक समारोह को 26 जनवरी, 1973 को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

Conspiracy by China to create trouble on Indian Borders

3480. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item under the caption 'Conspiracy by China to create trouble on Indian Borders' published in the daily Hindustan (Hindi) dated the 27th August, 1972 ; and

(b) if so, whether Government have any information thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surandra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government are alive to such dangers and have taken appropriate measures to meet the situation.

Medical Representatives Treatment as 'Workmen'

3481. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Federation of Medical Representatives Association of India has sent a memorandum to him ; if so, the main points thereof ;

(b) the reaction of Government in regard to the demand for treating the medical representatives as workmen ;

(c) whether Government propose to introduce a Bill in Parliament to treat the medical representatives as workmen : and

(d) if so, when ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir. The main points relate to the coverage of medical representatives as workmen under the Industrial Disputes Act, 1947 and cases of alleged victimisation of medical representatives by some of the pharmaceutical concerns.

(b) to (d) The question of widening the scope of the terms 'industry' and 'workman' as defined under the Industrial Disputes Act, 1947 is under the consideration of Government in the light of the recommendations of the National Commission on Labour and the conclusions reached thereon at the 29th Session of the Standing Labour Committee (July, 1970). A Bill will be introduced, as soon as possible, in Parliament to implement the decision taken on the subject.

Implementation of Family Pension Scheme by Regional Commissioner, Bihar

3482. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Central Provident Fund Commissioner had issued some orders to Regional Commissioners regarding the implementation of Family Pension Scheme ; if so, the main points thereof ;

(b) whether the Regional Commissioner for Bihar stationed in Patna has not carried out the said orders till now ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken or proposed to be taken against the guilty officer ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, the Central Provident Fund Commissioner is reported to have been issuing instructions/orders from time to time for effective implementation of the Scheme. These relate to administrative, financial, accounting and enforcement aspects of the implementation.

(b) and (c) The Provident Fund authorities have reported that as no specific instance of non-observance of any order has been cited, it is not possible to give a precise reply.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दर्जा

3483. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन एक स्वायतशासी निकाय है ;

(ख) क्या इसे केन्द्रीय सरकार के निदेशाधीन चलने वाले सरकारी क्षेत्र के संगठन की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संगठन का दर्जा क्या है और कौन-से अन्य संगठन उस श्रेणी में सम्मिलित किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित, एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि, न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड के सुपुर्द हैं और उसके द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो की परिधि के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक उपक्रमों में से नहीं है।

(ग) संगठन का दर्जा उक्त (क) में निर्दिष्ट अनुसार है। इसकी तुलना ऐसे अन्य संगठनों से की जा सकती है, जो सरकारी क्षेत्र के संगठनों/निगमों के वर्ग के अधीन नहीं आते हैं, पर विशेष रूप से निर्दिष्ट कार्यों के लिए संसद् के अलग अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को बोनस के रूप में फालतू अधिभार का भुगतान

3484. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा गैर-छूट प्राप्त तथा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से क्रमश: प्रशासन और निरीक्षण शुल्क एकत्र किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1972 को कुल कितनी फालतू राशि उपलब्ध थी ; और

(ग) क्या यह राशि उक्त संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दिये जाने के लिए नहीं है और यदि हां, तो क्या इस राशि में से उन्हें बोनस नहीं दिया जाना चाहिए ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र जो कि 31-3-72 को संगठन की परिसंपतियों तथा देयताओं तथा प्रशासन लेखा में अधिशेष की स्थिति का संकेत करते हैं, संकलित और संपरिक्षित नहीं किए गए हैं। तदनुसार 31-3-1972 को प्रशासन लेखा में अधिशेष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रशासन लेखा में अधिशेष संगठन के आय और व्यय के अन्तर में से, जो भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित होता है, निकलता है, और वह संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के फल के स्वरूप जैसा नहीं होता। वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी संवर्गों के कर्मचारियों के समतुल्य माना गया है। संगठन के कर्मचारियों को कोई बोनस देय नहीं हैं।

भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या

3485. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अनुमानों के अनुसार 'भारतीय मजदूर संघ' की अखिल भारतीय स्तर पर सदस्य संख्या क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रारों के अभिलेखों के अनुसार, भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता 31 दिसम्बर, 1970 को 4,13,560 थी। प्रस्वीकृत जाँच प्रक्रिया के अनुसार, सरकार द्वारा सदस्य संख्या की जाँच नहीं की गई है।

Representation of Scientific Workers Association, Kanpur

3486. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Scientific Workers Association, Kanpur, which is a recognised Union, is not being allowed representation in the J.C.M. at lower level, although such a provision exists in the constitution of the J.C.M. ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) The Scientific Workers' Association, Kanpur, being an All India Association was given representation in the 2nd and 3rd Level Councils of the JCM. Of late, however, it has not been possible to invite their representative for meetings of these Councils because of intra-Union rivalry in the Association and the resulting dispute having been taken to Court.

Demand for raising Yadav Regiment in the Indian Army

3487. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a demand for raising a Yadav Regiment in the Indian Army was made in the Conference of Yadav Mahasabha held at Indore in October, 1971 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No such demand based on a resolution said to have been passed at the Indore Conference has come to Government's notice ; however, the District Yadav Yuvak Sabha, Varanasi, passed a resolution at their meeting held on 5-12-71 demanding the raising of a Yadav Regiment.

(b) Government are not in favour of any class distinctions in Army and do not intend to raise any new regiments on the basis of class, caste or region.

बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन

3488. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार केन्द्र की सलाह पर गुजरात प्रतिनिधि श्रमिक संघों की जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर केन्द्रीय मंत्री और गुजरात के श्रम मंत्री तथा मुख्य मंत्री में कोई बातचीत हुई थी, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) अन्तिम निर्णय गुजरात सरकार ने देना है।

(ग) जी हां। गुजरात सरकार ने, किए गए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए विधेयक पर पुर्नविचार करना है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोकिंग कोयले के मूल्य में वृद्धि

3489. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उनकी वित्तीय स्थिति क्या है ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोकिंग कोयले के मूल्य बढ़ाये गए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो किस सीमा तक और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) (क) क्योंकि कोककारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1-5-72 से ही हुआ है अतः वित्तीय स्थिति 1972-73 वर्ष की समाप्ति के पश्चात लेखा-विवरण तैयार करने के बाद ही उपदर्शित की जा सकती है। तथापि, यह पूर्वानुमान है कि भारत कोकिंग कोल प्रारंभण में मजदूरी बिल में वृद्धि और रेल परिवहन की कमी जैसे पहलुओं के कारण कोयले के अपक्रय के सुदृढीकरण के कारण कुछ हानि उपगत करेगा।

(क) और (ग) वर्जित महंगाई भत्ते, मजदूरी बोर्ड पंचाट के अनुसार कर्मकारो के पुनर्वर्गीकरण, संविदाकारों के कर्मकारों के विभागीयकरण के कारण अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए कम्पनी को समर्थ बनाने हेतु 1-5-1972 से कोककारी कोयले की कीमत 3.20 रुपये प्रति टन वर्धित की गई। इसके अतिरिक्त, कानूनी बोनस 4% से 8.33 प्रतिशत तक वर्धित किया गया है और 16-9-1972 से अनिवार्य उपदान परियोजना लागू की गई है। इन समस्त पहलुओं से उत्पादन-लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसलिए कीमत में वृद्धि की आवश्यकता हुई।

Proposal for Reorganisation of Hindustan Steel Limited

3490. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to reorganise the Hindustan Steel Limited ; and

(b) if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir. However, when the Holding Company for Steel and associated input industries is formed, Hindustan Steel Limited will become one of its subsidiaries.

(b) Does not arise.

मैंगलौर में खानों से पत्तन तक समुद्र में पाइप लाईनों का निर्माण

3491. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में बडे बड़े जहाजों पर लौह अयस्क चढ़ाने के लिए 6 किलोमीटर भूमि और 16 किलोमीटर समुद्र में पाइप लाइन मेंगलौर खानों से मेंगलौर पत्तन तक बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितनी लागत आएगी और किस विदेशी फर्म को यह कार्य सौंपा गया है ; और

(ग) क्या जिस विदेशी फर्म ने यह कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है, वही फर्म हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन काण्ड से भी संबंधित थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हाँ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की कुद्रेमुख प्रायोजना में लगभग 60 किलोमीटर की स्थल दूरी और फिर समुद्र में बड़े जहाजों को भराई के लिए समुद्र के अन्दर लगभग 17 किलोमीटर की दूरी से मंगलौर पत्तन के समीप एक स्थान को पाइप लाइन के माध्यम से लौह अयस्क घोल के परिवहन को प्रस्तावित किया गया है।

(ख) पाइप लाइन की लागत 22 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। खनन प्रायोजना में निम्नलिखित चार फर्में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सहयोग दे रही हैं :—

1. मैसर्स मार्कोना कारपोरेशन आफ यूनाइटेड स्टे्ट्स आफ अमेरिका।

2. मैसर्स मित्सुई।

3. मैसर्स ओकुरा ; और

4. मैसर्स निस्शो — इवाई आफ जापान।

प्रायोजना का पाइप लाइन भागसंयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स बेचटेल कारपोरेशन द्वारा मैसर्स मार्कोना कारपोरेशन के निमित्त बनाया गया था। तथापि इस प्रायोजना के बारे में सरकार द्वारा समग्रत: अंतिम विनिश्चय किया जाना है।

(ग) मैसर्स मार्कोना कारपोरेशन द्वारा घोल पाइप लाइन पद्धति के लिए प्रयोजना बनाने हेतु मैसर्स बेचटेल कारपोरेशन को नियुक्त किया गया। यद्यपि मैसर्स बेचटेल कारपोरेशन हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन से संबंधित था तथापि यह कुद्रेमुख प्रायोजना में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोगियों में से नहीं था। यह केवल सहयोगी दलों में से एक दल अर्थात् मैसर्स मार्कोना कारपोरेशन के संविदा के अधीन था।

युद्धबन्दियों के मामले में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता

3492 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्धबन्दियों के मामले में संयक्त राष्ट्र की मध्यस्थता उसे स्वीकार नहीं होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत-पाकिस्तान की सभी समस्याएं, किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना, शिमला समझौते की भावना के अनुरूप द्विपक्षीय एवं शान्तिपूर्ण ढंग से हल की जा सकती है और की जानी चाहिए। इसकी जानकारी पाकिस्तान को भी है। जहां तक पाकिस्तान युद्ध-बन्दियों का सवाल है, सरकार ने पाकिस्तान को यह भी साफ-साफ बता दिया है कि इस से संबद्ध किसी भी बातचीत में बंगलादेश को साथ रखना और उसे शामिल करना अनिवार्य है। चूंकि पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता देने से हमेशा इनकार करता रहा है, इसीलिए इस विषय पर तीनों सम्बद्ध देशों में बातचीत शुरू करने में विलम्ब हुआ है।

बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण-कार्य पर खर्च हुआ अतिरिक्त समय तथा धन

3493. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 40 लाख टन के बोकारो इस्पात कारखाने के कब तक पूरा हो जाने और चालू हो जाने की आशा है ;

(ख) पूर्व-अनुमति समय और धन की अपेक्षा इसे पूरा करने में कितना अतिरिक्त समय और धन खर्च हुआ है ; और

(ग) पूर्व-अनुमति समय तथा धन में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ५ स्टैण्ड कोल्ड रोलिंगमिल कम्पलैक्स को छोड़कर बोकारो इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण अर्थात ४० लाख टन के चरण का निर्माण कार्य १९७५ तक पूरा हो जाने की संभावना है। परीक्षणकरने और चालू करने के काम में उसे ६ महीने और लगेंगे।

(ख) और (ग) केवल कारखाने के प्रथम चरण की पूंजीगत लागत का अनुमान और निर्माण कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार किये गये हैं। प्रथम चरण के लिए मूल अनुमान ६७१ करोड़ रुपये था। यह अनुमान सन् १९६६ में तैयार किया गया था। बाद में इसे बदलकर ७५८ करोड़ रुपये किया गया। वृद्धि के कारणों का उल्लेख सदन में पूछे गये १६-३-७२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर में दिया गया है।

सन् १९६६ में तैयार किये गये पहले निर्माण कार्यक्रम के अनुसार कारखाने का प्रथम चरण में कारखाने को मार्च, १९७१ तक चालू किया जाना था। बोकारो स्टील लि० के बस से बाहर के कारणों, जैसे सिविल इंजीनियरी कार्य आरम्भ करने में देरी तथा देशीय संभारकों द्वारा उपस्करों और दूसरी सामग्री की सप्लाई में देरी से इस कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार जो ३ साल से पहले बनाया गया था प्रथम चरण मार्च, १९७३ तक पूरा होने की संभावना है। कारखाने को चालू करने में उसे ६ महीने और लगेंगे।

स्वनियोजन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र

3494. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वनियोजन को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक प्रकार के स्वनियोजन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोलने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में अब तक ये केन्द्र खोले जा चुके हैं और इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Banning the use of Napalm Bombs

3495. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the use of Napalm bombs in Vietnam war is ten times more than that in Korean war and the percentage of persons killed by Napalm bombs to the total number of persons killed in the war is 10 per cent ; and

(b) if so, whether Government have tried to seek co-operation of countries in the World to ban the use of such bombs ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government are aware of various reports regarding the use of chemical weapons and Napalm bombs in the Vietnam War. However, in the absence of any exhaustive statistics, it is difficult to state any specific figures.

(b) Government of India have consistently raised their voice against the use of such weapons and this in itself is a positive step contributing to the creation of an international climate against the use of such weapons.

Production of Ordnance Factories

3496. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether the Ordnance factories in India are now meeting all the requirements of our Infantry in regard to arms and ammunition ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Yes, Sir. The requirements of arms and ammunition for our Infantry are by and large being met by the Ordnance factories in India.

Blackmarketing of Steel

3497. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the approximate amount of loss being suffered by Government annually as a result of black marketing of steel ; and

(b) the measures taken by Government to check black marketing and to make available the steel to the consumers at fair price ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) The present distribution system is consumer-oriented and over 90% of the available steel production is supplied to the actual consumers at regulated prices.

There are occasional reports of leakage of alloted steel from some of the so-called actual consumers to the open market. Misutilisation of iron and steel for a purpose other than that for which it is allotted has been made an offence which would attract the penal provisions of the Essential Commodities Act, 1955. Regional Offices of the Iron and Steel Controller have been set up to keep a watch on the proper utilisation of iron and steel. Cases of misutilisation of iron and steel are investigated by these Regional Offices. Assistance of the C.B.I. is also talen, wherever necessary and prosecutions launched wherever appropriate. The sale of such misutilised steel in the open market at higher prices, while a penal offence, does not put Government to a loss as such.

भारतीय घरों और दुकानों में स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी के चित्र

3498. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जनसाधारण के बहुत से घरों और दुकानों पर स्वर्गीय राष्ट्रपति केनेडी के चित्र लगे हुए हैं ;

(ख) क्या यह बात मृत और जीवित अन्य अमरीकी राष्ट्रपतियों के चित्रों के बारे में भी सच है ;

(ग) क्या इसके कारणों की खोज की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) भारतीय परिवार किसी अमरीकी राष्ट्रपति का या वहां के किन्हीं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र अपने घर में रखना पसन्द करते हैं या नहीं करते, यह मामला उनकी निजी पसन्द का है और भारत सरकार इस पर कुछ कहने का औचित्य नहीं समझती ।

मैसूर में खनिज विकास बोर्ड को पट्टे पर दी गई भूमि

3499. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार ने अपने राज्य में खनिज विकास बोर्ड को खनन कार्यों के लिए कितने वर्गमील भूमि पट्टे पर दी है ;

(ख) कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन कार्य वास्तव में हो रहा है ; और

(ग) देश में अन्य खनन कर्ताओं के मुकाबले यह प्रतिशतता अधिक है या कम ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) मैसूर मिनरल लिमिटेड (भूतपूर्व खनिज विकास बोर्ड) को खनन प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दिया गया कुल क्षेत्र 34.57 वर्ग मील है ।

(ख) और (ग) इस जानकारी के संकलन में पर्याप्त विस्तृत कार्य अन्तर्वलित है । सामग्री को एकत्रित करते और प्राप्त होते ही उसको सभा पटल पर रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

भारत का विश्व की सैनिक शक्तियों में स्थान

3500. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का विश्व सैनिक शक्तियों में कौन सा स्थान है ;

(ख) क्या यह स्थान भारत की औद्योगिक शक्ति के स्थान की तुलना में उचित ठहरता है ; और

(ग) भारत की तुलनात्मक सैनिक स्थिति में सुधार हुआ है अथवा ह्रास ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) विश्व की सैनिक शक्तियों में भारत का स्थान निश्चित करना कठिन है क्योंकि यह केवल मनुष्य-शक्ति पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि अग्नि-शक्ति, शस्त्रास्त्रों और उपस्कर की किस्म, प्रशिक्षण का स्तर, औद्योगिक अवस्थापना आदि

जैसे विभिन्न तत्त्वों पर भी निर्भर करता है। भारत सैन्य शक्ति, विदेशी खतरों के प्रति देश की सुरक्षा के आधार पर जरूर निश्चित की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सभी भावी संभाव्यताओं का मुकाबला करने में सक्षम हो इसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ की युद्ध-विधवाओं को दी गई वित्तीय तथा अन्य सहायता

3501. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ की जिन युद्ध-विधवाओं को वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी है उनके नाम क्या हैं। इस सहायता का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश में चूना तथा शैल-पत्थरों के निक्षेपों का सर्वेक्षण

3502. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर क्षेत्र का सीमेंट प्रयोजनों के लिए उपयोगी चूना-पत्थर तथा शैल-पत्थर के निक्षेपों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सर्वेक्षण के आधार पर एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, चित्रण फलक मानचित्रण, गर्त्तन, खदान और प्रतिचयन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के गागल क्षेत्र में चूना-पत्थर की लगभग 1180 लाख टन उपलभ्य राशियाँ अनुमानित की गई हैं। इनमें से लगभग 1085 लाख टन सीमेंट श्रेणी चूना-पत्थर की हैं और शेष इस श्रेणी से निम्न स्तर की हैं।

(ग) क्योंकि निक्षेप सीमेंट विनिर्माण के उपयुक्त है अत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यह सिफारिश की थी कि क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के औद्योगिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाए।

श्रमिक के हताहत होने पर दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि

3503. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिकों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के हताहत होने की दशा में 499 रुपये मासिक वेतन के वर्तमान स्तर को, जिसके आधार पर मुआवजा दिया जाता है, अपर्याप्त समझती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्यता के लिए मजूरी सीमा को हटा देना चाहिए। यह सिफ़ारिश विचाराधीन है।

भारतीय वायु सेना के टेलीफोन आपरेटर का लापता होना

3504. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के सिगनल सैक्शन विंग, सी 31/56 ए सी ओ का एक टेलीफोन आपरेटर 24 मई, 1972 से अपनी ड्यूटी से लापता है ;

(ख) यदि हां तो क्या वायु सेना प्राधिकारियों द्वारा ढूंढ़ने का कोई प्रयास किया गया है;

(ग) क्या उसके परिवार के किसी सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) नं० 31 विंग एयर फोर्स से एक रेडियो टेलीफोन आपरेटर 24 मई 1972 से बिना छुट्टी के अनुपस्थित है। फलस्वरूप उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। सिविल पुलिस के सहयोग से भगोड़े को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी पत्नी से दो पत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 1972 तथा 27 अक्टूबर, 1972 प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अपने पति के पता के संबंध में पूछताछ की है। 7 अक्टूबर 1972 के अपने पत्र में उन्होंने सूचित किया है कि उनके पति ने एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है और यह समाचार एक स्थानीय समाचार पत्र में छपा था। उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि उनके पति 24 मई, 1972 से ड्यूटी से बिना छुट्टी के अनुपस्थित हैं और उनका पता लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है तथा समाचार पत्र के सम्पादक से भी सम्पर्क किया जाएगा।

बोनस पुर्नविलोकन समिति का पुनर्गठन

3505. **श्री रामप्रकाश** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस पुर्नविलोकन समिति का पुनर्गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के लिए स्थान

3506. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र, पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों के बारे में सचिवालय के लिए कोई उचित स्थान खरीदना चाहता है ;

(ख) क्या भारत ने कोई पेशकश की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) से (ग) : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सचिवालय के सदर मुकाम के लिए उचित स्थान के प्रश्न पर हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू 27वें सत्र में विचार किया गया था।

भारत ने प्रारम्भ में स्थान के रूप में नई दिल्ली की पेशकश की थी। भारत के साथ अन्य उम्मीदवार थे : आस्ट्रिया, साइप्रस, कीनिया, मालटा, मैक्सिको, मोनाको, स्पेन, उगांडा और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा उक्त सचिवालय को न्यूयार्क अथवा जेनेवा में स्थान देने के प्रस्ताव भी थे।

विकासशील देशों में, कीनिया सबसे दृढ़ प्रत्याशी था। भारत ने अपना नाम वापस ले लिया ताकि नैरोबी को आसानी से चुना जा सके जो कि अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के कारण नए सचिवालय का स्थान होगा। आशा है कि महासभा के सम्पूर्ण सत्र में इस निर्णय की पुष्टि हो जाएगी।

चिन्तापल्ली (विशाखापत्तनम जिला) की पहाड़ियों में एलुमीनियम निक्षेपों का पाया जाना

3507. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार के खनन तथा भूविज्ञान विभाग ने विशाखापत्तनम जिले

के चिन्तापल्ली तालुक की पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में एलुमीनियम वाला खनिज बाक्साइट ढूंढ़ निकाला है ;

(क) क्या इसका परिणात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर, चिंतापल्ली तालुक में सप्पारला में की दो पहाड़ियों में से किसी में लगभग 100 से 150 लाख टन बाक्साइट अयस्क के अन्तर्विष्ट होने की सम्भावना है। ऐसी आशा है कि बृहद् रूप से यह ग्रेड II अयस्क होगा। इन पहाड़ियों और चिंटापल्ली पाडेरू क्षेत्रों में विशिष्टतया गुडेम के उत्तरी पर्वत शृंखलाओं में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। अब तक किए गए क्षेत्रीय कार्य की, सांगुदी और डालेपल्ली के समीप समरूप प्राप्तिस्थलों की अवस्थापना में परिणति हुई है।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विधेयक

3508. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक नया विधेयक तैयार किया है ;

(ख) क्या नये विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि यदि श्रमिक 'नियम के अनुसार काम करो' अथवा 'धीरे काम करो' का सहारा लेते हैं अथवा नियोक्ता या प्रबन्धक के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन करते हैं तो मजदूर संघों की मान्यता समाप्त कर दी जाये ;

(ग) क्या प्रस्तावित विधेयक के बारे में केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों से परामर्श ले लिया गया है ; और यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक सम्पर्कों पर एक नया विधेयक अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है ।

सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोकिंग कोयला खानों का बन्द होना

3509. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई 214 कोकिंग कोयला खानों में से 40 खानें बन्द हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बन्द खानों को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोई खान बन्द नहीं की गई है।

214 कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण के समय, 43 कोयला खानें कार्यरत नहीं थीं। कोककारी कोयला खानों के पुनर्गठन के संदर्भ में बन्द पड़ी हुई कोयला खानों के पुनः खोलने की साध्ययता का अध्ययन किया जा रहा है ।

दिसम्बर, 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

3510. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर युद्ध के पश्चात् युद्ध विराम के समय से पाकिस्तानी सेना ने पश्चिम क्षेत्र में युद्धविराम रेखा का कितनी बार उल्लंघन किया है ;

(ख) क्या सरकार को युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन की चिन्तनीय वृद्धि की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ।

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवम राम) : (क) 18 दिसम्बर 1971 और 29 नवम्बर 1972 के बीच पाकिस्तानी सेना ने कुल 1841 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया है।

(ख) तथा (ग) युद्ध विराम उल्लंघनों में हाल ही में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो हमारी चिन्ता का विषय बने। इस बारे में कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सुरक्षा सेनाओं को अनुदेश हैं।

पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का निकोबार द्वीप में बसाया जाना

3511. **श्री आर० एल० भाटिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीप में पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के कितने परिवार बसाये गए हैं ;

(ख) इन परिवारों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ग) केरमवैल की खाड़ी (बृहत निकोबार) में पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों के बसाने का भावी कार्यक्रम क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में 25 अगस्त, 1972 को लोक सभा में उत्तर दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3429 के साथ संलग्न विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के 1000 अतिरिक्त परिवारों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान द्वीप में बसाने की एक योजना विचाराधीन है। परिवारों का चयन सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उनके भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के अनुसार किया जाएगा जो उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

'ब्लिट्ज' में प्रकाशित समाचार 'जिंक मोंस्टर अटैक्स इंडिया'

3512. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 अगस्त, 1972 के 'ब्लिट्ज़' में 'जिंक मोंस्टर अटैक्स इंडिया' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नवम्बर, 1971 में ब्रिटेन के मैसर्स रीओ टिन्टो जिंक परामर्शदाताओं को दरीबा-राजपुरा में बहुधातु निक्षेप के लिए प्रत्ययात्मक इंजीनियरी अध्ययन सह-साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियोजित किया गया था। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के संवीक्षाधीन है।

ब्रिटेन की फर्म मैसर्स आर० टी० जेड०, सीसा-जस्ता उद्योग में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्म है। वह 'इम्पीरियल स्पेलटिंग प्रोसेस' के पेटेन्ट धारी भी है जिस प्रक्रिया को अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए दरीबा-राजपुरा निक्षेपों के सम्बन्ध में एक अनुकल्प माना गया है।

औद्योगिक विवाद

3513. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1969-70 से 1971-72 तक की अवधि में प्रतिवर्ष राज्यवार, प्रयोजन-वार और उद्योग-वार कितने औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुए;

(ख) समझौता, मध्यस्थता और द्विपक्षीय करारों के माध्यम से राज्यवार कितने विवाद निपटाये गए;

(ग) 1969-70 से 1971-72 तक प्रतिवर्ष राज्यवार (1) कितनी हड़ताल, और (2) कितनी ताला-बन्दी हुई; और

(घ) उक्त अवधि में प्रतिवर्ष राज्यवार हड़तालों और तालाबंदी से कितने श्रमिक प्रभावित हुए और कितने कार्य-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रमजीवी जनसंख्या

3514. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 में और 1971 में राज्यवार श्रमजीवी जनसंख्या कितनी थी;

(ख) 1961 में और 1971 में प्रत्येक राज्य में कुल जनसंख्या के अनुपात में श्रमजीवी जनसंख्या कितनी थी;

(ग) 1961 में और 1971 में राज्यवार किसानों और कृषि श्रमिकों की संख्या क्या थी; और

(घ) 1961 और 1971 में कृषि-कार्य में लगे कुल लोगों के अनुपात में किसानों और कृषि-श्रमिकों की राज्यवार संख्या क्या थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) सूचना दर्शाने वाली चार सारणियाँ संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी०** 3941/72]

मैसर्स आलडक्ट इण्डिया, गांव नेरेडमेट, सिकन्दराबाद, पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्टाफ द्वारा छापा मारा जाना

3515. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम और हैदराबाद स्थित श्रम कार्यालय के कुछ निरीक्षकों ने 28 अप्रैल, 1971 को मैसर्स आलडक्ट इण्डिया, गांव नेरेडमेट, सिकन्दराबाद के कार्यालय पर छापा मारा था और उसकी जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत था, और सभी श्रमिक कानूनों का उल्लंघन कर रहा था; और

(ग) क्या निरीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है; और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कारखाने का निरीक्षण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ निरीक्षकों द्वारा 28 अप्रैल, 1971 को किया गया था।

(ख) और (ग) यह मालूम हुआ है कि मैसर्स आलडक्ट इंडिया को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था और यह कि बाद को इसे तीन इकाइयों, अर्थात् आलडक्ट इंडिया आलडक्ट एनोडाइजर्स और आलडक्ट फैब्रीकेटर्स में विभाजित किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम

ने यह सूचित किया है कि संबंधित अभिलेखों की छानबीन करने पर केवल मैसर्स आलडक्ट इंडिया ही कुछ अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत आई पाई गई और इस अवधि सम्बन्धी अंशदान को वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कारखाने को अन्य अवधियों के लिए और अन्य दो इकाइयों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम और आगे जांच कर रहा है। सूचना मिली है कि राज्य श्रमायुक्त इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं।

Opening of a Coal Mine in Shahdol

3516. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open one more coal mine in Shahdol District of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the name of the agency which wants to open this coal mine there ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) The National Coal Development Corporation Limited proposes to take up the Bijuri underground mine in Shahdol District of Madhya Pradesh with an ultimate target capacity of 0.48 million tonnes per annum.

Strike by Workers of Johilla Coal Field Private Limited, Shahdol District, M.P.

3517. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether 1500 labourers working in the Johilla Coal Fields Private Limited in Shahdol District of Madhya Pradesh went on strike for payment of 8.33 per cent bonus from 4th November, 1972 to 15th November, 1972 ;

(b) the reaction of Government thereto ; and

(c) the loss suffered by the nation as a result thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) Some 1200 workmen of Birsinghpur colliery of Johilla Coal Fields Private Limited in Shahdol District went on strike from the second shift of 4-11-72 demanding bonus at 8.33% before Dewali. The Assistant Labour Commissioner (Central), Shahdol intervened in the dispute and brought about a settlement on 15-11-72, under which the management agreed to pay bonus at 8.33% for the accounting year 1971 to the Coal Cutters on 18-11-72 and to the remaining workmen on 15-12-72.

(c) The loss is estimated at about Rupees six lakhs.

बम्बई के अधिगृहीत/अधिग्रहण मुक्त किए गये मकान/कमरे/फ्लैट

3518. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक कर्मचारियों के लिए बम्बई शहर में कितने मकान, कमरे तथा फ्लैट अधिगृहीत अथवा/अनधिगृहीत किए गए तथा किन-किन तारीखों को किए गए ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : गत तीन वर्षों में केवल फ्लैट नं० 10 सैफी कोर्ट, बम्बई का 22-5-1972 को अधिग्रहण किया गया था ।

निम्नांकित भवनों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से अधिग्रहण से मुक्त किया गया था :—

1. लक्ष्मी बाग —15-2-1970
2. भीखू बिल्डिग (8 फ्लैट)—14-12-1970
3. रुक्मणी निवास—16-11-1971
4. मेफेसर (2 फ्लैट)—31-8-1972

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के आचरण सम्बन्धी अनुदेश

3519. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त अथवा अनुदेश अथवा नियम बनाये हैं कि विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए;

(ख) क्या विदेशों में जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लाभ के लिए कोई पाठ्यक्रम चलाया जाता है; और

(ग) क्या सरकार विदेश जाने के इच्छुक भारतीयों से ऐसा वचन लेती है कि वे ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे देश की बदनामी हो अथवा जो राष्ट्र-हित के विपरीत हो ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं, प्रत्येक भारतीय नागरिक से स्पष्टतः यह आशा की जाती है कि वह शोभनीय व्यवहार करे, विशेष रूप से विदेश में ।

'आपरेशन हार्ड राक' कार्यक्रम पर अनुवर्ती कार्यवाही

3520. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आपरेशन हार्ड राक' कार्यक्रम पर अनुवर्ती कार्यवाही में प्रगति हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) 'आपरेशन हार्ड राक' के अन्तर्गत किए गए हवाई सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, अक्तूबर, 1972 तक 11,000 से अधिक विद्युतचुंबकीय हवाई असंगतियों का धरातल पर प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक भूमीक्षण द्वारा मूल्यांकन किया गया । इनमें से 843 अवरोधों के विस्तृत भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भूरासायनिक एकीकृत सर्वेक्षण किए गए हैं । आशाजनक लक्ष्यों पर 30,000 मीटर से अधिक व्यधन किया जा चुका है । अब तक किए गये समन्वेषी व्यधन के परिणामस्वरूप, चार आशाजनक पूर्वेक्षण स्थल प्रकाश में आए हैं जिनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए उनका विस्तृत व्यधन किया जा रहा है । इनमें से दो पूर्वेक्षण स्थल ताम्र के लिए बिहार और राजस्थान में हैं और अन्य दो सीसा-जस्ता-चाँदी के लिए राजस्थान में हैं ।

सिविलियन स्टोर कीपर (यूनिट्स) का वेतन-मान/स्थायीकरण/पदोन्नति

3521. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविलियन स्टोर कीपर (यूनिट्स) का वेतनमान सशस्त्र सेना मुख्यालयों में नियोजित निम्न श्रेणी लिपिकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों के ऊपर है ;

(ख) निम्न श्रेणी लिपिकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों को तब तक स्थायी नहीं बनाया जाता जब तक वे संघ लोक सेवा आयोग का टाइप टैस्ट पास नहीं करते, भले ही उन्होंने 12, 16 वर्ष सेवा कर ली हो जबकि सिविलियन स्टोर कीपर ग्रेड IV को सिविलियन स्टोर कीपर ग्रेड III में पदोन्नत किया जाता है जिससे उनको लगभग 60 रुपये मासिक वित्तीय लाभ होता है और लखनऊ में होने वाले 'स्टोर्स प्रिजरवेशन कोर्स' को पास करे बिना उन्हें स्थायी बना दिया जाता है ; और

(ग) उनको यह छूट किन आधारों पर दी गयी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लोअर फार्मेशन्स में स्टोरकीपरों के संवर्ग में निम्नतम स्तर पर एक सिविलियन स्टोर कीपर (यूनिट) के वेतनमान वहीं हैं जो कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक के हैं । लोअर फार्मेशन्स में उच्चतर स्तर पर सिविलियन स्टोर कीपर (यूनिट) के वेतनमान सशस्त्र सेना मुख्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक के वेतनमान के समान होते हैं—पहले पद का वेतनमान 150-300 रुपये है, दूसरे का 130-280 रुपये है । तथापि, लोअर फार्मेशन्स (यूनिट) में स्टोरकीपर के संवर्गों में सिविलियन स्टोरकीपर के वेतनमान ऊंचे भी हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायकों के ऊंचे वेतनमान के समान हैं ।

(ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों को, जब तक उनको किसी प्रकार की छूट न दी जाए, स्थायी करने से पहले टाइपराइटिंग टैस्ट पास करना होता है । तथापि, छूट पर निम्नांकित मामलों में विचार किया जाता है :—

(1) जो शारीरिक रूप से असमर्थ हो तथा सिविल सर्जन से अपेक्षित प्रमाण-पत्र दे दें ।

(2) जो सशस्त्र सेना मुख्यालय में 14-8-59 से पूर्व नियुक्त किए गये थे उन्हें 45 वर्ष की आयु पूरा करने पर तथा 7-8-1965 को अथवा उसके पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर।

(3) सशस्त्र सेना मुख्यालय में अन्य निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड में वरिष्ठता पाने के लिए 45 वर्ष की आयु पूरी करने तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, बशर्ते उन्होंने टाइप टैस्ट पास करने के लिए दो सच्चे प्रयत्न किए हों।

कार्मिक विभाग ने अब उन निम्न श्रेणी लिपिकों के मामले में छूट देने का निर्णय किया है जिन्होंने 22-10-1971 को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और अन्य मामलों में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर बशर्ते उन्होंने टाइप टैस्ट पास करने के लिए 2 प्रयत्न किये हों। इन आदेशों को सशस्त्र सेना मुख्यालय में लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

स्टोरकीपर—3 के पद पर पदोन्नति हो जाने पर सामान्य नियमों के अधीन वेतन नियत होने पर वेतन में वृद्धि और उसके साथ भत्ते में वृद्धि, यदि कोई हो, 60 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी।

स्टोरकीपर—4 के रूप में स्थायी होने के लिए लखनऊ में स्टोर प्रिजरवेशन कोर्स पास करना पूर्वापेक्षा नहीं है। स्थायी बनना स्थायी पदों की उपलब्धता, सम्बन्धित व्यक्ति की वरीयता और सेवा रेकार्ड का सन्तोषजनक होने पर निर्भर करता है।

(ग) स्थायी होने के लिए स्टोर प्रिजरवेशन कोर्स पास करना अनिवार्य नहीं समझा जाता है।

'प्रावीडेंट फ़ंड मालिकों द्वारा 500 करोड़ रुपये हड़प जाना' सम्बन्धी समाचार

3522. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 सितम्बर, 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' बम्बई में पृष्ठ एक 'प्रावीडेंट फंड मालिकों द्वारा 500 करोड़ रुपये हड़प जाना' शीर्षक के अन्तर्गत छापे गये समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) 18-9-72 के इकानामिक टाइम्स में भविष्यनिधि की बकाया राशियों के सम्बन्ध में प्रकाशित रिपोर्ट का सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार द्वारा 26-9-72 को उसी पत्र के स्तम्भों में पहले ही खंडन कर दिया गया है। 30-6-72 को कुल भविष्यनिधि की बकाया राशि 21.26 करोड़ रुपये थी।

'हैदराबाद हाउस' नई दिल्ली, का किराया

3523. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हैदराबाद हाउस', नई दिल्ली के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष कितना किराया अदा कर रही है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में उपरोक्त भवन के किराये के रूप में कितनी राशि अदा की गई ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अनन्तिम रूप से 1,25,000 रु० की राशि वार्षिक किराये के रूप में दी जा रही है।

(ख) 3,75,000 रु० ।

बोकारो इस्पात चालक समिति द्वारा हड़ताल का अल्टीमेटम

3524. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात चालक समिति के लगभग 5,000 सदस्यों ने प्रबन्धकों को अपने हड़ताल सम्बन्धी निर्णय का अल्टीमेटम दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) बोकारो प्रगतिशील कर्मचारी संगठन ने (पहले इसका नाम बोकारो इस्पात चालक समिति था) ने 3 अक्तूबर, 1972 को बोकारो स्टील लि० के प्रबन्धकों को एक मांग पत्र तथा 14 नवम्बर, 1972 से हड़ताल करने का नोटिस दिया था। बाद में यह तारीख बढ़ाकर 21 नवम्बर, 1972 कर दी गई।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं :—

(1) ड्राइवरों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के आदेश को कार्यान्वित करना।

(2) वरिष्ठता के अनुसार ड्राइवरों की परिचालन विभागों में खपत ; और

(3) अन्य विविध मांगें, जैसे अग्नि शमन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार, ड्राइवरों आदि की पदोन्नति की व्यवस्था आदि।

राज्य सरकार के श्रम विभाग के हस्तक्षेप से समझौता हो गया तथा हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया गया।

———

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस में पुलिस के अत्याचार के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। यह एक गम्भीर मामला है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक फोटोग्राफ में यह दिखाया गया है कि जमीन पर पड़े हुए एक छात्र को कई पुलिसमैन पीट रहे हैं। यह अभी हाल में हुई घटना है, इसलिए इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया जाय, जिससे सदन को शिक्षा मन्त्रालय के विश्वविद्यालयों की घटनाओं पर विचार करने का अवसर मिल सके।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, you have sent a message to me that you are not going to admit the Adjournment Motion. Is it out of order ? We want to have a discussion on the conduct of the Police. The Police manhandled the students without any provocation and even the girls and professors were not spared. It is a serious matter. Delhi has not got any Assembly...(*Interruptions*).

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमान् जी, कल ही शिक्षा मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय के कैम्पस में तब तक पुलिस नहीं बुलाई जायेगी, जब तक कि हिंसात्मक घटनायें न हों। छात्र शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे ; परन्तु पुलिस ने अचानक ही छात्रों की पिटाई शुरू कर दी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Voice-chancellor had already posted the policemen in his room in plain clothes.

Rule 60 (2) says : provided that where the Speaker has refused his consent under Rule 56 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing concent or holding the motion as being not in order.

The House should be given an opportunity to discuss this matter.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि शिक्षा मंत्री, प्रो० नूरुल हसन जब यहां वक्तव्य दे रहे थे, तब पुलिस कानून को अपने हाथ में ले रही थी··· **(व्यवधान)**।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Police was encourged to indulge in such activities by the statements of the Minister.

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष खड़ा हुआ हो तो किसी अन्य सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए। **(व्यवधान)** जब तक मैं खड़ा हुआ हूं, कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी। **(व्यवधान)****

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मेरा अपना मन भी इन बातों से काफी दुखी है। कई दिनों से यह सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों में इस विषय पर तीन बार चर्चा हो चुकी है। कल भी इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। एक बात रोजाना हो रही है और मामला निरन्तर जारी है। नियमों के अनुसार अगर कोई मामला बराबर जारी है और यदि उस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है······(**व्यवधान**) मैं इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में गृहीत नहीं कर सकता। अगर किसी अन्य रूप में इसे लाया जाय, तो इस विषय पर चर्चा की जा सकती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If there is continuous Police firing, you would say that it is a continuing matter.

Mr. Speaker : There are different versions in the newspapers.

Shri Atal Bihari Vajpayee : No, all of them are unanimous today.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय को कम-से-कम वक्तव्य तो देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक समाचारपत्र में छात्र नेताओं के भिन्न-भिन्न वक्तव्य आये हैं। मैं मन्त्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहता हूं और उसके बाद भी अगर आप चाहेंगे कि चर्चा होनी चाहिए, तो मैं उसकी अनुमति दे दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You kindly admit it as a Calling Attention Notice, otherwise you would not allow us to ask questions.

Mr. Speaker : When I have said that I am going to ask the Minister to make a statement, you should not have any doubt.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : जैसा कि आपने कहा, मैं अपने साथी से वक्तव्य देने के लिए कह दूंगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह सब कुछ उप-राज्यपाल के हस्तक्षेप के कारण हुआ। एक प्रश्न निष्कासन से सम्बन्धित है। मामला गम्भीर है, अतः इस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मन्त्री महोदय आज ही वक्तव्य देंगे।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हरिजनों पर कथित अत्याचार के बारे में

RE. ALLEGED ATROCITIES ON HARIJANS IN BANDA DISTRICT OF UTTAR PRADESH

अध्यक्ष महोदय : एक हरिजन नेता की हत्या का मामला उठाने के लिए मैंने प्रो० मधु दण्डवते और श्री ज्योतिर्मय बसु को दो-दो मिनट देने का निर्णय किया है। राज्य का विषय होने पर भी हरिजनों से सम्बन्धित होने के कारण, मैंने इसके लिए अनुमति दे दी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले के एक गांव में 4 दिसम्बर, 1972 को हरिजनों पर किये गये अत्याचार की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

एक लोकप्रिय हरिजन नेता श्री शिव प्रसन्न केवट की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पाँच अन्य व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया । यह दुखद घटना चुनाव के परिणामस्वरूप घटित हुई है ।

ग्राम प्रधान के चुनाव में उच्च जाति के उम्मीदवार श्री जगत नारायण के खिलाफ एक हरिजन उम्मीदवार श्री रामाधार लोहान विजयी रहे । इसी कारण उच्च जाति के सभी हिन्दू उत्तेजित हो गये और उन पर सब तरह के अत्याचार किये गये । विभिन्न क्षेत्रों में हरिजनों का आर्थिक बहिष्कार भी शुरू कर दिया गया । समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार, पुलिस ने हरिजनों को संरक्षण देने के बजाय उन पर अत्याचार किया ।

हरिजनों पर अत्याचार का यह मामला मैं चौथी बार उठा रहा हूं । मैं यह चाहता हूं कि हरिजनों पर जब भी अत्याचार का मामला उठाया जाय, तभी गृह मन्त्री को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देना चाहिए कि हरिजन समुदाय को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं है । हरिजन लड़कियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया है । उनके साथ बलात्कार किया गया । यह एक गम्भीर मामला है । जिलाधीश ने दो सिपाहियों का चालान किया है । अगर कोई हरिजन नेता लोकतान्त्रिक चुनाव में विजयी रहता है, तो ऊँची जाति के हिन्दुओं को इस प्रकार का अत्याचार करने की क्या आवश्यकता थी ? मैं इस सरकार की निन्दा करता हूं, जो हरिजनों और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने में विफल रही है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

चौथी लोक सभा

(एक)	विवरण संख्या 26	सातवां सत्र, 1969
(दो)	विवरण संख्या 25	आठवां सत्र, 1969
(तीन)	विवरण संख्या 23	नौवां सत्र, 1969
(चार)	विवरण संख्या 26	दसवां सत्र, 1970
(पांच)	विवरण संख्या 16	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(छः)	विवरण संख्या 9	पहला सत्र, 1971
(सात)	विवरण संख्या 17	दूसरा सत्र, 1971
(आठ)	विवरण संख्या 9	तीसरा सत्र, 1971
(नौ)	विवरण संख्या 8	चौथा सत्र, 1972
(दस)	विवरण संख्या 2	पांचवां सत्र, 1972

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3934/72 ।]

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उपदान संदाय (केन्द्रीय) नियम, 1972 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 412 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3914/72 ।]

(2) केन्द्रीय कोयला खान सुरक्षा केन्द्रों सम्बन्धी समिति, धनबाद, के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी) संस्करण की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3935/72 ।]

————

परिसीमन विधेयक
DELIMITATION BILL

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा में राज्यों के लिए स्थानों के आवंटन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या, विधान सभा वाले प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का लोक सभा तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं और दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचनों हेतु क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनर्समायोजन और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा में राज्यों के लिए स्थानों के आवंटन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या, विधान सभा वाले प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का लोक सभा तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं और दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचनों हेतु क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनर्समायोजन और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री नीतिराजसिंह चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE* INTERNATIONAL SITUATION

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करती है।"

मैं चाहता था कि प्रस्ताव पेश करते समय मैं भाषण न करूँ, जिससे माननीय सदस्यों को बोलने के लिए अधिक समय मिल सके। अगर सदस्य चाहते हैं, तो मैं प्रारम्भ में भी भाषण कर देता हूं।

भारतीय उप-महाद्वीप, यूरोप और अन्य देशों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछले एक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में लगभग सभी देशों में, जहां पहले संघर्ष की स्थिति थी, तनाव में निश्चित रूप से कमी हुई है।

समाजवादी देशों के समूह और पश्चिम यूरोप के देशों के बीच आम तौर पर संघर्ष का वातावरण था। 'नाटो' सन्धि, 'वारसा' सन्धि और दो जर्मन देशों के मामले पर अधिकांश तनाव था। पिछले कुछ महीनों में यूरोप की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। इसका अधिकांश श्रेय जर्मन संघीय गणराज्य के चान्सलर विली ब्रान्ट के नेतृत्व में अपनाई जाने वाली नीतियों को है। मास्को में जर्मन संघीय गणराज्य और सोवियत संघ के बीच हुई सन्धि और वारसा में हुए समझौते के कारण तनाव में कमी हुई है। विली ब्रान्ट को अभी हाल के चुनावों में जो भारी समर्थन मिला है, वह उनकी नीतियों की सफलता का प्रतीक है। जर्मन जनवादी गणराज्य और जर्मन संघीय गणराज्य में पहले ही समझौता हो चुका है। यूरोप से ही तो विश्वयुद्धों की शुरुआत हुई थी इसलिए यूरोप में तनाव में कमी होने से शान्ति की समर्थक शक्तियों को बल मिला है।

हेलसिन्की में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, ताकि सहयोग और शान्ति को स्थायी रूप दिया जा सके।

राष्ट्रपति निक्सन और चीनी नेताओं के बीच पेकिंग में हुए शिखर सम्मेलन के कारण पूर्व एशिया के देशों में तनाव में कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप जो देश अब तक अपनी नीतियों के लिए समर्थन हेतु अमेरिका की ओर देखा करते थे, उन्हें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा है। जापान ने ताइवान में अपना मिशन बन्द करने का निर्णय किया है। आस्ट्रेलिया ने भी ताइवान में अपना दूतावास बन्द करने का निर्णय किया है। अब विश्व के सामने वास्तविकता स्पष्ट होती जा रही है।

जापान के प्रधान मन्त्री और चीनी नेताओं के बीच हुए शिखर सम्मेलन के कारण जापान और चीन के बीच तनाव और संघर्ष का युग समाप्त हो गया है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया शान्तिपूर्ण एकीकरण के लिए द्विपक्षीप आधार पर बातचीत कर रहे हैं, इससे भी तनाव में कमी हुई है।

हिन्द चीन की स्थिति से समस्त विश्व में चिन्ता है। लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम और अमेरिका के बीच बातचीत से जो नौ-सूत्री समझौता बना है उस पर अभी तक दोनों सरकारों ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किये हैं। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की स्थिति भी चिन्ताजनक है। इस समय उत्तरी वियतनाम के प्रतिनिधि श्री ली डक थो और राष्ट्रपति निक्सन के प्रतिनिधि डा० कीसिंजर के बीच काफी समय से पेरिस में गुप्त बातचीत हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई बातों पर सहमति हो चुकी है और शीघ्र ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर हो जायेंगे, जिससे युद्ध-विराम हो सकेगा और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वियतनाम की जनता अपनी इच्छानुसार सरकार बनाने का निर्णय कर सकेगी।

दोनों पक्ष शान्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आरम्भ में अस्थायी शान्ति हो जायेगी और इससे उस क्षेत्र में अन्तिम समझौते का मार्ग खुल जायेगा।

हिन्द-चीन और लाओस और कम्बोडिया में स्थिति अभी भी भ्रामक है। इस सम्बन्ध में अनेक वार्ताएं हो चुकी हैं लेकिन उनके कोई परिणाम नहीं निकले। लाओस की स्थिति बहुत कुछ वियतनाम समझौते पर निर्भर करती है।

कम्बोडिया में स्थिति और भी भ्रामक है। वहां की स्थिति सुधारने के लिए कोई सीधी कार्यवाही नहीं की गई है। हमें आशा है उस क्षेत्र में शीघ्र शान्ति स्थापित होगी।

भारतीय उपमहाद्वीप में गत वर्ष बड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र—बंगला देश का उदय होना है। विश्व के 95 देशों ने, जिनमें सुरक्षा परिषद् के चार स्थायी सदस्य भी शामिल हैं, बंगला देश को मान्यता दे दी है। बंगला देश सरकार को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। हमारे बंगला देश से बहुत ही मैत्रीपूर्ण और निकटवर्ती सम्बन्ध हैं। हम बंगला देश को आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में पूरा सहयोग दे रहे हैं।

17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध विराम के बाद, भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं। हमने पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने में पहल की, जिसका परिणाम शिमला समझौता है। शिमला समझौते की क्रियान्विति में प्रगति हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधि वास्तविक नियंत्रण रेखा निश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही इस बारे में समझौता हो जायगा और उस पर दोनों सरकारों की सहमति प्राप्त हो जायगी, दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित होने की सम्भावना बढ़ जायेगी और शिमला समझौते के अनुसार फौजों का पीछे हटना सम्भव होगा। शिमला में हुए सम्मेलन में यह सहमति प्रकट की गई थी कि युद्धबन्दियों के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए बाद में बैठकें होती रहेंगी।

पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता न दिये जाने से शिमला समझौते की क्रियान्विति में बाधा आ रही है। सरकार शिमला में इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि युद्धबन्दियों के प्रश्न को अन्तिम रूप से हल करने से पूर्व बंगला देश सरकार की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री भुट्टो और पाकिस्तान सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार करने से इन्कार करते रहे हैं। यदि पाकिस्तान सरकार बंगला देश को शीघ्र मान्यता दे देती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम भारतीय उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति चाहते हैं।

इन कठिनाइयों के बावजूद, हम शिमला समझौते को पूर्णतया क्रियान्वित करना चाहते हैं।

भारतीय उप-महाद्वीप में स्थिति में सुधार हुआ है। भारत पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत बनाना चाहता है और उससे मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है।

पश्चिम एशिया की स्थिति चिन्ता का विषय बनी हुई है। इजरायली सेनाएं अभी भी उन क्षेत्रों पर अधिकार बनाये हुए हैं जिन पर उन्होंने अवैध रूप से आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। हमने सुरक्षा परिषद् के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था कि इजराइल से उक्त क्षेत्रों को खाली करने का अनुरोध किया जाये।

भारत के उसके निकटवर्ती देशों—श्रीलंका, बर्मा, भूटान और नेपाल से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं। यदि पाकिस्तान से भी सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास सफल हो जाते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति स्थापित की जा सकती है।

अफ्रीका में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्वतन्त्रता सेनानी, उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध बराबर संघर्ष कर रहे हैं। जो शक्तियां उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद के सिद्धान्त से लड़ रही हैं, हम उनका सदैव समर्थन करते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।

यूगांडा में बहुत कम एशिया-मूलक लोग रह गये हैं और हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आस्तियों के बारे में यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही करें।

अन्य देशों के बारे में स्थिति सामान्य है। हमें प्रसन्नता है कि अनेक देशों के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध काफी मजबूत हुए हैं। हमने तन्जानिया को एक शिष्टमंडल भेजा था और हमें

आशा है कि उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे । हम इस बात के इच्छुक हैं कि अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी उद्देश्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जायें ।

चीन से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई । हमारी ओर से चीन से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के बराबर प्रयत्न किये गये हैं, लेकिन दूसरी ओर से भी ऐसी भावना व्यक्त किये जाने पर ही अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं । हमें आशा है, चीन भारत के साथ सामान्य सम्बन्ध बनाने का प्रयास करेगा । चीन हमारा पड़ौसी देश है और हमें एक पड़ौसी देश की भांति रहना चाहिए । हमारे सामने तो यही लक्ष्य है कि हम ऐसा प्रयास करते रहें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करती है । "

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : आज हम मध्याह्न भोजन के लिए नहीं जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । वे सब प्रस्तुत हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past fourteen hours of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]
[**Mr. Deputy Speaker** in the Chair.]

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : माननीय मन्त्री के भाषण से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के आधार क्या हैं । आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति सन्तुलन, स्वतन्त्रता, शांति और समाजवाद के पक्ष में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और प्रतिक्रिया और साम्राज्यवादी शक्तियां दिन-प्रतिदिन समाप्त हो रही हैं ।

वियतनाम की स्थिति के बारे में, हमारी सरकार को अमरीका द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की स्पष्ट निन्दा करनी चाहिए। परन्तु सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा। अमरीका ने वियतनाम के मामले में विश्वास-भंग किया है। दक्षिण वियतनाम को भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र दिये जा रहे हैं। बमबारी जारी है, जबकि इस सब को समाप्त करने के लिए अमरीका सहमत हो गया था परन्तु अन्तिम समय अमरीका समझौते से पीछे हट गया है। यदि हमारी सरकार वास्तव में साम्राज्यवाद की विरोधी है तो हमें अमरीकी साम्राज्यवाद की निन्दा करनी चाहिए। उत्तर वियतनाम के साथ राजनयिक सम्बन्धों का दर्जा बढ़ाया जाना बधाई का कार्य है। परन्तु इसके साथ ही दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को भी मान्यता दे दी जानी चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात है कि जर्मन जनवादी गणतन्त्र को मान्यता दे दी गई है। मेरा आरोप है कि सरकार की विदेश नीति स्थिर और संगत नहीं है।

बंगला देश के स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में सुस्पष्ट नीति अपनाने के कारण हमारे देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। बंगला देश का अभ्युदय साम्राज्यवाद के लिए एक जबरदस्त धक्का है।

शिमला समझौते के सम्बन्ध में शायद जनसंघ के अतिरिक्त सारा देश प्रायः एकमत है। समझौते के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं परन्तु हमें स्थिति पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी है। हमें अपने पड़ौसी के साथ मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। इस उप-महाद्वीप में स्थायी शांति के लिए और बड़ी शक्तियों को इस क्षेत्र की समस्याओं से दूर रखने के लिए भी हमें शिमला समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रयास करने चाहिए। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होनी ही चाहिए।

अन्य पड़ौसी देशों के साथ हमारे देश के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका के युवक वहाँ की सरकार से संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमने वहां अपनी सेना भेजी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे वहां के युवक हमारे विरोधी हुए हैं। भविष्य में इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए।

हम चाहते हैं कि बंगला देश के साथ हमारे मित्रतापूर्वक सम्बन्ध हों। हम चाहते हैं कि बंगला देश अपने पैरों पर खड़ा हो। परन्तु उस देश की वर्तमान स्थिति का लाभ उठाकर कुछ व्यापारी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में कड़ुआपन आने की सम्भावना है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कालाबाजार करने वाले व भ्रष्ट व्यापारियों को दोनों देशों के सम्बन्ध बिगाड़ने का अवसर नहीं देना चाहिए।

इसी प्रकार की स्थिति नेपाल के बारे में है। उस देश के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं और इसका कारण भी व्यापारी लोग हैं। इस दिशा में हमें कोई तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

यह अच्छी बात है कि सरकार अफ्रीका में चल रहे स्वाधीनता आन्दोलन की सफलता चाहती है, परन्तु मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में स्वाधीनता संघर्ष में रत लोगों की सहायता की जाए।

सरकार को मुक्ति आन्दोलनों के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। यह मुक्ति आन्दोलन चाहे विश्व के किसी भी भाग में हों, यह विश्व से साम्राज्यवाद के प्रभाव को कमजोर करने और विश्व में आजादी, शान्ति और समाजवाद का रास्ता प्रशस्त करते हैं।

मेरा विचार है कि हम इसलिए साम्राज्यवाद-विरोधी नीति को पूरी तरह से नहीं अपना पा रहे कि हमारे देश का आर्थिक आधार सुदृढ़ नहीं है। हमें अपने आर्थिक विकास के लिए साम्राज्यवादी देशों की सहायता पर निर्भर होना पड़ता है और जब तक हम इस प्रकार की नीति को नहीं छोड़ते तब तक हमारी विदेश नीति में भी स्थिरता नहीं आ सकती। इसी कारण से भारत और अमरीका के सम्बन्धों को फिर से सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु यह एक बहुत ही संकट-सूचक बात है। मैं किसी भी देश के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का विरोध नहीं करता परन्तु मैं साम्राज्यवाद का विरोधी हूं और इससे साम्राज्यवाद को बल मिलेगा।

सरकार को सी० आई० ए० के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए। विभिन्न अमरीकी संगठन यहां पर जासूसी का जाल फैला रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश देना चाहिए।

हमें चीन के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सम्पूर्ण एशिया के आर्थिक विकास व शांति के लिए यह आवश्यक है। मैं इस अवसर पर चीन से भी अनुरोध करता हूं कि वह अवसर को पहचाने। भारत-रूस सन्धि के कारण हम चीन के विरुद्ध नहीं हैं। अतः दोनों देशों को इस बारे में निश्छल प्रयास करने चाहिएं। चीन और पाकिस्तान को बंगला देश को मान्यता देनी चाहिए।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : वर्ष 1972 को आपसी टकरावों, सैनिक समझौतों और शीत युद्ध के विरुद्ध दरवाजे बन्द करने वाले तथा शांतिपूर्ण बातचीत तथा बातचीत के माध्यम से भेदभाव मिटाने के युग के प्रवर्तक रूप में याद रखा जायेगा।

वर्ष के प्रारम्भ में ही राष्ट्रपति निक्सन तथा चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ एन लाई. के मध्य वार्ता हुई, राष्ट्रपति निक्सन ने रूस का दौरा किया और वियतनाम समस्या के हल के लिए वार्ताएं प्रारम्भ हुईं। उत्तर तथा दक्षिण कोरिया इकट्ठे हो रहे हैं और इसके साथ ही इस उप-महाद्वीप में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। यह सब घटनाएं शान्ति की जीत की द्योतक हैं परन्तु इनसे विश्व में कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। निस्सन्देह यह बहुत ही सराहनीय बात है कि हमारी सरकार ने स्थिति को पूरी तरह पहचाना है और उसी के अनुरूप हाल ही में एक वक्तव्य देकर बड़ी शक्तियों और पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों की बदलती दिशाओं का उल्लेख किया। सरकार की कुछ बातों का विरोध किया जा सकता है। वह दूसरी बात है। परन्तु सरकार भी अवसर से चूकी नहीं है और यही हमारी नीति की शक्ति है। इससे देश में भी एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ है।

यह ठीक है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है परन्तु इतने पर भी बड़ी शक्तियों का प्रतिद्वन्द्व समाप्त नहीं हुआ है। बड़ी शक्तियों ने समझ लिया है कि सैनिक संघर्ष आज के युग में

अर्थहीन है। इसी कारण उन्होंने शान्तिपूर्ण सहयोग के माध्यम से बातचीत का रास्ता अपनाया है। इस बदले संदर्भ में, आज गुट-निरपेक्षता की बात को व्यर्थ-सा कहा जाता है। परन्तु यह स्थिति का गलत जायज़ा है। गुट-निरपेक्षता की नीति तो शांति की नीति है।

गुट-निरपेक्षता की नीति पर चलने की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ है। परन्तु यह आज के संदर्भ में उचित है। हमारी नीति स्वतन्त्र रही है और हमने बदली परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित की ओर ध्यान दिया है। यद्यपि इस उप-महाद्वीप में स्थिति बदल गई है परन्तु हमारे सामने नई समस्याएं हैं। इस नई स्थिति में अपने उद्देश्य की प्राप्ति ही हमारी नीति की सफलता की कसौटी है। हमारे पड़ौसियों और अन्य बड़ी शक्तियों के साथ हमारे देश के सम्बन्ध इसी नीति के अनुसार निर्धारित होते हैं। यह नीति का ही परिणाम है कि 95 देशों ने बंगला देश को मान्यता दे दी है। यह ठीक है कि पाकिस्तान ने अभी तक मान्यता देनी है। परन्तु इस प्रकार की बातों में अत्यधिक धैर्य अपेक्षित होता है। चीन और अमरीका वार्सा में 10 वर्ष तक बातचीत करते रहे। वियतनाम पर पैरिस में दो वर्ष से वार्ता चल रही है। अतः हमें भी धैर्य के साथ शिमला समझौते का पालन करना चाहिए। देश की सारी लोकतन्त्री शक्तियाँ भी पाकिस्तान के साथ शांति और निपटारे के पक्ष में हैं। हमें अपने इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का क्षेत्र बनाना है।

बंगला देश के साथ हमें अपने सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने हैं। यह हमारे राष्ट्रीय हित में है। कुछ शक्तियां इस बात के विरुद्ध हैं परन्तु हमें उनकी ओर से सचेत रहना चाहिए। बंगला देश के लोगों की हम अधिक से अधिक सहायता करें जिससे हमारे सम्बन्ध इतने सुदृढ़ हों कि बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का उन पर कोई प्रभाव न पड़े।

कुछ पक्ष इस बात से प्रसन्न नहीं हैं कि हम अमेरिका के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। हम किसी भी देश के साथ विद्वेष के सम्बन्ध नहीं चाहते। यहां पर हमें अमरीका के साथ सम्बन्ध बिगड़ने के इतिहास पर विचार करना चाहिए। अमरीका पाकिस्तान को हमारे मुकाबले में खड़ा रखने के लिए उसे भारी सैनिक सहायता देता रहा। इसी कारण उसके साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़े। अमरीका एक समय हमें बहुत सहायता देता रहा है। परन्तु यहां पर वह बात अप्रासंगिक है।

परन्तु बदलती स्थिति की यह मांग है कि इस उप-महाद्वीप के देशों को अपने झगड़ों का निपटारा स्वयं करना है और शांति तथा सौहार्द से यहां पर रहना है तथा अमरीका तथा अन्य बड़ी शक्तियों को भी इसे स्वीकार करना है।

इसी प्रकार बंगला देश के प्रति उनकी नीति के परिणामस्वरूप भी कुछ बिगाड़ हुआ परन्तु इस बारे में भी उन्हें वास्तविकता समझनी चाहिए। यदि अमरीका यह सब करने को तैयार हो तो इसके आधार पर नये सम्बन्ध स्थापित किए जा सकते हैं।

कुछ लोगों ने यह कहा है कि हम अपनी खाद्य कठिनाइयों के कारण अमरीका से सम्बन्ध सुधारने के इच्छुक हैं। इस प्रकार की बात बहुत बड़ा देशद्रोह है। अमरीका यदि पाकिस्तान को

शस्त्रास्त्र देने की अपनी नीति में परिवर्तन करे तो सम्बन्ध सुधारने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा।

वियतनाम की समस्या भी दोनों देशों के सम्बन्धों के बीच तनाव का एक कारण रही है। अब इस समस्या के हल होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अतः यह बाधा भी दूर होने की सम्भावना है।

इसी प्रकार यदि चीन इस उप-महाद्वीप की घटनाओं, बंगलादेश और पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया बदल ले तो उसके साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो सकता है।

सोवियत यूनियन के साथ हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ आधार पर स्थापित हैं। दोनों देशों के मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के बीच कोई रुकावट नहीं आ सकती। भारत-रूस सन्धि किसी के विरुद्ध नहीं है। अतः चीन व किसी अन्य देश को इस बारे में अपने मन से संशय हटा देने चाहिएं। इस बारे में किसी भी संशय का कोई आधार नहीं है। रूस के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध केवल सरकार की नीति ही नहीं है अपितु यह जनता की इच्छा भी है। रूस ने कठिन समय में हमारी सहायता की है। अतः यह आपसी मित्रता सुदृढ़ ही होगी। इसके परिणामस्वरूप देश में भी स्थिरता और शांति स्थापित हो रही है।

हमें नेपाल, श्रीलंका, मलयेशिया व हिन्दमहासागर से लगने वाले अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने चाहिएं। हम काफी समय से यह कहते आ रहे हैं कि हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र होना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय हित में है। अतः इस बारे में हमें कोई ठोस नीति अपनानी चाहिए। हमें चाहिये कि सम्बद्ध राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाकर इस बारे में अपना दृष्टिकोण उनके सम्मुख स्पष्ट करें जिससे कि क्षेत्र की शान्ति के लिए कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके।

आज युद्धों व सैनिक समझौतों के युग के स्थान पर सहयोग व सुदृढ़ सम्बन्धों का युग आरम्भ हो रहा है। बहुत से देश इस पथ का अनुसरण कर रहे हैं। चीन अन्य देशों सहित जापान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर रहा है। जापान, चीन तथा रूस के साथ सम्बन्ध स्थापित कर रहा है। भारत को अपनी वैज्ञानिक, आर्थिक तथा तकनीकी जानकारी हिन्द महासागर के देशों, फारस की खाड़ी के देशों तथा एशियाई देशों को देनी चाहिए जिससे इन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ हो सकें। हमारी विदेश नीति का यह ठोस रूप होना चाहिए। विश्व शांति तथा विश्व में स्थिरता की दृष्टि से भारत का यह वास्तविक योगदान होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री ने विश्व की वर्तमान परिस्थितियों का जो सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है उसके गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है। मेरे मित्र श्री भगत ने जो कुछ कहा है उसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि अमरीका के साथ सम्बन्ध सुधारने के पीछे कुछ छिपी बातें हैं। अमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुने जाने पर, प्रधानमंत्री ने श्री निक्सन को बधाई-पत्र भेजा और उसके उत्तर में उन्होंने प्रधान मंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजकर सुदृढ़ आपसी सम्बन्धों की सम्भावना प्रकट की है।

इसको इशारा समझ, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सभी ने अब यही राग अलापना आरम्भ कर दिया है। विदेश मंत्री ने राज्य सभा में इस बारे में वक्तव्य दिया और उसकी प्रतिक्रियास्वरूप अमरीका के राज्य मंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया। इससे पूर्व पर्दे के पीछे कई बातें होती रहीं जैसे कि आसाम के गवर्नर श्री बी० के० नेहरू की अमरीका यात्रा, वर्तमान विदेश सचिव श्री केवलसिंह की किसींजर से वार्ता और खाद्य सचिव की अमरीका यात्रा। इसके पश्चात् बिली ग्राह्म ने भारत की यात्रा की और उसके दौरान प्रधान मंत्री से वार्ता की।

इस सब को राजनयिक संबंधों में सुधार का नाम दिया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि विश्व के राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन हो रहे हैं। अब रूस तथा अमरीका ही विश्व की शक्तियां नहीं, जापान, चीन तथा नया बनने वाला यूरोपीय समुदाय भी अब शक्ति हैं।

उस दिन हमारे विदेश मंत्री ने प्रजातंत्र प्रणाली, वैयक्तिक स्वतंत्रता और मानव प्रतिष्ठा जैसी मान्यताओं के बारे में बढ़-चढ़कर बताया था कि अमरीका तथा भारत समान रूप से इन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इन बातों को वियतनामियों को बताएं जिनके विरुद्ध अमरीका ने अत्यन्त निन्दनीय ढंग का युद्ध छेड़ रखा है। गत 6 वर्षों में हिन्द-चीन में 130 लाख टन बमों की वर्षा की गई है, अर्थात् प्रति सैकिंड 60 किलोग्राम तथा प्रति व्यक्ति 300 किलोग्राम। अमरीकी शासकों का इन मान्यताओं में विश्वास हो अथवा नहीं किन्तु हम उनके इस कार्य का समर्थन नहीं कर सकते।

हमें किसी भी देश के साथ मित्रता रखने तथा व्यापार सम्बन्ध रखने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अमरीका के उस व्यवहार को देखते हुए जब उसने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की तथा अपना सातवां बेड़ा भेजने का दुस्साहस किया। क्या हम पुनः यह आशा लगाए हैं कि अमरीका हमारा पक्ष लेगा ? क्या तनाव कम करने के नाम पर एक नई प्रकार की प्रतिक्रिया का सूत्रपात करने के लिए हमारी विदेश नीति में परिवर्तन किया जा रहा है ? कोई संदेह नहीं कि हमारी सरकार अमरीका से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने की तैयारी कर रही हो।

साम्राज्यवादी अमरीकी सरकार को वियतनाम छोड़ना अवश्य पड़ेगा किन्तु वह उस नौ सूत्रीय समझौते में विलम्ब कर रही है जिस पर अक्तूबर की समाप्ति से पहले हस्ताक्षर किये जाने थे। उसने वहां और भी अधिक घमासान का युद्ध जारी कर दिया है तथा हजारों लोगों की हत्या करके वहां आतंक उत्पन्न कर दिया है। भारत ने इस सम्बन्ध में केवल असंतोष प्रकट करके वियतनामियों को चकित कर दिया है। हम एक ओर तो मैडम बिन को भारत आने का आमंत्रण देते हैं तथा दूसरी ओर जब वह दिल्ली आईं तो उनकी सरकार को मान्यता भी नहीं दी गई। हम अमरीका से स्पष्ट शब्दों में यह मांग नहीं कर सकते कि वह वियतनाम तथा अन्य स्थानों पर शांति स्थापित होने में देरी न करे।

बंगला देश के उदय से दक्षिण एशिया के स्वरूप में परिवर्तन आया है तथा इस क्षेत्र के देशों में मित्रता बढ़नी चाहिए। हम पाकिस्तान से भी मित्रता रखना चाहते हैं यद्यपि श्री भुट्टो शिमला समझौते की शर्तों को बड़ी चतुराई से भिन्न रूप दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अन्य देश इस मामले में दखल दे।

अमरीका और चीन दोनों ही चाहते हैं कि विश्व के इस भाग में तथा विशेषकर भारत में अधिक-से-अधिक समस्याएं विद्यमान रहें क्योंकि भारत ही यहाँ ऐसा देश है जो बड़ा है तथा प्रगतिशील है।

ब्रिटेन जैसे छोटे-छोटे देश भी भारत का हित नहीं चाहते। ब्रिटेन सरकार यद्यपि कुछ ऐसी बातें करती है जो हमें सुखद लगती हैं किन्तु सरकार को ऐसी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। वे नहीं चाहते कि भारत, बंगला देश तथा पाकिस्तान में सद्भावना तथा सहयोग रहे। ये देश जानते हैं कि यदि इस भूभाग में पारस्परिक सहयोग स्थापित हो गया तो विश्व राजनीति का स्वरूप ही बदल जाएगा।

अन्तिम रूप में समझौता तभी होना चाहिए जब उस पर बंगला देश भी सहमत हो तथा उसे मान्यता भी अवश्य मिलनी चाहिए। प्रतिक्रियावादी विदेशी तत्व बंगला देश तथा अन्य देशों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं तथा सरकार को इन सब बातों और षड्यंत्रों का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत और चीन के सम्बन्ध सामान्य होने ही चाहिएं। भारत ने इस सम्बन्ध में अपनी तत्परता भी व्यक्त की है किन्तु चीन ने कोई उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सम्भवतः उसे भारत-रूस मित्रता के कारण कुछ आशंकाएं हैं जो वास्तव में मिथ्या हैं। खेद है कि चीन रूस का भारी विरोध कर रहा है तथा पश्चिमी देशों के साथ सांठ-गांठ कर रहा है। चीन जापान को भी कुछ प्रोत्साहन दे रहा है जिसने अमरीका के सातवें बेड़े के लिए स्थायी बेस बनाने का प्रस्ताव किया था। यह भी खेद की बात है कि चीन में हुई महान क्रांति के बाद चीन की नीति विश्व में शांति और समाजवाद आदि के कार्यों में बाधा डालना बन गई है। उसका यह पागलपन कभी-न-कभी समाप्त अवश्य होगा और यदि विश्व के विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक सद्भावना से काम लें तो वह समय शीघ्र आ सकता है।

हमारे देश के आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण हमारी विदेश नीति सफल नहीं रही है। अब डालर तथा पौंड का उतना महत्व नहीं रहा जितना पहले था। इसी प्रकार तकनीकी जानकारी पर अमरीका या ब्रिटेन का एकाधिकार नहीं रहा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारत को विदेशों के साथ पारस्परिक लाभ को देखते हुए आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। विकसित देशों के साथ सम्बन्ध रखते समय हमें अपने हितों को पूरी तरह ध्यान में रखना होगा। यह नहीं होना चाहिए कि यदि भारतीय वैल्डर हड़ताल करते हैं तो जापान से वैल्डर मंगा लिए जाएं।

हमारा विदेश मंत्रालय आर्थिक कार्यों को समझने में असहाय है तथा अर्थ सम्बन्धी मंत्रालय विदेश कार्यों को नहीं समझते जिसके परिणामस्वरूप इनमें कोई समन्वय नहीं है। अफ्रीकी-एशियाई देशों के हितों को समझने में हम इसीलिए असफल रहे हैं।

हमारे देश को अपनी नीतियों पर दृढ़ होना चाहिए तथा विदेशों को भी ज्ञात होना चाहिए कि भारत अपनी नीतियों पर दृढ़ है। आंतरिक शक्ति के अभाव के कारण हम विश्व की समस्याओं को सुलझाने में योगदान नहीं देते। किन्तु हमें विश्व के देशों को बता देना चाहिए कि हम अपने

पड़ौसी देशों से मित्रता रखना चाहते हैं परन्तु साथ-ही-साथ स्वतंत्रता, शांति और समाजवाद सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। अतः हमें उत्तरी कोरिया, क्यूबा, चिली, अल्जीरिया आदि देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए। उच्चतम प्राथमिकता हमें बंगला देश, पाकिस्तान और भारत में वास्तविक मित्रता स्थापित किये जाने के कार्य को देनी चाहिए तथा देश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से मुझे सरकार से इतनी आशाएं नहीं रखनी चाहिए थीं क्योंकि मैं समझता हूँ कि सम्भवतः वह मेरे इन सुझावों को स्वीकार ही नहीं करेगी। चर्चा का लाभ तभी है जब उस पर कोई ध्यान दिया जाए और विदेश नीति में कुछ उपयुक्त परिवर्तन हों।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : निस्संदेह वर्ष 1972 तनाव कम करने के लिए याद रखा जाएगा। इसमें बहुत वर्ष पहले अमरीका में बनाई गई नीतियां अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची हैं जहां केनेडी प्रशासन को भी अपनी नीतियों में सुधार करना पड़ा।

अब प्रश्न यह है कि तनाव कम करने की नीति से क्या कुछ बड़ी शक्तियों को ही लाभ होगा अथवा विकासशील देशों को भी उसका लाभ मिलेगा ? मेरे विचार से इसका सम्पूर्ण विश्व को लाभ नहीं होगा। अतः देखना यह है कि आज तनाव कम करने की नीति क्या स्वरूप धारण करती है।

वास्तविकता यह है कि बड़ी शक्तियां अपने हितों की रक्षा के लिए आपस में अधिक सांठ-गांठ कर रही हैं। वियतनाम में युद्ध तथा पश्चिम एशिया में पारस्परिक मनमुटाव और गरीब-अमीर में बढ़ते हुए अन्तर से क्या समझा जा सकता है ? इस संदर्भ में, भारत को क्या करना है, यह सोचने की बात है। श्री कृष्ण मेनन सम्भवतः मेरी इस बात से सहमत होंगे कि गुटनिर्पेक्षता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से है तथा इस सहयोग से सभी देशों को, विशेषकर विकासशील देशों को लाभ होना चाहिए जिनका शोषण पहले जैसा किया जाता रहा है।

भौगोलिक दृष्टि से हमारा देश एशिया में आता है। अतः हमें मौलिक रूप से एशियाई देशों के उत्थान की बात सोचनी चाहिए। खेद है कि अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें सभी एशियाई देशों के प्रतिनिधि हों तथा जिसमें एशियाई देशों की विभिन्न समस्याओं के ऊपर मिलकर विचार किया जा सके।

हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र बनाने में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक एशियाई देश अपने सामान्य हितों को नहीं पहचानते। 'इकाफे' के अन्तर्गत एशियाई देशों की मंत्रीपरिषद् बनाई गई थी किन्तु अब उसके कार्यकलापों का कुछ पता नहीं है।

ईरान और श्रीलंका के साथ तेल तथा चाय के सम्बन्ध में सहयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए योजनाएं बनाई गई थीं किन्तु आज उन परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया जाता। यदि हम अपने पड़ौसी देशों के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करते तो अन्य देशों को उनके साथ सहयोग करने का अवसर मिलता है। अगले वर्ष

चीन 'इकाफे' का सदस्य बनने जा रहा है तब हमारी स्थिति तथा नीति क्या होगी। क्या भारत सरकार ने इसके परिणामों का अनुमान लगाया है ? अत: जब एशिया में इस प्रकार के संगठन बन जाएंगे तभी तनाव कम करने की नीति सफल हो सकती है तथा विकासशील देशों का हित हो सकता है। तनाव की स्थिति दूर करना उचित है किन्तु उसका प्रभाव केवल विकसित देशों पर ही नहीं पड़ना चाहिए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पड़ौसी देशों में पारस्परिक विश्वास उत्पन्न नहीं हो सका है, जिसके परिणामस्वरूप हम अपना अपेक्षित विकास नहीं कर पाये हैं। कुछ देशों ने इस दिशा में विश्वास के साथ कदम उठाए हैं तथा वे अन्य देशों को भी अनुसरण करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अत: पारस्परिक सहयोग से यह लाभ है कि सभी देशों का साथ-साथ विकास हो सकता है तथा एक देश का दूसरे देश के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जहाँ तक अमरीका के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने की बात है, मेरे विचार से विभिन्न देशों के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने में कोई हानि नहीं है, चाहे वह अमरीका हो या चीन। किन्तु साथ-ही-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि हमें किसी देश से मित्रता रखने के लिए किसी अन्य देश से शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए। मैं श्री एच० एन० मुकर्जी से इस बात पर सहमत हूं कि अमरीका का वियतनाम तथा छोटे देशों के साथ रवैया अत्यन्त निन्दनीय है तथा अमरीकी सरकार को नृशंस कार्यों के लिए कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। हम अमरीका की कुछ मान्यताओं से सहमत हैं तथा रूस की भी कुछ मान्यताओं से सहमत हैं। शांति और समृद्धि के लिए उनका अपना-अपना महत्त्व है।

भारत को इस समय अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में अधिक भाग लेना चाहिए। एशियाई देशों की समस्याओं को हल करने तथा वियतनाम में शांति स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है तथा भारत का उसमें कोई योगदान नहीं है। यह कहना उचित नहीं है कि जब तक दोनों पक्ष हमें आमंत्रित न करें भारत वहाँ कैसे भाग ले सकता है। वास्तव में हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे किसी बातचीत में भारत का सम्मिलित होना हितकर समझा जाए।

पश्चिम एशिया के बारे में भी यही बात लागू होती है। हम यह नहीं चाहते कि भारत किसी मामले में बाधा डाले या किसी पर दबाव डाले। हम यह चाहते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए भारत का योगदान प्राप्त करना हितकर समझा जाए।

श्री समरगुह (कंटाई) : अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सरदार जी ने हाल में विश्व का भ्रमण किया है किन्तु उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि विभिन्न देशों में क्या-क्या नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

आज के युग में विश्व के देशों की विचारधारा में तथा उनकी सैनिक गठबन्धनों की नीति में भारी परिवर्तन आ गया है। पांच वर्ष पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अमरीका और चीन, चीन और जापान आदि देश इतने निकट आ जाएंगे क्योंकि तब इनमें भारी शत्रुता थी। अत: अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक नीतियों में यह भारी परिवर्तन है। इस परिस्थिति का भारत को भी लाभ उठाना चाहिए था क्योंकि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही गुट-निर्पेक्षता

पर बल देता रहा है। भारत की गुट-निर्पेक्षता की नीति को पहले विश्व में सराहनीय कहा जाता था किन्तु अब वह नीति इतनी सराहनीय नहीं रही क्योंकि अब भारत विश्व को यह विश्वास नहीं दिला सकता कि हम पहले की भांति अब भी गुट-निर्पेक्ष हैं। इसका कारण यह है कि भारत ने भी एक बड़ी शक्ति के साथ संधि की है। यदि भारत हिन्द महासागर तथा इस उपमहाद्वीप को अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव से दूर रखना चाहता है तो उसे अपने उसी गुट-निर्पेक्षतापूर्ण स्वरूप को हासिल करना होगा।

वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए हमारी विदेश नीति सफल नहीं रही है। जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है वह चीन और अमरीका की शक्ति पर कूद रहा है तथा जैसे ही उसे इन देशों की सहायता बन्द होती है तभी उसे वास्तविकता का बोध हो जाएगा। भारत की मान्यताओं, परम्पराओं और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, भारत को गुट-निर्पेक्ष होना ही चाहिए।

हमारी विदेश नीति तभी सफल मानी जाएगी जब हम शीघ्र से शीघ्र चीन और अमरीका के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित कर लेंगे तथा साथ-ही-साथ उसका हमारी रूस के साथ मित्रता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह स्थिति लाने के लिए भारत को अपना पहला स्वरूप ही अपनाना पड़ेगा। मंत्री महोदय ने बताया है कि चीन ने हमारी पेशकश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि चीन से यदि सीधे नहीं तो अब टोक्यो, लंदन या पेरिस के माध्यम से बातचीत की जा सकती है तथा सरकार को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

हमें चीन सरकार को उसकी इस आशंका से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए कि भारत और रूस की संधि चीन के विरुद्ध की गई है। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि इस संधि का चीन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता।

भविष्य को देखते हुए मैं चाहता हूं कि अमरीका के साथ भी हमारे सम्बन्ध सामान्य होने चाहिएं। कांग्रेस अध्यक्ष सहित कुछ लोगों ने सी० आई० ए० पर अनेक आरोप लगाए हैं। ऐसी बातों से हमारे देश की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जब तक आरोपों का कोई आधार न हो तब तक उनका कोई महत्त्व नहीं।

शिमला समझौते के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि हम उसे शीघ्रता से क्रियान्वित कर रहे हैं किन्तु हमें उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। वास्तव में पाकिस्तान सम्बन्धी समस्या को हल करने में तीन गलतियाँ की गई हैं। पहली गलती यह है कि हमने पाकिस्तान के साथ उपयुक्त समय आने से पूर्व ही बातचीत आरम्भ कर दी। दूसरी गलती यह की गई कि हमने उसके साथ बातचीत यह मानकर की कि हमने उसके साथ दो युद्ध लड़े हैं—एक पूर्वी सीमा पर तथा दूसरा पश्चिमी सीमा पर। वास्तव में हमने केवल एक ही युद्ध लड़ा है। तीसरी गलती यह है कि हमने द्विपक्षयिता की नीति पर बहुत बल दिया है। यह नीति भारत उपमहाद्वीप के देशों के साथ अवास्तविक है। यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय देशों के साथ तो ठीक है किन्तु पाकिस्तान के साथ नहीं। इस सम्बन्ध में हमें पूर्व और पश्चिम जर्मनी, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम आदि देशों से सबक सीखना चाहिए। यदि हमने बंगला देश को साथ लेकर बातचीत की होती तो यह स्थिति

उत्पन्न नहीं होती । यदि हमने पाकिस्तान से दृढ़ता से यह कहा होता कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न देशों की शांति और सुरक्षा को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता तथा बंगला देश को बातचीत में सम्मिलित करना ही पड़ेगा तो पाकिस्तान को विवश होकर बंगला देश को मान्यता देनी पड़ती । अतः यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बंगला देश, भारत और पाकिस्तान के लिए मिलकर त्रिपक्षीय समझौता करना अनिवार्य है ।

बंगला देश के साथ सरकारी स्तर पर ठीक कार्य चल रहा है किन्तु पासपोर्ट और वीजा की व्यवस्था करके दोनों देशों की जनता के पारस्परिक मेल-जोल में अनावश्यक बाधा डाली गई है । इससे श्री भुट्टो को मुस्लिम बंगाल कहने का अवसर मिल गया है । बंगला देश ने अपना नया संविधान बनाया है, उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि वह हमें नई विचार-धारा से प्रेरित करेगा । बंगला देश ने सभी साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसका भारत और पाकिस्तान को भी अनुकरण करना चाहिए ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : श्री दिनेन भट्टाचार्य ने यह शिकायत की है कि विदेश मंत्री ने हमारी विदेश नीति की उपलब्धियों का ब्यौरा नहीं दिया है, उन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो बात नहीं कही जाती है वह कही हुई बात से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि चीन और अमरीका तथा अमरीका और रूस के बीच वैमनस्य की समाप्ति, भारत-रूस संधि आदि । इनके बिना हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं कर सकते हैं ।

पाकिस्तान को निष्प्रभावित करने के लिए हमें उसकी चीन और अमरीका पर निर्भरता को समाप्त करना होगा । शिमला समझौते का मुख्य उद्देश्य हमें उसकी इस निर्भरता को समाप्त करना है । हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों द्वारा किये गये कार्य तथा चीन और अमेरिका द्वारा डाले जा रहे दबावों के कारण श्री भुट्टो को शिमला समझौते की क्रियान्विति में कठिनाई आ रही है । शिमला समझौते की सफलता से पाकिस्तान की नीतियों पर चीन और अमरीका का प्रभाव कम होगा और पाकिस्तान की अमरीका और चीन पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी । शिमला समझौते की सफलता से पाकिस्तान-समर्थक देशों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आएगा, जो हमारे देश के हित में होगा । हालांकि हमारी स्थिति मजबूत थी और हम पाकिस्तान के साथ इस मामले में सौदेबाजी कर सकते थे परन्तु हमने ऐसा न करके स्थायी शान्ति को सम्मुख रखकर शिमला समझौते का निष्पादन किया ।

आज भारतीय उपमहाद्वीप के बदलते हुए ढांचे में हमारी विदेश नीति को नया रूप दिया जाना चाहिए । अब तक पाकिस्तान इस्लाम धर्म की दुहाई देकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी स्थिति मज़बूत बनाता रहा है परन्तु बंगला देश के उदय से उसका यह दावा निराधार सिद्ध हो गया कि वह मुस्लिम समुदाय के हितों का संरक्षक है ।

मुस्लिम जगत में पाकिस्तान का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान होने से हम अरब देशों के प्रति अपने रुख को बदल सकते हैं । दुर्भाग्यवश संकट के समय अरब जगत के कई देशों

द्वारा भारत के प्रति विरोधी नीति अपनाई गई। अरब देशों से संबंध बनाए रखने का एक कारण पाकिस्तान को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में हतोत्साहित करना है। चूंकि बंगला देश के उदय से पाकिस्तान का तथाकथित आधार ढह गया है, इसलिए हमें अरब देशों के साथ देशानुसार संबंध बनाने चाहिए।

अमरीका के साथ सामान्य सम्बन्ध बनाए रखने की नीति का हमारे साम्यवादी दल के सदस्य विरोध करते हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध आमने-सामने होकर नहीं लड़े जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति शतरंज का खेल है जिसमें दांव-पेंच बदलने पड़ते हैं। यदि अमरीका, रूस और चीन के बीच वैमनस्य का अन्त हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि हम भी अमरीका के साथ सामान्य संबंध नहीं बना सकें। बंगलादेश के उदय से अमरीका का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदल सकता है। बंगलादेश के संदर्भ में, पाकिस्तान के प्रति अमरीका का दृष्टिकोण और हिंद-चीन के मामले में अमरीका की भूमिका, भारत और अमरीका के बीच सामान्य सम्बन्ध बनने के मार्ग में रुकावट थे। वियतनाम के मामले में हमारे कठोर रवैये के कारण अमरीका ने भारत विरोधी रुख अपनाया। परन्तु समाचार पत्रों के अनुसार, अमरीका वियतनाम युद्ध में अपनी भूमिका सीमित करता जा रहा है। इसके साथ ही बंगला देश का उदय हो गया है। इन्हीं कारणों से हम अमरीका के साथ सामान्य सम्बन्ध बना सकते हैं। मैं अपने साम्यवादी मित्रों से पूछना चाहूंगा कि यदि चीन श्री निकसन को आमंत्रित कर सकते हैं तो भारत द्वारा अमरीका के साथ सामान्य संबंध बनाने में उन्हें क्या आपत्ति है ?

यदि चीन एशिया में अपनी विस्तारवाद की नीति त्याग देता है तथा यह स्वीकार करने को तैयार है कि भारत की भी ऐसी कोई नीति नहीं है तो हम उसके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। परन्तु इस संबंध में मुझे संदेह है।

आगामी कुछ वर्षों में जापान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना प्रभावशाली स्थान बना लेगा और अन्य देशों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। इसलिए उसके साथ तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ हमें अपने और अच्छे संबंध बनाने चाहिए।

मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्री विदेशों में स्थित भारतीयों के हितों का संरक्षण करेंगे, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन देशों में रहने वाले भारतीय इस प्रकार का आचरण करें जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आंच न आये।

देश की आर्थिक नीति तथा विदेशों के साथ सम्बन्धों में तालमेल होना चाहिए। जब तक हम आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं हैं तब तक हम गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। सहायता देने वाला देश बदले में समर्थन करने की आशा करता है और सहायता लेने वाला देश यह समझता है कि चूंकि सहायता बिना शर्त मिली है अतएव वह अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र है। इससे वैमनस्य पैदा होता है, यदि हम विदेश नीति की सफल क्रियान्विति चाहते हैं तो हमें सुदृढ़ बनना पड़ेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This truth has once again been vindicated that there is no permanent friend or enemy in international field. Every nation keeps its interest above all. America and China have come closer which was unimaginable some years ago. China used to support liberation struggles, but in the case of Bangla Desh, she adopted a different posture. We are condemning America for its Vietnam policy whereas Russia is extending a hand of friendship with America. I have nothing to complain against this, but it pains me to see that, in India, policies are evolved keeping in view some ideology at the cost of our national interest. There is no elasticity in our foreign policy.

Unfortunately, even today, the principle of might is right is given due importance. It is the might of China that compelled the Prime Minister of Japan to visit that country and apologise for aggression. Coming to the question of normalisation of our relations with China, it must be understood that there can be no normalisation without nuclearisation. It is repeatedly said that we want to normalise our relations with China. We should not make India a laughing stock by constant repetition of these words. Unless China changes its attitude, the question of friendship with her does not arise. China has no goodwill for India in her heart.

It is imperative that our relations with America should improve. If Mr. Nixon can have friendship with China and Russia, he should have no hesitation in reviewing their relations with India. Dependence on Russia only, is no good policy. We should not close all our options. In the Indo-Soviet Treaty, it was agreed upon that Russia would not interfere in India's internal affairs. But Russia has not kept that spirit. The election victory of Mrs. Nandini Satpathy, the Orissa Chief Minister, was hailed in Russia as a victory of democratic forces and defeat of reactionary forces. This was an official reaction.

We want friendship with Russia on the basis of equality but at the same time Russia should not be allowed to interfere in our internal affairs.

The hopes aroused by the Simla agreement have not been fulfilled. There were so many obstacles in the way of delineation of the ceasefire line. We sent our Chief of Army Staff to Lahore for negotiations. Photographs of our Chief of Army Staff shaking hands with General Tikka Khan appeared in the Press. Our friend, Bangla Desh, took a serious objection to that. There was an impression that we wanted to befriend Pakistan at the cost of Bangla Desh.

श्री स्वर्णसिंह : ऐसा कहना गलत है । वह हमारे मित्र देश, बंगला देश के बारे में ऐसा नहीं कह सकते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो स्थिति है उससे मैंने यही अनुमान लगाया है ।

श्री एच० एम० पटेल : यह अनुमान ठीक ही है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Indian sub-continent is facing problems which threaten peace. All such issues should be settled in a tripartite conference of the leaders of India,

Pakistan and Bangla Desh. All the outstanding issues among the three countries should be settled through a package deal. Unless that was done, there could be no stable peace in this sub-continent. At the same time, we should remember that there has been no change in the attitude of Pakistan on the basic issues.

We should not surrender the territory won by us in the war.

The question of recognition of Bangla Desh has been linked up with the POWs in the U. N. It is regrettable that the Indian delegation could not object to that. It is a serious thing which struck at our basic stand because there should not be any condition attached to the recognition of Bangla Desh. This issue should also not be linked up with any other issue.

We have been supporting the non-alignment policy of the Government Unfortunately, Government has not been following this policy strictly. The aims and objects of our foreign policy should be to protect the interests of the nation.

श्री सी० एम० स्टीफन (युवत्तुपुजा) : विदेश नीति पर चर्चा के दौरान विभिन्न विचार सामने आये हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि 1972 का वर्ष भारत के लिए एक स्मरणीय वर्ष है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, जिनसे भारत का विशेष रूप से सम्बन्ध है, ऐसी घटनायें हुई हैं जिनसे भारत के दृष्टिकोण की पुष्टि हुई है। तनाव को कम करने की जो बात हम अब कर रहे हैं, वह ऐसी नीति है जिसके बारे में हम संकेत देते रहे हैं। हम गुट-बन्दी और संघर्ष के विरुद्ध हैं। हम तो बड़े राष्ट्रों और अन्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की वकालत करते रहे हैं। अब विभिन्न देशों के लिए, चाहे यह अमरीका हो अथवा कोई अन्य देश, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में उन्होंने जो मूल दृष्टिकोण अपनाया है, उससे विचलित हुए बिना उन्हें अपने हाथ एक-दूसरे के लिए बढ़ाने होंगे और सम्बन्ध सामान्य बनाने की स्थिति पैदा करनी होगी। यदि तनाव कम करने की इच्छा की जा सकती है और अमरीका और रूस के बीच तथा अमरीका और चीन के बीच सहयोग और सहमति हो सकती है तो यह एक तर्कसंगत सिद्धान्त है कि भारत और अमरीका के बीच तनाव कम करने के तरीकों की खोज करनी होगी।

शिमला समझौता डगमगा रहा है या नहीं, यह प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि हम शिमला समझौते से क्या आशा रखते हैं। क्या हम किसी ऐसे चमत्कार की आशा करते हैं कि उपमहाद्वीप में रात भर में स्थिति सामान्य बन जायेगी अथवा क्या ऐसा है कि शिमला समझौता एक ऐसा युग शुरू कर रहा है जिसमें द्विपक्षवाद काल आरम्भ किया जा सकता है? द्विपक्षवाद इस बात का द्योतक है कि मामले तय नहीं हुए हैं। यदि प्रत्येक मामला तय हो जाता तो बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता। बातचीत का अर्थ है कि मामले तय नहीं हुए हैं। अत: शिमला समझौते सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में एक तरह जो अपवित्र खुशी जाहिर हो गई है, वह सर्वथा अनुचित है।

शिमला समझौते को कार्यान्वित करने में कई कठिनाइयां आयेंगी। द्विपक्षवाद का अर्थ है कि कठिनाइयां बातचीत द्वारा दूर की जायें। पहली अड़चन की स्थिति में क्या हम शिमला समझौते को समाप्त कर देंगे? यदि शिमला समझौते से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा तो

धैर्य रखना होगा। प्रश्न यह है कि क्या हमें इस उपमहाद्वीप में शांति कायम करनी चाहिए अथवा नहीं ? यदि इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित होगी तो एक शक्तिशाली देश को अपनी भूमिका निभानी होगी और अपने मूल अधिकारों और मूल स्थिति का, जिसे इसने स्वीकार किया है, त्याग किये बिना कार्य जारी रखना होगा। हमने जिस स्थिति को स्वीकार किया है, हम उससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए हैं।

यदि चीन, रूस और अमरीका के बीच सुलह-सफाई विकासशील देशों के लिए अहितकर है तो शायद भारत को एक नई भूमिका निभानी पड़े। हर महाद्वीप के देशों के अपने एकता संगठन हैं। अफ्रीकी देशों के अपने एकता संगठन हैं। अमरीकी देशों के अपने एकता संगठन हैं। यूरोप में एक नई तरह की व्यवस्था उभर रही है। किंतु जहां तक एशियाई देशों का सम्बन्ध है, यहां संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एशियाई देशों को अपना स्थान स्वयं खोजना होगा। इसके लिए तनाव कम करने के इस वातावरण का शीघ्र विकास करना होगा। इसके लिए चीन के साथ एक व्यवस्था बनानी होगी। हम कितनी बार कोशिशें करें, इसका कोई प्रश्न नहीं है। इसके बारे में हीन भावना का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि एशिया के दो बड़े देशों को मिलना ही होगा। इन शब्दों के साथ, मैं उन नीतियों के लिए विदेश मंत्री को बधाई देता हूं जिनका सरकार अनुसरण कर रही है।

श्री वी० के० कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : सरकार की ओर से कहा गया है कि यह चर्चा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने के लिए है। विदेश मंत्री ने कहा है कि विश्व में तनाव कम हो गया है। ऐसा कहना कहां तक सही है ? सम्भवतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्, एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई है कि जर्मनी के दो स्वतन्त्र प्रभुत्व-सम्पन्न देशों के सम्बन्धों में सुधार हुआ है। पहली बात यह है कि पश्चिमी गुटों के देशों ने जर्मन जनवादी गणतंत्र को एक प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। दूसरी बात यह है कि यह मान्यता अधिक शब्दों का उपयोग करके नहीं दी गई अपितु वास्तव में तटवर्ती ओडर-नेसी सीमा को स्वीकार कर लिया गया है और इस प्रकार उस समस्या का समाधान हो गया है जिसका समाधान चार शक्तियों के सम्मेलन में न किया जा सका। दो जर्मनियों के बीच हुए समझौते ने सारी समस्या हल कर दी है और पोलैण्ड की सीमा का विवाद और इसमें पूर्वी एशिया की स्थिति—यह सब समस्यायें शीघ्र सुलझ गई हैं। विश्व को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि इस बात का सेहरा केवल रूस के सर पर है। जर्मनी के मामले में केवल एक ही महत्वपूर्ण समस्या रह गई है और वह है चैकोस्लोवाकिया की। यूरोप में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक म्युनिख समझौता रद्द नहीं किया जाता।

हिन्द-चीन के मामले में भी शांति नहीं है जैसे कि हम पिछले 15-20 वर्षों से देखते ही आये हैं। उस समय भी उन्होंने अन्तिम कार्यवाही को स्वीकार किया था परन्तु अगले ही दिन उससे फिर गये। यदि इस क़रार पर भी हस्ताक्षर हो गये तो भी क्या पता क्या हो। इसका अभिप्राय यह है कि यदि उस क्षेत्र से युद्ध सम्बन्धी समस्त शस्त्रास्त्र, विमान तथा अन्य उपकरण भी हटा लिये जाते हैं तो भी क्या वहां शांति स्थापित हो सकेगी जिसका कि अब तक कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 40 दिनों के उक्त नाटक का कोई अर्थ नहीं। जब दो बड़े देश कोई क़रार करते हैं तो वे फिर उससे कैसे फिर जाते हैं ? मैंने आज तक ऐसी कोई

घटना नहीं देखी कि एक बार संधि हो गई और फिर बाद में उसे खण्डित कर दिया गया। फिर आज दोपहर तक भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस संधि पर हस्ताक्षर करेगा। वस्तुतः तो यह प्रचार केवल चुनावों के लिए था जोकि अब वहां पूरे हो चुके हैं।

वियतनाम में शांति स्थापना के इच्छुक स्वयं वियतनामियों से अधिक तो कोई देश नहीं हो सकता परन्तु अमरीका ने वर्ष 1959 में यह क़रार करके भी कि 20वीं समानान्तर रेखा से आगे बमबारी नहीं की जायेगी, उसका उल्लंघन किया। हिन्द-चीन में दूसरे विश्वयुद्ध से तीन गुणा अधिक बम गिराये गये तथा अनेक भीषण शस्त्रास्त्रों का उपयोग किया गया। वियतनाम में यह युद्ध वस्तुतः एक पैशाचिक युद्ध है। और फिर यह युद्ध कहां जाकर समाप्त होगा? किस प्रकार की कोई संधि होगी? क्या अमरीका संयुक्त वियतनाम उनके हवाले कर देगा? जी नहीं। उनका उद्देश्य तो यह है कि वहां दक्षिण कोरिया के समान ही स्थायी रूप से एक क्षेत्र बन जाये। अतः जब तक उनकी साम्राज्यवादी भावना में कोई परिवर्तन नहीं आता तब तक हम यह सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई छूट दी है, या तनाव में किसी प्रकार की कोई कमी आई है।

लातीनी अमरीका में, इन विश्व के एकाधिकारियों ने चिली पर भी वस्तुतः आर्थिक आक्रमण कर रखा है जोकि इतना ही भीषण है जितना कि वियतनाम पर शस्त्रों वाला आक्रमण। चिली के तांबे के व्यापार को अस्त-व्यस्त किया जा रहा है तथा उनके माल को जब्त किया जा रहा है ; तथा अन्य सब कार्यवाहियां कर रहे हैं जो उन्होंने क्यूबा में करने का प्रयास किया था, परन्तु सफल नहीं हुए थे।

अमरीका के विदेशों में लगभग 4300 अड्डे हैं। ये अड्डे शांति के प्रतीक नहीं, युद्ध की मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। जब तक यह आशा न हो कि उक्त अड्डे समाप्त कर दिये जायेंगे अथवा कि उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आयेगा, हम यह नहीं कह सकते कि विश्व में शांति बनी हुई है। ये अड्डे सोवियत संघ पर आक्रमण करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं।

विदेश मंत्री महोदय यूरोपियन सुरक्षा का शब्द प्रयोग करते हैं, वस्तुतः उन्हें 'विश्व सुरक्षा' कहना चाहिए। गत 60-70 वर्षों के दौरान हुए दो विश्व-युद्धों ने विश्व को तहस-नहस कर डाला था और ये युद्ध यूरोप में ही आरम्भ हुए तथा जर्मनी उनका मुख्य केन्द्र रहा परन्तु भारत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता रहा। फ्रांस तथा ब्रिटेन की लड़ाई यहां पर भी लड़ी गई। अतः यूरोप में शांति बने रहने का अर्थ है विश्व में शांति बने रहना। अमरीका इसका अपवाद है। अमरीका ने विश्व की प्रायः समूची आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में कर रखा है।

यूरोप में कुछ नई बातें सामने आई हैं जिनकी ओर हमारी सरकार का बहुत कम ध्यान गया है। वहां के विभिन्न देशों में प्रवासी श्रमिकों की संख्या तो बहुत अधिक है पर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वह वस्तुतः रंगभेद की नीति संबंधी निर्णय के आधार पर किया गया है। अभिप्राय यह है कि इन यूरोपीय देशों में प्रवासी श्रमिकों के सम्बन्ध में एक नई स्थिति पैदा हो

गई है जिसका विरोध भी केवल कुछ ही राष्ट्र करते हैं। हमारे लिए यह समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में अफ्रीकी व्यक्ति बहुत ही कम संख्या में हैं।

अब अफ्रीका की स्थिति देखिये। वहां के काले लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जा रहा है। मोजम्बीक तथा अंगोला में युद्ध भी वियतनाम के युद्ध के आकार का है, हालांकि वहां पर उसी प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है। मोजम्बीक के लोगों ने एक तिहाई क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है, इनमें से कुछ लोग भारत-मूलक हैं हालांकि उनका हमारे देश से कोई संपर्क नहीं है।

उक्त मुक्ति आन्दोलनों की ओर हमारा उचित ध्यान नहीं जा रहा है और न ही हम इनकी ओर से सचेत हैं। यह सच है कि सरकार रोडेशिया में अफ्रीकी दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि वहां बहुमत का शासन होना चाहिए परन्तु शायद इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि वहां के हज़ारों लोगों को उनके घरों से निकालकर बन्तुस्तान ले जाया गया है, उनकी धन संपत्ति सभी कुछ छीन लिये गये हैं। आज अफ्रीका वह नहीं रहा जो पहले था।

हम वहां पर बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति कूटनीति तथा राजनीति की दृष्टि से जागरूक नहीं हैं। आज इन मुक्ति आन्दोलनों का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में हो रहा है, सदस्यों के रूप में नहीं बल्कि प्रेक्षकों के रूप में। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा को यहां निश्चय नई दिशा मिलती है। इस दिशा में बड़ी उन्नति हुई है परन्तु खेद है कि अफ्रीका या अफ्रीकी लोगों के साथ आज हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि पहले थे या फिर अफ्रीकी लोग उतने अच्छे नहीं रहे जितने कि पहले थे। अफ्रीका अब एक देश के रूप में उभर रहा है।

भारतीय उप-महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इसके अन्तर्गत भारत की सीमाओं की तटवर्ती लम्बाई 3600 मील है जिसकी आक्रमणों से रक्षा करनी होती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि शिमला करार सफल हो रहा है या नहीं, इस बारे में तो विभिन्न मत हैं। उस समय मेरा मत यह था कि सरकार इस करार के माध्यम से युद्ध बन्द करने, क्षेत्रों की वापसी तथा बातचीत करने की इच्छुक थी। परन्तु इस बीच मुख्य प्रश्न रह गया। 'अन्तर्राष्ट्रीय सीमा' शब्द जो कहा जाता है और प्रयोग में लाया गया है वह हमारे लिए हमेशा ही भारी कठिनाई पैदा करता रहेगा। काश्मीर का इतिहास लिखते समय जो शब्दावली प्रयुक्त की गई, उसके प्रति वे सावधान नहीं रहे और सीमाओं का बखान करने में अतिशयोक्ति की। वस्तुतः काश्मीर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं तो उस समय थीं जब काश्मीर महाराजा के शासनाधीन था। इसके अतिरिक्त काश्मीर की कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें नहीं हैं।

हमारे अनेक माननीय सदस्यों का कहना है कि हमें वास्तविकता को अब समझ लेना चाहिए। यदि उनका अभिप्राय यह है कि हम 30 वर्ष पहले के युद्ध के परिणामों को स्वीकार कर लें तो यह एक अत्यन्त खतरनाक बात होगी। युद्ध विराम रेखा यदि 30 मील आगे या पीछे हो जाये तो उससे तो कोई अन्तर नही पड़ता, क्योंकि उसी प्रकार का क्षेत्र है, वही सेनायें हैं और वहां पर भी उस प्रकार की घुसपैठ तथा जिहाद आदि की गतिविधियां होती रहेंगी। सभी बातें पहले के समान होती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पाकिस्तान ने कराकोरान तथा

गिलगित्त का 2200 मील क्षेत्र चीन को दे दिया है जिसके फलस्वरूप चीन हमारे और निकट आ गया है। इस सम्बन्ध में मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

जब हम तनाव को कम करने के बारे में बात करते हैं तो हमें यह भी सोचना है कि क्या हम वियाना कांग्रेस में भाग लेने जा रहे हैं तथा क्या अमरीका सोवियत संघ के विरुद्ध चीन के साथ मिलकर शक्ति संतुलन तो नहीं बना रहा है तथा क्या सारी परिस्थितियों को अपने हितों के अनुरूप तो नहीं बना रहा है।

तीन वर्ष पूर्व भी उन्होंने कहा था कि शांति हो गई और न्यूजीलैंड के समाचारपत्रों ने प्रमुख रूप के समाचार दिया था कि युद्ध समाप्त हो गया। परन्तु अगले ही दिन श्री डीन रस्क ने कह दिया कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः जब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, हम कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते, तथा हस्ताक्षर के पश्चात् भी हमें यह देखना है कि क्या अमरीका वियतनाम से बाहर चला जाता है तथा क्या वह वहाँ पर हर प्रकार का आर्थिक दबाव भी समाप्त कर देता है अथवा वहां पर अन्य क्षेत्रों में अपने अड्डे तो नहीं बनाता है।

अब मैं हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने संबंधी कथित बातों के विषय में कुछ कहूंगा। हमारे देश की सीमाएँ बहुत लम्बी हैं। हमारी तटीय सीमाएँ 3600 मील हैं। इसी प्रकार हमारे पड़ोसी देश बंगला देश की सीमायें भी हजारों मील लम्बी हैं। और साथ ही बर्मा के साथ भी यदि हमारे संबंध पहले से कुछ बेहतर हो जायें तो उसकी सीमाएँ भी इस उद्देश्य के लिए मिला लेनी चाहिए। अतः इस समूचे क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए शक्तिशाली नौसेना होनी चाहिए अन्यथा हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि कौन-कौन से विदेशी जहाज हमारी जलसीमाओं में, इस महासागर में चक्कर लगा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरे देशों के भार के नीचे दब कर अपनी नौसेना सशक्त करें। हां, हमें इतना अवश्य पता रहना चाहिए कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। अतः हमारे पास इस प्रकार के उपकरण तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण होने चाहिएं, जल के भीतर का चित्र पेश करने वाले उपकरण होने चाहिएं जिससे कि हमें हिन्दमहासागर की पूरी स्थिति का पूरा ज्ञान रहे। अन्यथा हमें कोई वहां की स्थिति की चेतावनी देने के लिए बैठा नहीं है।

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : विदेश मंत्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का जो चित्र हमारे संमुख प्रस्तुत किया है उससे लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है जिसमें परस्पर तनाव कम होने की आशा नज़र आती है। परन्तु श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने इस तनाव की कमी के महत्त्व को कम करने का प्रयास किया है।

यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी युद्ध और कभी शांति की स्थिति पैदा होती रहती है, परन्तु अब ऐसा अनुभव हो रहा लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभिन्न देशों, पृथक-पृथक सिद्धान्तों के बीच भिन्नता होने पर भी, उनके राष्ट्रीय हितों का पोषण कर सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो दोनों जर्मन देश और दोनों कोरिया देश, सोवियत संघ, अमरीका तथा चीन परस्पर इतने समीप न आ पाते।

[**श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे पीठासीन हुए।**
Shri N. K. P. Salve in the Chair.]

इसलिए, यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश की प्रमुख विदेश नीति कि सभी राष्ट्रों से मित्रता रखो, आज फल दे रही है। इस नीति के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व

के विभिन्न राजनीतिज्ञों से कहा था कि शीत युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। हमारी इस नीति-दृढ़ता के कारण कम-से-कम यह तो हुआ कि विश्व के सामने शांति स्थापना का प्रश्न विचारणीय रहा। और आज यह दशा है कि पहले जो विश्व के देश एक प्रकार से दो परस्पर विपक्षी गुटों का रूप ले चुके थे अब चाहे दूरगामी उपायों से अथवा तदर्थ उपायों से परस्पर निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। इसका स्पष्ट परिणाम यही होगा कि विश्व में तनाव कम होता जायेगा।

कुछ आलोचकों का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की उभरती इस नई स्थिति के फलस्वरूप कुछ नई विचारधाराएं जन्म लेंगी तथा शक्तिशाली देशों के नये-नये गुट बनेंगे। इस संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडलों की भूमिका और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जायेगी तथा सुरक्षा परिषद के ढांचे में भी नई परिस्थितियों के अनुरूप ही परिवर्तन करना आवश्यक हो जायेगा। इसका अर्थ यह है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को विशेषतया सुरक्षा परिषद संबंधी मामले में, पुनरीक्षित किया जायेगा और इसमें जापान, जर्मनी, भारत, नाइजीरिया तथा ब्राजील को भी शामिल करना पड़ेगा।

सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की हमारी विदेश-नीति ने अनेक देशों को परस्पर निकट लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत-सोवियत संधि इस बात का प्रतीक है जो दोनों देशों के परस्पर हितों पर आधारित एक आदर्श संधि है, जोकि अन्य देशों के लिए भी अनुकरणीय है।

चीन के साथ अपने संबंधों में भी हमने निरन्तर मैत्री-भाव ही बनाये रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही चीन के साथ, एक पड़ोसी देश होने के नाते, मित्रता बनाई थी परन्तु बाद की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण हमारी यह मित्रता टूट गई। फिर भी इन दोनों पड़ोसी देशों को परस्पर पुनः निकट लाने के प्रयास किये जाने चाहिएं। मैं इस संदर्भ में प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सदैव यही घोषणा की है कि हम चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं। तिब्बत ही दोनों देशों के मध्य मतभेद का कारण रहा है और हमने तिब्बत को चीन का अंग मान लिया है। इससे चीन का हृदय हमारी ओर से साफ हो जाना चाहिये। हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सोवियत संघ के साथ हमारे संबंधों का प्रयास चीन के साथ हमारे संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार हम उस देश के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं जो स्वयं में विश्व में तनाव कम करने की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

हमारी विदेश नीति का दूसरा प्रमुख पहलू इस उपमहाद्वीप में स्थिरता बनाये रखना है। बंगला देश का अस्तित्व तथा पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के हमारे प्रयास इस दिशा में प्रमुख कदम हैं। हालांकि इससे उन देशों को बड़ा आश्चर्य हुआ है जो इस महाद्वीप में सदैव तनाव बनाये रखने के इच्छुक हैं। शिमला समझौते के बाद सारा विश्व समझ गया कि भारत किसी देश का क्षेत्र हड़पना नहीं चाहता तथा वस्तुतः ही वह इस उपमहाद्वीप में शांति और स्थिरता बनाये रखने का इच्छुक है। वैसे तो यह भी सच है कि शांति की स्थापना केवल एक दिन में नहीं हो जाती। उसके लिए निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है। हमने भी कुछ महत्त्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाये हैं ताकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हो सकें।

इसी प्रकार अरब तथा अफ्रीकी देशों के साथ भी संबंध सुधारने के हमने प्रयास किये हैं। अमरीका को भी यह दिखा दिया गया है कि वह सैन्यशक्ति के जोर से एशिया में या अन्यत्र कहीं भी अपना प्रभुत्व नहीं बनाये रख सकता। मुझे आशा है कि अब वह देश भी एशिया में अपना साम्राज्य या नया-उपनिवेशवाद नहीं जमा सकेगा। यदि वह देश एशिया में भारत की सही स्थिति और महत्त्व को समझना शुरू कर देगा तो हम भी उसके साथ अपने संबंध सामान्य कर लेंगे, परन्तु वैसे नहीं जैसे पहले थे, क्योंकि अब हम भी आत्म-निर्भर हो चुके हैं। आत्म-निर्भर हुए बिना कोई भी देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता।

विदेश नीति का प्रभाव राष्ट्रीय नीति पर भी पड़ता है। हम गरीबी हटाने तथा समाजवादी समाज की स्थापना के अपने संकल्प को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक विश्व में, विशेषकर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, शांति न हो। हम इस बात को भली प्रकार समझते हैं। हमने शांति स्थापना के लिए कदम उठाये हैं ताकि उस शांतिपूर्ण वातावरण में हम अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकें तथा अपने भीतरी शत्रुओं—अपनी कमियों—से लड़ सकें। हमारे ये शत्रु बेरोजगारी, गरीबी आदि हैं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लौर) : श्रीमन्, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इस तेजी के साथ विकास हो रहा है कि इस समय इस संबंध में कोई भी निश्चयात्मक दृष्टिकोण बना लेना कठिन है।

पूर्व जर्मनी तथा उत्तर वियतनाम को मान्यता देकर भारत को अनावश्यक गर्व नहीं करना चाहिए। अमरीका ने चीन को अभी तक मान्यता नहीं दी है हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति चीन का दौरा कर चुके हैं तथा उनके व्यक्तिगत सलाहकार बार-बार चीन का दौरा कर रहे हैं। जापान के प्रधान मंत्री ने भी चीन से अपनी पिछली गलतियों की खुले रूप में क्षमा मांगी है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ पुनः मिल जाने का प्रस्ताव किया है। पूर्व जर्मनी तथा पश्चिम जर्मनी ने भी अपने पृथक-पृथक अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया ने भी 'सीटो' से अलग होकर यह सिद्ध कर दिया है कि अब वे देश अमरीका के बिना ही अपनी रक्षा करने योग्य हैं।

आज के युग में गुट-निरपेक्षता का कोई अर्थ ही नहीं है। कोई भी बड़ी शक्ति अपनी सीमाओं में झगड़े के स्थान नहीं रखना चाहती। अमरीका अपने पड़ौसी क्यूबा को सहन करता है। इसी प्रकार विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां विचार-भिन्नता होते हुए भी अपने निजी स्वार्थों को लेकर कोई भी देश किसी भी अन्य देश के साथ संबंध जोड़ लेता है। रूस तथा चीन खुले आम एक दूसरे के प्रति शत्रुता का रवैया अपनाये हुए हैं परन्तु फिर भी उनके बीच व्यापार वार्ता चल रही है। रूस और अमरीका ने परस्पर इतने करार किये हैं जितने कि किन्हीं दो देशों ने गत वर्ष नहीं किए।

जब यह स्थिति है तो फिर गुटनिरपेक्षता का अर्थ ही क्या है। हमें तो हर उस देश के साथ मित्रता रखनी चाहिए जो हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाये। साथ ही स्वयं हमें भी मित्रता का वातावरण पैदा करने के लिए जोरों से प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने को भी पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।

यूगान्डा में जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तनजानिया के साथ व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। अत: अफ्रीका में हमारे मिशनों को वहां रहने वाले भारतीयों के लिए मार्ग-दर्शन का केन्द्र बनाया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि यूगांडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई सम्मत्ति के बारे में भारत ने कोई नीति निश्चित नहीं की है। साथ ही मंत्री महोदय यह भी बताएं कि बर्मा तथा श्रीलंका से आने वाले भारतीयों द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्ति उन्हें वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

बंगला देश को मुक्ति दिलाने की कार्यवाही के लिए सारे राष्ट्र ने सरकार तथा प्रधान मंत्री की प्रशंसा की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चीन द्वारा 1962 में तथा पाकिस्तान द्वारा 1948 में हथियाई गई भारतीय भूमि को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पिछली बार जब मैं भारत-सोवियत युवक समारोह में भाग लेने रूस गया तो मैंने वहां सोवियत अधिकारियों से कहा कि भारत-सोवियत सहयोग तथा मित्रता संधि हो जाने के बावजूद वे अपने नक्शों में कुछ भारतीय क्षेत्र को चीनी क्षेत्र क्यों दिखाते हैं ? इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रूसी नक्शों में उचित परिवर्तन कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र से सहायता लेनी चाहिए अथवा फिर सरकार को सैनिक कार्यवाही करके उक्त क्षेत्रों को प्राप्त करना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : गत दशाब्दी में घटी घटनाओं तथा परिस्थितियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में परिवर्तन हो रहा है। जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है, हम अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन तथा साम्राज्यवाद-विरोधी तथा शान्ति की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखने हुए हमें वर्तमान स्थिति तथा अपनी नीति और गत 25 वर्षों में इस नीति की सफलताओं का मूल्यांकन करना है।

इसी संदर्भ में हमें विश्व में बन रहे नये शक्ति संगठनों तथा गठजोड़ों को भी ध्यान में रखना है। पुराने गठजोड़ समाप्त हो रहे हैं।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में पांच अथवा छः बड़े परिवर्तन हुए हैं। अमरीका और चीन तथा अमरीका और रूस की मैत्री की महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप में पश्चिम तथा पूर्व जर्मन के आपसी सम्बन्ध सुधरें हैं और वे दोनों एक-दूसरे के समीप आये हैं। इसके अलावा यूरोप में सुरक्षा प्रणाली के लिए भी कार्यवाही की गई है।

एशिया में सबसे महत्वपूर्ण घटना जापान और चीन के एक-दूसरे के समीप आने की है। इसी दौरान हमारा देश भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। इन सभी बातों को देखते हुए हमें अपनी नीति का मूल्यांकन करना है।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इस उपमहाद्वीप में शान्ति की स्थापना के लिए शिमला समझौता किया गया है। मुझे आशा है कि हम अस्थायी कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे और इस उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापित हो सकेगी।

हमें भारत-चीन सम्बन्धों को, जो गत 15 वर्षों से शत्रुतापूर्ण हैं, तथा भारत-अमरीकी सम्बन्धों को भी, जो इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं, ध्यान में रखना है। हमें चीन, जो कि हमारा एक शक्तिशाली पड़ोसी है और अब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन गया है, के साथ अपने सम्बन्धों पर पुनः विचार करना है। हम स्थायी तौर पर इस देश के साथ शत्रुता की स्थिति में नहीं रह सकते। हमें सम्बन्धों को सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए। मुझे आशा है कि चीन की प्रतिक्रिया भी अच्छी ही होगी।

अमरीका के साथ भी इस समय हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। हमें इन सम्बन्धों को समानता के आधार पर सुधारना है। मुझे आशा नहीं कि अमरीका की ओर से इस बारे में कोई महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी क्योंकि उन्होंने अभी शक्ति संतुलन की बात बनाई हुई है। उनके सैनिक तथा औद्योगिक समूह को जिन मूल कठिनाइयों का सामना था वे अब भी बनी हुई हैं। अतः उनके मूल हितों में आगामी कुछ महीनों में कोई बड़ा परिवर्तन आने की आशा नहीं है। परन्तु हमें सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मुझे आशा है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारी नीति को समझेंगे।

ऐसा भी कहा गया है कि यदि हम अमरीका के समीप होते हैं तो रूस के साथ हमारे सम्बन्धों को कुछ हानि होगी। मेरे विचार में यह बात बिल्कुल गलत है। गत बीस वर्षों के दौरान रूस से हमारे सम्बन्धों में निरन्तर सुधार हुआ है और अब भारत-रूस संधि से इन सम्बन्धों में नया मोड़ आया है। इसके बाद बंगलादेश बना। मेरे विचार में अमरीका से हमें अपने सम्बन्ध सुधारने में रूस से हमारे सम्बन्धों में बाधा नहीं पड़ेगी। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि किसी भी आलोचक ने कोई विकल्प नहीं सुझाया है। अतः मुझे आशा है कि वर्तमान विदेश नीति के अनुमान से हमने केवल रूस से अपने सम्बन्धों को और मजबूत बना सकेंगे बल्कि चीन तथा अमरीका से भी अपने सम्बन्धों को सामान्य बना सकेंगे।

यह भी कहा गया है कि विदेश मंत्रालय के नीति आयोजन प्रयोग को बन्द कर दिया जाय। मेरे विचार में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मेरे विचार में इस प्रभाग को सक्षम तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

श्री टी० एन० कौल ने, जो कि अभी सेवानिवृत हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक कार्य किया है। मैं उनके कार्य की प्रशंसा करता है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ समय से हमारी विदेशी नीति कुशलतापूर्ण तथा साहसपूर्ण रही है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। गत 25 वर्षों में भारत को कभी भी इतना सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जितना सम्मानजनक स्थान उसे आज प्राप्त है। पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी सैनिक कार्यवाही का विश्व में समर्थन किया गया है।

यह कहना गलत है कि शिमला समझौता असफल रहा है। भारत के प्रति पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण प्रचार तथा नीतियों में परिवर्तन हुआ है। श्री भुट्टो में भी काफी परिवर्तन आया है। उन्होंने मैत्री की बातें करना शुरू कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें खेद है कि

उन्होंने भारत के साथ एक हजार वर्ष तक लड़ते रहने की बात की थी। वास्तव में उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री की प्रशंसा भी की है। श्री भुट्टो ने अपने लोगों में इस बात का प्रचार करने में बहुत साहस दिखाया है कि समस्या का हल बंगला देश को मान्यता देने से ही हो सकता है। अतः इस बात के लिए मैं श्री भुट्टो की प्रशंसा करता हूं। मैं जनरल मानेकशाह की भी प्रशंसा करता हूं जो कि शान्ति की तलाश में पाकिस्तान गये हैं, हालांकि वह टिक्का खां को भारत आने के लिए कह सकते थे। मेरी पाकिस्तान से केवल इतनी ही मांग है कि वह अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करे। इसके लिए श्री भुट्टो प्रयास कर रहे हैं और हमें उनकी सहायता करनी चाहिए।

शिमला समझौता इस बात का सबूत है कि हम शान्ति चाहते हैं। मुझे आशा है कि इसकी क्रियान्विति में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं वे जल्दी ही दूर हो जायेंगी।

प्रधान-मन्त्री ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान के साथ निरन्तर युद्ध की स्थिति बनाये रखने में कुछ लोगों के निहित हित हैं। वे लोग कौन हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

युद्धबन्दियों के मामले में हमने उतनी उदारता से काम नहीं लिया है जितनी उदारता हमने अन्य बड़े मामलों में दिखाई है। इस मामले को हल करने के लिए हमें ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। यह समस्या जितनी जल्दी हल हो जायेगी उतना ही अच्छा है।

जहां तक भारत और अमरीका के सम्बन्धों की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि विश्व में न कोई स्थायी शत्रु है और न ही कोई स्थायी मित्र। अतः यदि अमरीका की ओर से सद्भावना दिखाई जाती है तो हमें भी उसका उत्तर सद्भावना में ही देना चाहिए। मुझे आशा है कि इस देश के नेता विश्व में देश की प्रतिष्ठा को बनाये रखेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : सर्वप्रथम मैं वियतनाम के लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो कि विजय प्राप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार मैं पश्चिम जर्मनी के लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अपने चांसलर की नीतियों का समर्थन किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भारी परिवर्तन हो रहा है और कल के शत्रु आज मित्र बन रहे हैं; पश्चिमी यूरोप में आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत बनाया जा रहा है। नई आर्थिक शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं जिनके साथ हमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बारे में भरसक प्रयास कर रही है।

इस उपमहाद्वीप की स्थिति में भी भारी परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन हमारे पक्ष में है। शिमला समझौते की आलोचना करने का कोई कारण नहीं है। इस उपमहाद्वीप में शान्ति के लिए ऐसा समझौता करना आवश्यक था। ऐसा करना पड़ोसी देशों को यह आश्वासन देने के लिए भी आवश्यक था कि भारत किसी देश की भूमि पर कब्जा करना नहीं चाहता। भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेश एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें इन देशों के साथ अपने सम्बन्धों का मूल्यांकन करना चाहिए। मुझे आशा है कि समय आयेगा कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश एक होंगे और विश्व के समक्ष संयुक्त रूप से खड़े होंगे।

रूस ने इस उपमहाद्वीप में रचनात्मक भूमिका निभाई है। इसी नीति के फलस्वरूप ताशकन्द का समझौता हुआ था, यह अलग बात है कि वह समझौता असफल रहा। बंगलादेश के संकट के समय रूस ने हमारी बहुत सहायता की है। इस मित्रता का एक उदाहरण रूस-भारत-मैत्री संधि है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Speaker in the Chair.]

अत: रूस ने जो भूमिका निभाई है, उसकी तुलना अमरीका के साथ नहीं की जानी चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Murena) : I rise on a point of order. The Home Minister is going to make a statement. This discussion may be held tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : श्री पंत अपना वक्तव्य देंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* INCIDENTS IN DELHI UNIVERSITY

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : 6 दिसम्बर को लगभग 3000-4000 छात्र विश्वविद्यालय के विरुद्ध नारे लगाते हुए जलूस में विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय में गए। यह बड़े खेद का विषय है कि विश्वविद्यालय कार्यालयों को घेरने की एक बुरी सलाह पर कुछ छात्रों ने उपकुलपति के कार्यालय के दरवाजों पर एकत्रित होना आरम्भ किया। प्रो वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार के कार्यालयों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिये। कुछ छात्र जबर्दस्ती विद्यार्थी कल्याण के डीन के कमरे में घुस गए। उपकुलपति ने गम्भीर हिंसा की शंका करते हुए पुलिस सहायता के लिए अनुरोध किया। पुलिस के आने पर कुछ छात्रों ने पुलिस पर अत्यधिक पथराव किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अश्रुगैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा। तितर-बितर होते हुए कुछ छात्रों ने एक बस को आग लगा दी और दूसरी को कुछ क्षति पहुंचाई। एक डी० टी० सी० बूथ को भी आग लगा दी। इन घटनाओं के सिलसिले में 10 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

उपकुलपति ने छात्रों और शिक्षकों से स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करने की तथा विश्वविद्यालय के सामान्यरूप से कार्य करने के लिए शान्तिपूर्ण स्थिति स्थापित करने की अपील की है। मैं गम्भीरतापूर्वक सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगा कि वे उन लोगों का समर्थन न करें जो हिंसा अपनाते हैं अथवा हिंसा की धमकियां देते हैं और विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति को बहाल करने में सहयोग प्रदान करें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : May I know whether the hon. Minister will have a judicial enquiry into this matter ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया था कि प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You allow us to have a discussion on this matter.

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले पर किसी समय चर्चा कर सकते हैं । इसके लिए कुछ समय निर्धारित किया जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Tomorrow we can have discussion on this matter, otherwise we will have to bring adjournment motion.

Mr. Speaker : We will hold discussion on this matter at some later stage.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कुछ समय निर्धारित किया जायेगा । परन्तु ऐसा कब होगा, यह मैं नहीं कह सकता ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : इस मामले पर संसद में तीन बार चर्चा हो चुकी है । श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रश्न पूछना चाहते हैं । मेरा निवेदन यह है कि वहाँ पर प्रदर्शन करने, उप-वाइस चान्सलर और प्रो-वाइस चान्सलर की कुर्सी पर कब्जा करने तथा हिंसा करने की क्या आवश्यकता थी ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : वे स्थिति का राजनैतिक हल चाहते हैं । हमें इसको स्वीकार नहीं करना है, कैम्पस में स्थिति सामान्य होने दी जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The statement of the hon. Minister will deteriorate the situation for this. Therefore, I request you to have a discussion at an early date.

Mr. Speaker : If you want to give up the Private Members' Business time tomorrow, I have no objection.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम कल मध्याह्न भोजन के लिए नहीं जायेंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे अगले सप्ताह के लिए रख दिया जाना चाहिए ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 8 दिसम्बर, 1972/16 अग्रहायण 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday. December 8, 1972/Agrahayana 16, 1894 (Saka)

Printed at Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32 7-12-72/490